

00339



860

भारत के  
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन  
31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए  
(राज्य वित्त)  
(प्रतिवेदन क्र. 1)



छत्तीसगढ़ शासन



दिनांक .....के विधान सभा  
में प्रस्तुत।  
Presented to Legislature  
on ..... 3 APR. 2012 .....

भारत के  
नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राज्य वित्त  
(प्रतिवेदन क्र.1)

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

THE STATE

OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 1904

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

ALBANY: J.B. LIPPINCOTT COMPANY, PRINTERS, 1904.

# विषय सूची

|   | संदर्भ  |       |
|---|---------|-------|
|   | कण्डिका | पृष्ठ |
| प्राक्कथन   |         | v     |
| कार्यपालिक सारांश   |         | vii   |
| <b>पहला अध्याय</b><br><b>राज्य शासन का वित्त</b>                  |         |       |
| प्रस्तावना  | 1.1     | 1     |
| राज्य के संसाधन   | 1.2     | 6     |
| राजस्व प्राप्तियाँ  | 1.3     | 8     |
| संसाधनों का उपयोग   | 1.4     | 13    |
| व्यय की गुणवत्ता  | 1.5     | 20    |
| सरकारी व्यय एवं निवेश का विश्लेषण                                 | 1.6     | 24    |
| परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व   | 1.7     | 27    |
| ऋण धारणीयता   | 1.8     | 30    |
| राजकोषीय असंतुलन  | 1.9     | 32    |
| निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ  | 1.10    | 36    |
| <b>दूसरा अध्याय</b><br><b>वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण</b>    |         |       |
| प्रस्तावना  | 2.1     | 39    |
| विनियोग लेखे का सारांश  | 2.2     | 39    |
| वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन                                  | 2.3     | 40    |
| चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम                               | 2.4     | 46    |
| निष्कर्ष  | 2.5     | 51    |
| अनुशंसाएँ   | 2.6     | 51    |
| <b>तीसरा अध्याय</b><br><b>वित्तीय प्रतिवेदन</b>                   |         |       |
| उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब                      | 3.1     | 53    |
| गबन, हानियाँ, व्यपहरण आदि   | 3.2     | 54    |
| अस्थायी अग्रिमों एवं संक्षिप्त नैमित्तिक देयकों का समायोजन न होना | 3.3     | 55    |
| आकस्मिकता निधि से अग्रिम  | 3.4     | 57    |
| व्यक्तिगत निक्षेप लेखे  | 3.5     | 57    |
| निष्कर्ष  | 3.6     | 58    |
| अनुशंसाएँ   | 3.7     | 59    |

परिशिष्ट

| परिशिष्ट क्र. | विवरण  | संदर्भ                    |       |
|---------------|--|---------------------------|-------|
|               |  | कण्डिका                   | पृष्ठ |
| 1.1           | छत्तीसगढ़ राज्य का प्रोफाइल  | 1.1                       | 61    |
| 1.1<br>भाग- अ | सरकारी लेखे की संरचना एवं प्रारूप  | 1.1                       | 62    |
| 1.1<br>भाग- ब | वित्त लेखों की रूपरेखा   | 1.1                       | 62    |
| 1.2 भाग- अ    | राजकोषीय स्थिति के आकलन हेतु अपनाई गई कार्याविधि   | 1.1                       | 63    |
| 1.2 भाग- ब    | राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन<br>(एफ.आर.बी.एम) अधिनियम 2005   | 1.1                       | 65    |
| 1.3           | राज्य शासन के वित्त के समय श्रृंखला आंकड़ों का एक विश्लेषण   | 1.1/1.3                   | 66    |
| 1.4 भाग - अ   | वर्ष 2010- 11 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार  | 1.7.1                     | 68    |
| 1.4 भाग - ब   | 31 मार्च 2011 को छत्तीसगढ़ शासन की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति का सारांश  | 1.1.1,<br>1.7.1,<br>1.7.2 | 70    |
| 1.5           | करों एवं शुल्कों के संग्रहण एवं उनके संग्रहण पर किये गये व्यय का विवरण   | 1.3.1                     | 71    |
| 2.1           | विवरण जहां प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था                             | 2.3.1                     | 72    |
| 2.2           | विगत वर्षों के बजट प्रावधान से अधिक व्यय का नियमितीकरण वांछित  | 2.3.3                     | 73    |
| 2.3           | प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए                               | 2.3.5                     | 74    |
| 2.4           | विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक अपर्याप्त सिद्ध हुआ | 2.3.5                     | 76    |
| 2.5           | आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहां आधिक्य/बचत ₹ 20 करोड़ से अधिक है)                                      | 2.3.6                     | 78    |
| 2.6           | वर्ष के दौरान किए गए सारभूत समर्पण/विनियोग के परिणाम   | 2.3.7                     | 79    |
| 2.7           | वास्तविक बचत से अधिक समर्पण (प्रकरण जिसमें समर्पित राशि ₹ 50 लाख या अधिक है)   | 2.3.8                     | 88    |

| परिशिष्ट क्र. | विवरण   | संदर्भ  |       |
|---------------|---|---------|-------|
|               |   | कण्डिका | पृष्ठ |
| 2.8           | विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिनमें बचत हुई (₹ एक करोड़ से अधिक) लेकिन कोई भी अंश समर्पण नहीं किया गया           | 2.3.9   | 89    |
| 2.9           | ₹ एक करोड़ से अधिक के बचत जो समर्पित नहीं किए गए  | 2.3.9   | 90    |
| 2.10          | 31 मार्च 2011 की स्थिति में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण  | 2.3.9   | 91    |
| 2.11          | व्यय की अतिरेक  | 2.3.11  | 93    |
| 2.12          | खनिज विकास में अंतरित राशि का विवरण   | 2.4.6   | 94    |
| 2.13          | रॉयल्टी के खाते में संग्रह किये गये राजस्व का विवरण   | 2.4.7   | 95    |
| 2.14          | लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण   | 2.4.8   | 96    |
| 3.1           | 31 मार्च 2011 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र  | 3.1     | 97    |
| 3.2           | गबन, व्यपहरण इत्यादि का विभागवार/अवधिवार विभाजन (31 मार्च 2011 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरण)         | 3.2     | 101   |
| 3.3           | चोरी, गबन एवं सरकारी भंडार सामग्री की कमियों के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण | 3.2     | 103   |
| 3.4           | 2010-11 तक संक्षिप्त नैमित्तिक देयकों के विरुद्ध लंबित विस्तृत नैमित्तिक देयकों की स्थिति                               | 3.3.1   | 104   |

1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

## प्राक्कथन

- 1 यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया।
- 2 इस प्रतिवेदन के पहले अध्याय 'राज्य शासन' के वित्त एवं दूसरे अध्याय 'वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण' में 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष तक के लिए राज्य शासन के वित्त लेखों तथा विनियोजन लेखों की जांच से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित है।
- 3 अध्याय तीन, 'वित्तीय प्रतिवेदन' पर विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है एवं राज्य सरकार की विभिन्न वित्तीय नियमों, तौर तरीकों एवं वर्तमान वर्ष में दिए गए निर्देशों की स्थिति स्पष्ट करता है।



# SECRET

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the organization.

2. The organization is engaged in various activities, including the collection and dissemination of information.

3. It is the policy of the organization to maintain the highest standards of confidentiality and security.

# कार्यपालिक सारांश



# कार्यपालिक सारांश

## पृष्ठभूमि

वर्ष 2010 -11 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के तथ्यपरक आकलन एवं वित्तीय आकड़ों के लेखापरीक्षा के विश्लेषण पर आधारित तथ्यो / सामग्री राज्य शासन एवं राज्य विधान मंडल को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भासन के वित्त पर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। विश्लेषण को मूर्तरूप देने के लिए राज्य शासन द्वारा राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005 में 2010 -11 के बजट अनुमान में एवं तेरहवे वित्त आयोग अनुशंसित मानकों में दिये गये लक्ष्य से उपलब्धियों की तुलना करने का प्रयास किया गया है।

## प्रतिवेदन

मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ शासन के लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य शासन के वार्षिक लेखे का विश्लेषण युक्त समीक्षा प्रदान करता है। एफ आर बी एम एक्ट, बजट विलेख, तेरहवे वित्त आयोग (टी एफ सी) की अनुशंसाएं एवं विभिन्न शासकीय विभागों एवं संगठनों से प्राप्त अन्य वित्तीय आकड़ों के आधार पर राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन किया गया है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में तैयार किया गया है।

**पहला अध्याय** वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं सरकार के 31 मार्च 2011 के राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है। बजट के बाहर के रास्ते से राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय निधियों के सीधे स्थानांतरण का संक्षिप्त लेखा प्रस्तुत करने के अलावा यह प्रतिबद्ध व्यय एवं उधारियों के नमूने की प्रवृत्तियों पर अंतरदृष्टि डालता है।

**दूसरा अध्याय** विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं अनुदानवार विनियोगों का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है। इसके अलावा वित्त विभाग एवं खनिज संसाधन विभाग के (मांग संख्या 6 एवं 25) दो अनुदानों की समीक्षा एवं बजट प्रक्रिया और बजट मान्यताओं पर आधारित लेखापरीक्षा की टिप्पणियां इस अध्याय में दी गई हैं।

**तीसरा अध्याय** विभिन्न प्रतिवेदनों के विभिन्न आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों पर सरकार द्वारा अनुपालन की सूची है। प्रतिवेदन में निष्कर्षों की पुष्टि हेतु अनेक स्रोतों से संग्रह किए हुए अतिरिक्त आंकड़े भी उपलब्ध हैं।

## लेखापरीक्षा के निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

**राज्य एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन-** वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित करने एवं एक स्वतंत्र समीक्षा/मॉनीटरिंग प्रणाली विकसित करने के लिए तेरहवे वित्त आयोग (टी एच एफ सी) द्वारा राज्य एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन लाने के लिए अनुशंसा दी। टी एच एफ सी की अनुशंसा के आधार पर शासन ने एफ आर बी एम अधिनियम 2005 को संशोधित (सितंबर 2011) किया।

**राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को भारत शासन से सीधे स्थानांतरित निधियों की अनदेखी-** केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुदान सहायता की सारभूत राशि सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को अंतरित की गई। क्रियान्वयन एजेन्सियों के शासकीय लेखे से बाहर (बैंक खाते में) रखे गये लेखे में व्यय के उपरान्त शेष संपूर्ण राशि को तत्काल सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसी लिए लेखे में प्रदर्शित शासन द्वारा जारी की गई राशि एवं वास्तविक व्यय राशि उस सीमा तक अंतिम नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे स्थानांतरित निधियों के उचित लेखाकन एवं उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन को एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करना चाहिए।

**राजस्व प्राप्तियां-** 2008-09 में 12 प्रतिशत वृद्धि एवं 2009-10 में 16 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2010 -11 में राजस्व प्राप्तियां (₹ 22,720 करोड़) में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में स्वयं के कर राजस्व का (26 प्रतिशत), कर भिन्न राजस्व का (26 प्रतिशत), संघीय करों एवं शूल्को में राज्यांश (24 प्रतिशत), एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान की प्राप्तियां (23 प्रतिशत)। छत्तीसगढ़ में खनिज प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां का एक मुख्य स्रोत था एवं 2009-10 के 55 प्रतिशत की तुलना में 2010 -11 में कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां की इसके अकेले की हिस्सेदारी 64 प्रतिशत थी।

2006-09 के दौरान राजस्व प्राप्तियां के विकास दर में हास की प्रवृत्ति दिखाई दी लेकिन 2009-11 के दौरान बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिखाई दी। इसके फलस्वरूप जी एस डी पी के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता अनुपात जो 0.80 के अपने निम्नतम स्तर पर था 2008-09 में बढ़कर 1.39 हो गया।

**राजस्व व्यय :** वर्ष 2010 -11 के दौरान राजस्व व्यय (आर ई) जो कुल व्यय का 85 प्रतिशत था गत वर्ष के सापेक्ष 12 प्रतिशत बढ़ गया। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 11,286 करोड़) जो राजस्व व्यय के 58 प्रतिशत थी गत वर्ष की तुलना में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं तेरहवें वित्त आयोग के सामान्य आकलन से (₹ 8,901 करोड़) 27 प्रतिशत अधिक था। वर्ष के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में बढ़ोतरी मुख्यतः प्रतिबद्ध व्यय (₹ 11,844 करोड़) वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं सब्सिडी के अंतर्गत 17 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई। ये सब मिलकर आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का 87 प्रतिशत भाग बनाते हैं।

2010 -11 के दौरान, सब्सिडी ₹ 1,763.81 करोड़ के मुख्य प्राप्तकर्ता कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (₹ 622.54 करोड़), उर्जा (₹ 202.10 करोड़), एवं समाजिक कल्याण एवं पोषाहार (₹ 886.73 करोड़)। यह गत वर्ष की सब्सिडी (₹ 1,994.30 करोड़) के स्तर की तुलना में निम्नतर थी। वेतन एवं मजदूरी (₹ 6,363 करोड़) एवं पेंशन (₹ 1,810 करोड़) पर व्यय तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण (₹ 3,548 करोड़ एवं ₹ 984 करोड़) से क्रमशः ₹ 2,815 करोड़ एवं ₹ 826 करोड़ अधिक था। इस प्रकार विकास व्यय के लिए राजकोषीय स्थिति संकीर्ण होता गया।

इस वर्ष के दौरान, वेतन एवं पेंशन व्यय में सारभूत वृद्धि छठवें वेतन आयोग के बकाया राशि के भुगतान एवं पेंशन के पुनरीक्षण के कारण देखी गई। आने वाले वर्षों में, इन मदों पर व्यय के स्थिर होने की सम्भावना है, सब्सिडी के स्तर को घटाने, ब्याज के भार को कम करने के लिये, अधिक सोच समझ कर उधार लेने एवं उत्पादक पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उधारियों के उपयोग हेतु राज्य के पास अवसर है।

**राजकोषीय स्थिति की समीक्षा-** राज्य की राजकोषीय स्थिति को घाटे/आधिक्य की प्रवृत्तियों के संसूचको के नजर से देखे जाने पर प्रकट हुआ कि 2010 -11 में जबकि गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व आधिक्य बढ़ा एवं राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे में कमी आई। तत्परिणामी राजकोषीय एवं प्राथमिक आधिक्य राजकोषीय सुधार एवं सुदृढीकरण पथ की ओर राज्य शासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जाने के संकेत है।

2009-10 में ₹ 1,759 करोड़ का राजकोषीय घाटा, 2010 -11 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के साथ साथ राजस्व व्यय के निम्नतर विकास के कारण ₹ 410 करोड़ के राजकोषीय आधिक्य में परिवर्तित हो गया। गत वर्ष की अपेक्षा, 2010 -11 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों (25 प्रतिशत) एवं राजस्व व्यय (12प्रतिशत) के विकास दरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के परिणाम स्वरूप 2009-10 का ₹ 888 करोड़ का राजस्व आधिक्य बढ़कर 2010 -11 के दौरान ₹ 3,364 करोड़ हो गया। वर्ष 2009-10 के विरुद्ध जब प्राथमिक घाटा ₹ 664 करोड़ था, वर्ष 2010 -11 में, ₹ 1,608 करोड़ के राजस्व आधिक्य के साथ समाप्त हुआ।

छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन के कारण प्रतिबद्ध व्यय के दबाव के बावजूद पूर्व में हासिल किए गये घाटे के लक्ष्य की उपलब्धियों के आधार का सुदृढीकरण शासन ने चालू वर्ष में भी (2010 -11) जारी रखा।

**पूंजीगत व्यय को अधिक प्राथमिकता-** गत वर्ष के (₹ 2,745 करोड़ )की अपेक्षा पूंजीगत व्यय (₹ 2,952 करोड़) में 7.54 प्रतिशत वृद्धि हुई लेकिन बजट अनुमान (₹ 4,068 करोड़ ) की तुलना में कम था एवं एफ आर बी एम एक्ट द्वारा किए गए प्रक्षेपण (₹ 5,019 करोड़) की अपेक्षा भी निम्नतर थी। यह स्पष्ट है कि परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उच्च स्तरीय पूंजीगत व्यय पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

**सरकारी निवेश की समीक्षा-** वर्ष 2010 -11के दौरान (शासन द्वारा) सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों एवं सहकारिता में ₹ 260 करोड़ का निवेश किया गया था। इन निकायों में निवेशित इक्विटी पूंजी पर कुल मिलाकर 2010 -11के दौरान, ₹ चार करोड़ का प्रतिफल मिला था जो 1.65 प्रतिशत था, जबकि इसके विरुद्ध उधार ली गई निधियों पर सात प्रतिशत के औसत दर से ब्याज भुगतान किया गया। वर्ष 2009-10 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में ऐसे निम्न प्रतिफल के लिए उच्च लागत वाली उधार ली गई निधियों का अलाभकारी निवेश को ध्यान में लाया गया था लेकिन इस ओर अभी तक गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। शासन को चाहिए कि इस समस्या का शीघ्र हल किया जावे।

**बुद्धिमत्तापूर्ण नगदी प्रबंधन -** भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) के पास ₹ 0.72 करोड़ की न्यूनतम नगदी शेष की आवश्यकता के विरुद्ध, राज्य ने 2010-11 के दौरान प्रत्येक माह के अंतिम दिन ₹ 824 करोड़ से ₹ 3,241 करोड़ का नगदी शेष बनाये रखा। राज्य शासन द्वारा नगदी शेष आधिक्य को भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के अल्प अवधि के ट्रेजरी बिलों एवं जी.ओ.आई के प्रतिभूतियों में बार बार जमा कराया गया एवं 2010-11 के दौरान ₹ 89.73 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। जहां राज्य ने 2.65 प्रतिशत औसत दर से इस जमा राशि पर ब्याज अर्जित किया, इसने 7.34 प्रतिशत औसत दर से अपने बाजार की उधारियों पर ब्याज भुगतान किया। बुद्धिमत्तापूर्ण नगदी प्रबंधन के लिए यह एक विकल्प होगा कि आधिक्य का उपयोग कुछ उच्च लागत वाले ऋणों का समय पूर्व वापसी या भुगतान के लिये करें।

**ऋण धारणीयता** - राज्य के ऋण की स्थिति इन्क्रीमेन्टल गैर ऋण प्राप्तियों की पर्यप्तता का संकेत दिया जिसने 2009-10 के ऋणात्मक ₹ (-) 731 करोड से चालू वर्ष के दौरान ₹ 2,169 करोड का एक सकारात्मक परिवर्तन दर्ज किया। इसने राज्य के मध्यम अवधि के ऋण धारणीयता की बढ़ी हुई क्षमता का संकेत दिया ।

चूंकि राज्य के कुल ऋण का 38 प्रतिशत तक की वृहद राशि का पुनर्भुगतान आगामी पांच वर्षों में किया जाना होगा। राज्य को चाहिये कि वह अपने अल्प अवधि के उधारियों को पुनर्गठित करे ताकि आगामी पांच वर्षों में पुनर्भुगतान का दायित्व अनावश्यक रूप से न बढ़े।

**वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण** - 2010-11 के दौरान ₹ 5,268 करोड की निबल बचत थी। ₹ 5,463 करोड के कुल बचत में से राजस्व अनुभाग के अधीन चार अनुदानों एवं दो विनियोगों एवं पूंजीगत अनुभाग के अधीन दो अनुदानों एवं एक विनियोग में ₹ 195 करोड के व्यय आधिक्य को समायोजित किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन उपरोक्त आधिक्य का नियमितीकरण कराया जाना चाहिए। राजस्व लेखे के आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे में गिरावट के लिए अधिकांशतः बचत का ही योगदान रहा।

12 अनुदानों एवं एक विनियोग से संबंधित 14 प्रकरणों में, ₹ 10 करोड से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक बचत के उदाहरण थे। इसमें, चार अनुदानों के अधीन ₹ 923 करोड के भारी बचत भी शामिल थे, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड से अधिक के बचत थे, 2010-11 के दौरान 41 प्रतिशत तक के निरन्तर बचत के नौ अनुदान थे। चालू वर्ष के दौरान, व्यय आधिक्य, अनावश्यक/अत्यधिक पूरक प्रावधान, सारभूत समर्पण, सम्भावित बचत का समर्पण न करने का भी उदाहरण था एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता के भी उदाहरण थे। वित्तीय प्रबंधन में इन कमियों से बचाव के लिये बजट नियंत्रण का कठोरता से पालन किया जाना चाहिये। अंतिम क्षण में बजट जारी किये जाने एवं पुनर्विनियोजन/समर्पण के विवरणियों को टाला जाना चाहिए।

**वित्तीय प्रतिवेदन** - वर्ष 2007-10 की अवधि के लिये दिये गये समग्र अनुदान ₹ 5,880.59 करोड से संबंधित 17,200 उपयोगिता प्रमाण पत्रों (यू.सी.जे) में से ₹ 4,264.71 करोड की राशि के 10,888 उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सका कि अनुदान गृहीताओं ने अनुदानों को उन्ही प्रयोजनों के लिये उपयोग में लिया है जिनके लिये ये दिये गये थे। इसका मुख्य कारण यह था कि समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर निगरानी रखने के लिये विद्यमान अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया गया।

पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से ध्यान में लाये जाने के बावजूद, विभिन्न शासकीय विभागों में मार्च 2011 में समाप्त वर्ष के लिये ₹ 45.22 करोड की राशि के गबन, हानियों एवं दुर्विनियोजन के 1799 प्रकरण, एक वर्ष से लेकर 25 वर्ष एवं अधिक अवधि तक, ठोस अनुसंधान एवं निपटारे की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे प्रकरणों में दोषियों को सजा देने के लिये विभागीय जांच का शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिये। ऐसे प्रकरणों के घटित होने से रोकने के लिये सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

31 मार्च 2011 की स्थिति में ₹ 4.53 करोड के संक्षिप्त नैमित्तिक (ए.सी.) देयको से अग्रिम आहरण के विरुद्ध मुख्य नियंत्रण अधिकारियों ने पांच वर्ष तक विस्तृत नैमित्तिक देयक प्रस्तुत नहीं किये थे। आहरण संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओज) द्वारा ए.सी बिलों के समय पर समायोजन एवं

पूर्ववर्ती अग्रिमों के समायोजन के बिना आगे कोई राशि अग्रिम नहीं दिये जाने संबंधी, एक कठोर अनुश्रवण (प्रणाली) लागू किया जाना चाहिए।

एक वृहद राशि ₹ 496.34 करोड 153 असंचालित जमा खाते (पी.डी.) में अव्ययित पड़े हुए थे जिसमें से 59 पी.डी. खाते, जिनमें ₹ 24.03 करोड शेष थे, तीन वर्ष से अधिक समय से संचालित नहीं थे। इसमें से एक पी.डी. खाते में ₹ 16.02 करोड की शेष राशि अगस्त 1996 से बिना बदलाव के पडी हुई है। निधियों को पी.डी. खाते में अवरुद्ध रखना राज्य लेखे की पारदर्शिता पर विपरीत असर डालता है क्योंकि यह राजस्व व्यय को बढ़ा कर दिखाता है , एवं संसाधनों को अवरुद्ध करता है, जिसका अन्यत्र कहीं अन्यथा उपयोग किया जा सकता था। आगे , राज्य वित्त पर बजटीय एवं विधान मंडलीय नियंत्रण को क्षरित करता है। असंचालित पी.डी. खातों को बंद करने के लिए शासन उपयुक्त कदम उठाए एवं शेष निधि को समेकित निधि में अंतरित करें जैसा संहिता के प्रावधान के अनुसार आवश्यक हो ।





**पहला अध्याय**  
**राज्य शासन का वित्त**



## पहला अध्याय

### राज्य शासन के वित्त

#### 1.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य खनिज उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवम्बर 2000 को मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 का क्रमांक - 28) के अधीन तत्कालिन मध्यप्रदेश राज्य के 16 जिलों<sup>1</sup> से किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के उपरान्त दो<sup>2</sup> और जिले बनाये गये हैं। अधिनियम<sup>3</sup> के प्रावधानों के अनुसार पुनर्गठन की तिथि से पूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का हस्तांतरण एवं अन्य वित्तीय समायोजन किये गये थे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय औसत की तुलना में गरीबी का स्तर उंचा है जैसा कि **परिशिष्ट-1.1** में दिया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या का घनत्व 154 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो गया, तथापि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का घनत्व राष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना में कम है। छत्तीसगढ़ राज्य ने विगत दशाब्दी में अपेक्षाकृत उच्चतर आर्थिक विकास दर्शाया है क्योंकि 2001-02 से 2010-11 की अवधि के लिए इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की औद्योगिक वार्षिक विकास दर (सी.ए.जी.आर.) अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों<sup>4</sup> के 14.68 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 17.85 प्रतिशत हो गई। इस अवधि के दौरान अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों के 17.56 प्रतिशत के वृद्धि दर के विरुद्ध इसकी जनसंख्या का विकास 22.59 प्रतिशत के दर से हुआ है। राज्य में बाल मृत्यु दर 54 (प्रति 1000 बच्चों में) थी जो राष्ट्रीय औसत 50 की अपेक्षा अधिक थी। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रकरण में आय के वितरण में असमानता राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम थी लेकिन शहरी क्षेत्रों के प्रकरण में अधिक थी। वर्तमान दशक में अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि अधिक रही है।

राज्य शासन के वार्षिक लेखे में वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ शासन के वित्तीय लेखे 19 विवरणियों में प्रस्तुत किये गये हैं। इसका खाका एवं बनावट **परिशिष्ट-1.1 (अ)** में चित्रित किया गया है।

यह अध्याय राज्य शासन के चालू वर्ष के दौरान वित्त के एक विस्तृत परिपेक्ष्य को प्रस्तुत करता है एवं विगत पाँच वर्षों के दौरान समस्त प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखते हुए गत वर्ष से संबंधित वृहद् राजकोषीय समूह में हुए नाजुक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण वित्त लेखे एवं राज्य शासन से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। इस अध्याय के **परिशिष्ट-1.2** में राज्य के राजकोषीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई विधि की रूप रेखा संक्षेप में दी गई है एवं **परिशिष्ट-1.3** राज्य शासन के 2006-11 तक की

<sup>1</sup> बस्तर, बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जाँजगीर-चाँपा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव एवं सरगुजा।

<sup>2</sup> बीजापुर एवं नारायणपुर।

<sup>3</sup> वहीं उसी स्थान पर।

<sup>4</sup> आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तामिलनाडु, उत्तरप्रदेश एवं पश्चिम बंगाल।

अवधि के वित्त से संबंधित समय श्रृंखला आंकड़े पर महत्वपूर्ण मानकों/अस्थिरांक एवं राजकोषीय अनुपातों को प्रस्तुत करता है।

### 1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेनदेनों का सारांश

तालिका-1.1 गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2010-11) के दौरान राज्य शासन के राजकोषीय लेनदेनों का सारांश प्रस्तुत करती है जबकि परिशिष्ट-1.4 प्राप्तियों एवं भुगतानों एवं कुल मिलाकर चालू वर्ष के राजकोषीय स्थिति को प्रस्तुत करती है।

तालिका: 1.1 चालू वर्ष के लिए राजकोषीय प्रवर्तन का सारांश

(₹ करोड़ में)

| 2009-10                  | प्राप्तियाँ                   | 2010-11          | 2009-10          | संवितरण                | 2010-11    |          |                  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|----------|------------------|
|                          |                               |                  |                  |                        | आयोजनेत्तर | आयोजना   | योग              |
| <b>अनुभाग अ: राजस्व</b>  |                               |                  |                  |                        |            |          |                  |
| 18,153.66                | राजस्व प्राप्तियाँ            | 22,719.54        | 17,265.44        | राजस्व व्यय            | 11,286.39  | 8,069.36 | 19,355.75        |
| 7,123.25                 | कर राजस्व                     | 9,005.14         | 4,349.77         | सामान्य सेवायें        | 5,210.62   | 36.44    | 5,247.06         |
| 3,043.01                 | कर भिन्न राजस्व               | 3,835.32         | 8,023.54         | सामाजिक सेवायें        | 2,807.08   | 5,502.64 | 8,309.72         |
| 4,380.66                 | संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा  | 5,425.19         | 4,423.15         | आर्थिक सेवायें         | 2,582.25   | 2,509.17 | 5,091.42         |
| 3,606.74                 | भारत सरकार से अनुदान          | 4,453.89         | 468.98           | सहायता अनुदान/ अंशदान  | 686.43     | 21.12    | 707.55           |
| <b>अनुभाग ब: पूंजीगत</b> |                               |                  |                  |                        |            |          |                  |
| 2.31                     | विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ     | 2.56             | 2,744.92         | पूंजीगत व्यय           | 0.98       | 2,950.53 | 2,951.51         |
| 992.43                   | ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ | 561.16           | 896.79           | संवितरित ऋण तथा अग्रिम | #          | #        | 566.55           |
| 3.04                     | अंतर्राज्यीय समायोजन          | 2.65             | 3.29             | अंतर्राज्यीय समायोजन   | -          | -        | 2.34             |
| 1,287.21                 | लोक ऋण प्राप्तियाँ*           | 795.19           | 651.57           | लोक ऋण की अदायगी *     | -          | -        | 690.86           |
| 0.5                      | आकस्मिकता निधि                | 0                | 0                | आकस्मिकता निधि         | -          | -        | 0                |
| 24,511.62                | लोक लेखा प्राप्तियाँ          | 27,523.97        | 23,878.77        | लोक लेखा संवितरण       | -          | -        | 26,895.50        |
| 2,059.67                 | प्रारंभिक नगदी शेष            | 1,569.66         | 1,569.66         | अंतिम नगदी शेष         | -          | -        | 2,712.22         |
| <b>47,010.44</b>         | <b>योग</b>                    | <b>53,174.73</b> | <b>47,010.44</b> | <b>योग</b>             |            |          | <b>53,174.73</b> |

(स्रोत: राज्य शासन के 2010-11 के वित्त लेखे)

# वित्त लेखे में आयोजना एवं आयोजनेत्तर के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं।

\* अर्धोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्षण को छोड़कर निबल लेनदेन।

गत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान निम्नलिखित उल्लेखनीय परिवर्तन हुए:-

- गत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 25 प्रतिशत (₹ 4,566 करोड़) की वृद्धि में मुख्यतः कर राजस्व का 26 प्रतिशत (₹ 1,882 करोड़), कर भिन्न राजस्व का 26 प्रतिशत (₹ 792 करोड़), संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश का 24 प्रतिशत (₹ 1,045 करोड़) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान का 23 प्रतिशत (₹ 847 करोड़) का योगदान रहा।
- विगत वर्ष की अपेक्षा राजस्व व्यय में 12 प्रतिशत (₹ 2090 करोड़) की वृद्धि योजना व्यय में 18 प्रतिशत (₹ 1,252 करोड़) एवं आयोजनेत्तर व्यय में आठ प्रतिशत (₹ 839 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।
- विगत वर्ष की अपेक्षा पूंजीगत व्यय में आठ प्रतिशत (₹ 207 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः सड़के एवं सेतु, शिक्षा खेल कूद, कला एवं संस्कृति लघु सिंचाई,

अनुसूचित जाति अनुसूचितजन जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, ग्रामीण विकास कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा के अधीन शीर्षों के व्यय में वृद्धि के कारण हुई। पूंजीगत व्यय ₹ 2,067 करोड़ (41 प्रतिशत) थी जो 2010-11 के लिये राज्य शासन द्वारा राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (एफ.आर.बी.एम. एक्ट ) में किये गये आकलन (₹ 5,019 करोड़) की अपेक्षा कम थी।

- चालु वर्ष के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 492 करोड़ (38 प्रतिशत) की कमी एवं लोक ऋण पुनर्भुगतान में वृद्धि ₹ 39 करोड़ (छः प्रतिशत) की वृद्धि हुई। लोक ऋण प्राप्तियों में कमी मुख्यतः बाजार ऋण के माध्यम से ली गई उधारियों, वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों एवं भारत सरकार से लिये गये ऋणों में कमी के कारण थी।
- गत वर्ष की अपेक्षा लोक लेखा प्राप्तियों एवं भुगतानों में वृद्धि क्रमशः ₹ 3,012 करोड़ एवं ₹ 3,017 करोड़ हुई।
- जैसा कि पूर्व में बताया गया है, निधियों के अंतः प्रवाह/बाह्य प्रवाह के परिणाम स्वरूप वर्ष के अंत में नगदी शेष में ₹ 1,142 करोड़ (73 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

### 1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय दायित्व अधिनियम 2005 शीर्षक से एक राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, बुद्धिमत्तापूर्ण राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थिरता, राजस्व घाटे के क्रमिक समापन, राजकोषीय स्थिरता से संगत टिकाऊ/स्थिर ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में उच्चतर पारदर्शिता एवं राजकोषीय नीति के संचालन में एक मध्यम अवधि के राजकोषीय ढांचा, सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया।

2010-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय में 12 प्रतिशत की वृद्धि के परिणाम स्वरूप राजस्व आधिक्य 2009-10 के ₹ 888 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 3,364 करोड़ हो गया।

राजस्व आधिक्य में ₹ 2,476 करोड़ की वृद्धि, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 431 करोड़ की कमी एवं अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋणों एवं अग्रिमों के भुगतान में ₹ 331 करोड़ की कमी के परिणाम स्वरूप 2009-10 का ₹ 1,759 करोड़ का राजकोषीय घाटा 2010-11 में ₹ 410 करोड़ के आधिक्य में बदल गया।

राजकोषीय आधिक्य (₹ 410 करोड़) की वृद्धि के कारण 2009-10 का ₹ 664 करोड़ का प्राथमिक घाटा 2010-11 में ₹ 1,608 करोड़ के प्राथमिक आधिक्य में बदल गया।

तेरहवें वित्त आयोग (टी.एच. एफ.सी.) राज्य एफ.आर.बी.एम. एक्ट में पूर्व में हासिल किये गये शून्य राजस्व घाटे को बनाये रखने 2011-12 तक तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित करने, एक स्वतंत्र समीक्षा/अनुश्रवण प्रणाली की आकृति का

समावेश करने के लिये अनुशंसा की गई। टी.एच. एफ.सी. के अनुशंसा के आधार पर शासन ने एफ.आर.बी.एम एक्ट 2005 में संशोधन किया (सितम्बर 2011)

एफ.आर.बी.एम के अनुसार लक्ष्य एवं टी.एच.एफ.सी. निर्मित ढांचे के विरुद्ध 2010-11 के लिए राज्य के राजकोषीय निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है :-

| राजकोषीय अनुमान                             | एफ.आर.बी.एम के अनुसार लक्ष्य                       | एफ.आर.बी.एम के अनुसार प्रक्षेपित   | वास्तविक व्यय                                 |
|---|--|--|---|
| राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)<br>(₹ करोड़ में) | --   | ₹ (+) 859.78 करोड़   | ₹ (+) 3,363.79 करोड़                          |
| राजकोषीय घाटा (-)/<br>आधिक्य (+)            | जी.एस.डी.पी. के तीन प्रतिशत के भीतर बनाये रखना है। | जी.एस.डी.पी. के तीन प्रतिशत के भीतर बनाये रखना है एवं ₹ 3180.03 करोड़ राजकोषीय घाटा का अनुमान था | ₹ 409.76 करोड़ के राजकोषीय आधिक्य में बदल गया |


(स्रोत-2010-11 का एफ.आर.बी.एम एवं सम्बंधित वर्ष के वित्त लेखे)

इसलिए टी.एच.एफ.सी. एवं एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं।

राज्य के स्वयं के वास्तविक कर राजस्व प्राप्तियाँ कर, कर भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ एवं आयोजनेत्तर व्यय टी.एफ.सी. द्वारा किये गये सामान्य अनुमान की तुलना में क्रमशः ₹ 58 करोड़ (एक प्रतिशत), ₹ 1,446 करोड़ (61 प्रतिशत) एवं ₹ 2,384 करोड़ (27 प्रतिशत) से अधिक था लेकिन ब्याज भुगतान ₹ 380 करोड़ (24 प्रतिशत) कम था।

### 1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय -

**चार्ट 1.1.** कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों के लिये बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत : राज्य शासन के 2010-11 के वित्त लेखे एवं 2010-11 का राज्य का बजट अनुमान)

उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट है कि 2010-11 के दौरान विभिन्न मानकों की स्थिति में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थीं


- बजट अनुमान की तुलना में कर राजस्व ₹ 1,500 करोड़ ( 20 प्रतिशत ) से अधिक होने के कारण बजट अनुमान की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियाँ 11 प्रतिशत ( ₹ 2,194 करोड़ ) अधिक थी जबकि कर भिन्न राजस्व बी.ई. की तुलना में ₹ 486 करोड़ (11 प्रतिशत) कम थी ।
- बजट अनुमान की तुलना में राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः ₹ 311 करोड़ (दो प्रतिशत) एवं ₹ 1,116 करोड़ ( 27 प्रतिशत) कम था ।
- बजट अनुमान से राजस्व व्यय में एक प्रतिशत की कमी की तुलना में राजस्व आधिक्य बजट अनुमान की तुलना में ₹ 2,504 करोड़ ( 291 प्रतिशत) अधिक था। यह मुख्यत राजस्व प्राप्तियों का बी.ई. से 11 प्रतिशत से अधिक होने के कारण हुआ।
- बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा ₹ 3,180 करोड़ एवं ₹ 1,972 करोड़ दर्शाया गया था बजट अनुमान की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्तियों एवं कमतर राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के कारण ₹ 410 करोड़ राजकोषीय आधिक्य एवं ₹ 1,608 करोड़ के प्राथमिक आधिक्य में बदल गया ।




## 1.2 राज्य के संसाधन

### 1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व एवं पूँजीगत, प्राप्तियों के दो प्रवाह है जो मिलकर राज्य शासन के संसाधन की रचना करते है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार (जी.ओ.आई.) से सहायता अनुदान शामिल हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों आदि से उधार) जी.ओ.आई. से ऋणों एवं अग्रिमों के साथ-साथ लोक लेखे से प्राप्तियाँ भी शामिल है। तालिका-1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखे में दर्ज है, को प्रस्तुत करता है जबकि चार्ट-1.2 वर्ष 2006-11 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों को चित्रित करता है। चार्ट-1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों की बनावट को चित्रित करता है।





वर्ष 2010-11 के लिए राज्य की कुल प्राप्तियां ₹ 51,605 करोड़ थी। विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान कुल प्राप्तियों में 15 प्रतिशत (₹ 6,654 करोड़) वृद्धि मुख्यतः राजस्व प्राप्तियों में 25 प्रतिशत (₹ 4,566 करोड़) वृद्धि एवं लोक लेखा प्राप्तियों में 12 प्रतिशत (₹ 3,012 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई। तथापि, 2010-11 में पूँजीगत प्राप्तियों में 40 प्रतिशत (₹ 924 करोड़) की कमी आई।

### 1.2.2 राज्य के बजट के बाहर राज्य की क्रियान्वयन एजेन्सियों को अंतरित/स्थानांतरित निधियाँ

केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक अनुभागों के लिए, जिन्हें संजीदा/नाजुक के रूप में पहचान किये गये हैं, के विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए एक बड़े/अधिक परिमाण में निधियाँ सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों<sup>5</sup> को अंतरित की जाती रही है। चूँकि ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषालयीन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं भेजे जाते अतः वार्षिक वित्त लेखा इन निधियों के प्रवाह को उस सीमा तक नियंत्रित नहीं करते एवं राज्य की प्राप्तियाँ एवं व्यय के साथ ही साथ उनसे प्राप्त अन्य राजकोषीय परिवर्तनीय/मानकों को उस परिमाण में कम आंका जाता है।

भारत सरकार ने ₹ 4,360.17 करोड़ की निधियाँ सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को स्थानांतरित किया। राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे स्थानांतरित निधियों के उदाहरण **तालिका-1.2** में प्रस्तुत है।

5 राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों में ऐसा कोई भी संगठन/संस्थान जिसमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल है, जो राज्य शासन द्वारा, राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने के लिए अधिकृत है जैसे सर्व शिक्षा अभियान के लिए राज्य क्रियान्वयन समिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति शामिल है।

तालिका-1.2: राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे स्थानांतरित निधियाँ



| स. क्र. | कार्यक्रम का नाम                                 | राज्य में क्रियान्वयन एजेंसी का नाम                        | भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई कुल निधियाँ (₹ करोड़ में) |          |
|---------|--|--|---|----------|
|         |  |  | 2009-10   | 2010-11  |
| 1       | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (90:10)   | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत                       | 827.10  | 1,653.76 |
| 2       | सर्व शिक्षा अभियान (60:40)                       | मिशन संचालक, राजीव गाँधी शिक्षा मिशन                       | 555.94  | 878.63   |
| 3       | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (100 प्रतिशत)      | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास प्राधिकरण | 438.03  | 678.58   |
| 4       | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (80:15)         | मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन              | 180.19  | 205.87   |
| 5       | इंदिरा आवास योजना (75:25)                        | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत                       | 162.60  | 132.00   |
| 6       | राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम               | कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी                  | 83.38   | 122.01   |
| 7       | राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन                         | संचालक उद्यानिकी रायपुर                                    | 60.00   | 96.57    |
| 8       | स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण रोजगार योजना (75:25)       | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत                       | 65.13   | 73.64    |
| 9       | एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (75:25)         | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत                       | 51.57   | 73.72    |
| 10      | छ: हजार मॉडल स्कूलों की स्थापना की योजना (75:25) | मिशन संचालक, राजीव गाँधी शिक्षा मिशन                       | 22.65   | 59.16    |
| 11      | केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता योजना                 | छत्तीसगढ़ राज्य जल एवं स्वास्थ्य मिशन                      | 50.18   | 54.80    |

(स्रोत: 2010-11 के वित्त लेखे के परिशिष्ट- VII)

भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियों के सीधे अंतरण से इन एजेंसियों द्वारा निधियों के अनुचित उपयोग का खतरा निहित रहता है। सरकारी लेखे से बाहर (बैंक खातों में) रखे गये क्रियान्वयन एजेंसियों के खातों में कुल अवशेष राशि तुरन्त ज्ञात नहीं की जा सकती इस लिए लेखे में प्रदर्शित सरकारी व्यय उस सीमा तक अंतिम नहीं हैं।

### 1.3 राजस्व प्राप्ति

वित्त लेखे का विवरण क्रमांक 11 सरकार के राजस्व प्राप्ति का ब्योरा देता है। राजस्व प्राप्ति में स्वयं के कर एवं कर भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर अंतरण तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2006-11 की अवधि में राजस्व प्राप्ति की संरचना एवं प्रवृत्तियों को परिशिष्ट-1.3 में प्रस्तुत किया गया है एवं चार्ट-1.4 एवं चार्ट-1.5 में क्रमशः चित्रित किया गया है।



राजस्व प्राप्तियाँ 2006-07 के ₹ 11,453 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 22,720 करोड़ हुई एवं गत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान 25 प्रतिशत ₹ 4,566 करोड़ की वृद्धि हुई।

राज्य में राजस्व प्राप्तियों का संयुक्त वार्षिक विकास दर 2001-02 से 2009-10 के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों के 15.20 प्रतिशत के विरुद्ध 19.46 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में से 57 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों जिनमें कर एवं कर भिन्न राजस्व शामिल हैं, से प्राप्त हुए, जबकि केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं सहायता अनुदान दोनो को मिलाकर कुल राजस्व में योगदान 43 प्रतिशत था। विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,566 करोड़ की बढ़ोत्तरी कर राजस्व में 26 प्रतिशत (₹ 1,882 करोड़) कर भिन्न राजस्व में 26 प्रतिशत (₹ 792 करोड़), भारत सरकार के संघीय करों एवं शुल्कों से राज्यांश में 24 प्रतिशत (₹ 1,045 करोड़), एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 23 प्रतिशत (₹ 847 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ तालिका-1.3 में नीचे प्रस्तुत किया गया है:

तालिका: 1.3: सकल राज्य घरेलू उत्पाद<sup>6</sup> से संबंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

|   | 2006-07   | 2007-08   | 2008-09   | 2009-10     | 2010-11     |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.)<br>(₹ करोड़ में)                | 11,453    | 13,879    | 15,663    | 18,154      | 2,2720      |
| राजस्व प्राप्तियों (आर.आर.) का विकास दर (प्रतिशत)           | 29.6      | 21.2      | 12.86     | 15.90       | 25.15       |
| आर.आर./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)                               | 17.70     | 17.48     | 16.45     | 16.83       | 17.52       |
| <b>उत्प्लावकता अनुपात<sup>7</sup></b>                       |           |           |           |             |             |
| जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता               | 1.17      | 1.06      | 0.80      | 0.89        | 1.39        |
| जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर उत्प्लावकता | 0.97      | 0.57      | 1.06      | 0.45        | 1.46        |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद<br>(₹ करोड़ में)                     | 66,874.89 | 80,255.11 | 93,179.43 | 1,09,823.43 | 1,29,717.54 |
| जी.एस.डी.पी. का विकास दर                                    | 25.28     | 20.01     | 16.10     | 17.86       | 18.11       |

जी.एस.डी.पी. के विकास के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2006-07 के 1.17 से घटकर 2008-09 में 0.80 एवं इसके बाद 2010-11 के दौरान जी.एस.डी.पी. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों के उच्च विकास दर के कारण बढ़कर 1.39 हो गई।

जैसे ही जी.एस.डी.पी. में वृद्धि होती है, विकास की क्षमता में वृद्धि के साथ ही राज्य के स्वयं के कर राजस्व में भी वृद्धि होना चाहिए। 2006-11 के दौरान जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर उत्प्लावकता झूले की प्रवृत्ति दर्शाई एवं 0.45 और 1.46 दायरे के बीच रही।

6 उत्पावकता अनुपात में परिवर्तन जी.एस.डी.पी. के परिवर्तन के कारण (जैसा कि परिशिष्ट 1.2 में दिया गया है।)

7 चल आधार में किये गये परिवर्तन के संदर्भ में उत्प्लावकता अनुपात चल राजकोषीय अनुक्रियाशीलता के अंश या घट बढ़ (लोच) का संकेत देता है। उदाहरण के लिए 0.6 के स्तर पर राजस्व उत्प्लावकता से तात्पर्य है कि यदि जी.एस.डी.पी. में एक प्रतिशत वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत प्वाइंट वृद्धि की ओर उन्मुख है।

### सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायता अनुदान 2009-10 के ₹ 3,607 करोड़ से ₹ 847 करोड़ (23 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ 2010-11 में ₹ 4,454 करोड़ हो गई। यह मुख्यतः केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में ₹ 192 करोड़ एवं राज्य आयोजनागत योजनाओं के आयोजना अनुदान में ₹ 740 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ। तथापि चालू वर्ष के दौरान आयोजनेत्तर अनुदान ₹ 85 करोड़ से घट गया।

### केन्द्रीय कर हस्तांतरण

केन्द्रीय कर हस्तांतरण केन्द्रीय कर हस्तांतरण में 2009-10 के ₹ 4,381 करोड़ में ₹ 1,045 करोड़ (24 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ 2010-11 में ₹ 5,425 करोड़ हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सीमा (कस्टम) शुल्क में ₹ 336 करोड़ (55 प्रतिशत) निगम कर ₹ 318 करोड़ (18 प्रतिशत) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में ₹ 196 करोड़ (40 प्रतिशत) निगम कर के अलावा आय कर में ₹ 116 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।

#### 1.3.1 राज्य के स्वयं के स्रोत

केन्द्रीय करों एवं सहायता अनुदान में राज्य के हिस्से का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित होता है। आयोजनागत योजनाओं इत्यादि के लिए केन्द्रीय कर प्राप्तियों एवं केन्द्रीय सहायता आदि के संग्रहण में राज्य के अतिरिक्त संसाधन जुटाने की निष्पादन क्षमता का आकलन उसके स्वयं के स्रोतों से किया जाना चाहिए जिसमें स्वयं के कर एवं कर भिन्न राजस्व स्रोत शामिल है। 2010-11 के दौरान, राज्य में कर की प्रशासनिक लागत राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम थी जो कर संग्रहण के अधिक प्रभावीपन को दर्शाता है जैसा **परिशिष्ट-1.5** में प्रस्तुत किया गया है।

टी.एच.एफ.सी. द्वारा किये गये आकलन एवं राज्य शासन के अपने बजट अनुमान के विरुद्ध राज्य के कर एवं कर भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों नीचे दी गई है।  
(₹ करोड़ में)

|                          | टी.एच.एफ.सी. द्वारा किये गये आकलन | बजट अनुमान | वास्तविक व्यय |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|
| राज्य का कर राजस्व       | 8,946.59                          | 7,505.47   | 9,005.14      |
| राज्य का कर भिन्न राजस्व | 2,389.38                          | 4,321.46   | 3,835.32      |

तालिका 1.4 कर/कर भिन्न राजस्व का 2006-11 के बीच विकास

(₹ करोड़ में)

|                             | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| कर राजस्व                   | 5,046   | 5,618   | 6,594   | 7,123   | 9,005   |
| राज्य का विकास दर (प्रतिशत) | 24.53   | 11.34   | 17.37   | 8.03    | 26.42   |
| कर भिन्न राजस्व             | 1,451   | 2,021   | 2,202   | 3,043   | 3,835   |
| विकास दर (प्रतिशत)          | 18.06   | 39.28   | 8.96    | 38.19   | 26.03   |

### कर राजस्व

गत वर्ष (₹ 7,123 करोड़) की तुलना में कर राजस्व 26 प्रतिशत (₹ 1882 करोड़) की वृद्धि के साथ 2010-11 के दौरान (₹ 9,005 करोड़) हो गया। गत वर्ष की तुलना में

कर राजस्व में बढ़ोत्तरी मुख्यतः विक्रय एवं व्यापार आदि पर कर (₹ 1,129 करोड़), राज्य आबकारी में (₹ 336 करोड़) एवं मुद्राक एवं पंजीयन (₹ 319 करोड़) कर में वृद्धि के कारण हुआ।

2006-11 के दौरान कर राजस्व का विकास दर झूले की प्रवृत्ति प्रदर्शित की एवं आठ से 26 प्रतिशत के दायरे में रहा। चालू वर्ष के दौरान राज्य का कर राजस्व ₹ 9,005 करोड़ था, जो तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण (₹ 8,947 करोड़) एवं बजट अनुमान में किये गये "सामान्य अनुमान" की तुलना में अधिक था।

राज्य के स्वयं के राजस्व का संयुक्त वार्षिक विकास दर 2001-02 से 2009-10 के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों के 14.53 प्रतिशत के विरुद्ध 17.26 प्रतिशत था।

2006-11 की अवधि के दौरान कर राजस्व के अनुभागवार घटकों को नीचे तालिका 1.5 में दर्शाया गया है-

तालिका: 1.5 अनुभाग वार कर राजस्व के घटक

|                             | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| विक्रय, व्यापार आदि पर कर   | 2,843   | 3,024   | 3,611   | 3,712   | 4,841   |
| राज्य आबकारी                | 707     | 843     | 964     | 1,188   | 1,506   |
| वाहन पर कर                  | 253     | 277     | 314     | 352     | 428     |
| मुद्राक एवं पंजीयन फीस      | 390     | 463     | 496     | 583     | 786     |
| भूमि राजस्व                 | 61      | 88      | 359     | 160     | 247     |
| सामग्री एवं यात्रियों पर कर | 302     | 511     | 421     | 696     | 675     |
| अन्य कर                     | 490     | 412     | 429     | 432     | 522     |
| योग                         | 5,046   | 5,618   | 6,594   | 7,123   | 9,005   |
| विकास दर (प्रतिशत में)      | 24.53   | 11.34   | 17.37   | 8.03    | 26.42   |

(स्रोत- वित्त लेख)

### कर भिन्न राजस्व

गत वर्ष की तुलना में 2010-11 में कर भिन्न राजस्व में 26 प्रतिशत (₹ 792 करोड़) की बढ़ोत्तरी मुख्यतः अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों में (₹ 810 करोड़), वृहद सिंचाई में (₹ 144 करोड़) एवं सामान्य शिक्षा में (₹ 64 करोड़) प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई। खनन से प्राप्तियां (खनिज रियायती फीस, किराया, रायल्टी एवं अन्य प्राप्तियां) छत्तीसगढ़ में राजस्व प्राप्तियों का एक मुख्य स्रोत है। एवं 2009-10 के 55 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 के दौरान कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का 64 प्रतिशत भाग केवल इसी से आता था।

2006-11 के दौरान कर भिन्न राजस्व विकास दर झूले की प्रवृत्ति प्रदर्शित की एवं नौ एवं 39 प्रतिशत के दायरे में रहा। 2010-11 के दौरान कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां टी.एच.एफ.सी. द्वारा किये गये सामान्य आकलन से 61 प्रतिशत अधिक था राज्य शासन द्वारा किये गये अपने बजट अनुमान से ₹ 486 करोड़ (11 प्रतिशत), लघु सिंचाई (₹ 388 करोड़) एवं ऊर्जा (₹ 400 करोड़) की कम प्राप्तियों के कारण कम थी।

राज्य के कर भिन्न राजस्व का संयुक्त वार्षिक विकास दर 2001-02 से 2009-10 के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों के 13.87 प्रतिशत के विरुद्ध 19.69 प्रतिशत था।

### 1.3.2 कर अपवंचन के कारण राजस्व हानि, अपलेखन/छूट एवं वापसियाँ

31 मार्च 2011 की स्थिति में राज्य आबकारी के दो प्रकरण निराकरण हेतु लंबित थे जबकि वाणिज्यिक कर विभाग के 129 प्रकरण एवं राज्य आबकारी विभाग के वापसी के दो प्रकरण लंबित थे जिसमें क्रमशः ₹ 4.63 करोड़ एवं ₹ 0.01 करोड़ की राशि शामिल थी।

### 1.3.3 राजस्व बकाया

31 मार्च 2011 की स्थिति में, जैसे आठ विभागों द्वारा सूचित किया गया, राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 738.41 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 198.46 करोड़ (27 प्रतिशत) पांच वर्ष से भी अधिक समय से बकाया थे। राजस्व बकाया मुख्य रूप से वाणिज्यिक कर (₹ 450.85 करोड़) विद्युत शुल्क एवं कर (₹ 199.64 करोड़), भू राजस्व (₹ 38.30 करोड़), राज्य आबकारी शुल्क (₹ 25.30 करोड़), वाहनों पर कर (₹ 14.65 करोड़) मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क (₹ 5.43 करोड़) वन (₹ 2.45 करोड़) एवं खनिज संपदा (₹ 1.79 करोड़) से संबंधित थे।


## 1.4 संसाधनों का उपयोग

चूँकि राज्य शासन को व्यय करने का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है अतः राज्य शासन के स्तर पर व्यय के बटवारे/विभाजन के विश्लेषण का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। राजकोषीय दायित्व संबंधी विधान बनाने के ढाँचे के भीतर घाटे अथवा उधारियों से वित्त पोषण कर लोक व्यय को बढ़ाने में बजट संबंधी कई कठिनाईयाँ हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर हाथ में लिए गए राजकोषीय सुधार एवं सुदृढीकरण प्रक्रिया, को विशेषकर विकास एवं सामाजिक सेवा उन्मुख व्यय की कीमत पर नहीं लागू किया जाना चाहिये।

### 1.4.1 विकास एवं व्यय की संरचना

चार्ट-1.6 विगत पाँच वर्षों (2006-11) की अवधि में किये गये कुल व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।





कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय, अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं, 2006-07 के (₹ 11,773 करोड़) से बढ़ कर 2010-11 में (₹ 22,876 करोड़) हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 में कुल व्यय में ₹ 1,966 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः राजस्व व्यय में ₹ 2,090 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि एवं पूँजीगत व्यय में, जिसमें अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों में ₹ 331 करोड़ (37 प्रतिशत) की कमियों के समायोजन के उपरांत ₹ 207 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

राज्य का कुल व्यय 2001-02 से 2009-10 के दौरान संयुक्त वार्षिक विकास दर सामान्य श्रेणी राज्यों के 13.53 प्रतिशत के विरुद्ध 18.16 प्रतिशत था।

वर्ष 2006-11 के दौरान कुल व्यय का विकास दर झूले की प्रवृत्ति प्रदर्शित की एवं नौ से 26 प्रतिशत के दायरे में रहा। कुल व्यय का विकास दर 2010-11 में पिछले पांच वर्षों में 9.40 के अपने न्यूनतम स्तर पर था।


वर्ष 2005-06 से 2010-11 के दौरान कुल व्यय एवं इसकी संरचना का विवरण नीचे तालिका-1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.6 कुल व्यय एवं इसकी संरचना

|                               | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| कुल व्यय                      | 11,773  | 14,473  | 17,226  | 20,910  | 22,876  |
| विकास दर                      | 26.71   | 22.93   | 19.02   | 21.39   | 9.40    |
| राजस्व व्यय                   | 8,802   | 10,840  | 13,794  | 17,265  | 19,356  |
|                               | (75)    | (75)    | (80)    | (83)    | (85)    |
| जिसमें आयोजनेत्तर राजस्व व्यय | 6,194   | 7,264   | 8,373   | 10,448  | 11,287  |
| पूँजीगत व्यय                  | 2,198   | 3,131   | 2,940   | 2,745   | 2,952   |
|                               | (19)    | (22)    | (17)    | (13)    | (13)    |
| ऋण एवं अग्रिम*                | 773     | 502     | 492     | 900     | 569     |
|                               | (07)    | (04)    | (03)    | (04)    | (02)    |

\*अंतर्राज्यीय समाशोधन भी शामिल है (स्रोत: वित्त लेखे)

चार्ट 1.7 वर्ष 2006-11की विगत अवधि तक आर्थिक वर्गीकरण की दृष्टि से कुल व्यय की संरचना चित्रित करता है।



### राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवा के वर्तमान स्तर को बनाये रखने एवं पिछले दायित्वों के भुगतान के लिये किया जाता है और इसीलिये राज्य के बुनियादी सुविधाओं एवं नटर्वक सेवा में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करता है।

कुल व्यय का राजस्व व्यय 85 प्रतिशत था जिसका 58 प्रतिशत आयोजनेतर घटक एवं 42 प्रतिशत आयोजना घटक था (**परिशिष्ट 1.3**)

आयोजना व्यय का हिस्सा जो सामान्यतः सेवाओं के रख रखाव की पूर्ति करता है, कुल राजस्व व्यय के एक प्रतिशत के रूप से 2006-07 में 30 से बढ़ कर 2010-11 में 42 हो गया। 2009-10 के सापेक्ष 2010-11 में आयोजनागत राजस्व व्यय में ₹ 1,252 करोड़ ( 18 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शिक्षा (₹ 758 करोड़) कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹ 303 करोड़ ) एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 290 करोड़ ) की वृद्धि के कारण हुई ।

2010-11 के दौरान आयोजनेतर राजस्व व्यय में ₹ 838 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹ 577 करोड़) क्षतिपूर्ति स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज्य संस्थानों को अधिन्यास (₹ 242 करोड़) पुलिस (₹ 159 करोड़) सामान्य शिक्षा (₹ 127 करोड़) एवं ब्याज भुगतान (₹ 103 करोड़)। तथापि एन.पी.आर.ई. का कुल ब्याज में हिस्सा 2006-07 में 70 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 58 प्रतिशत हो गया ।

आयोजनेतर व्यय (₹ 11,286 करोड़) टी.एच. एफ.सी. के सामान्य प्रक्षेपण (₹ 8,901 करोड़) से 27 प्रतिशत एवं बजट अनुमान (₹ 11,071 करोड़) से दो प्रतिशत अधिक रहा।


## पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय एवं अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम, कुल व्यय का क्रमशः 13 प्रतिशत एवं दो प्रतिशत था राज्य के पूँजीगत व्यय का यौगिक वार्षिक विकास दर सामान्य श्रेणी राज्यों के 22.61 प्रतिशत के सापेक्ष 2001-02 से 2009-10 के दौरान 24.48 प्रतिशत था

2009-10 में सहायता अनुदान अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम पर व्यय का हिस्सा 6.55 प्रतिशत था जो अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋणों एवं अग्रिमों की कमी के कारण वर्ष के दौरान घटकर कुल व्यय का 5.58 प्रतिशत रह गया।

## गतिविधियों की दृष्टि से व्यय की प्रवृत्ति

गतिविधियों की दृष्टि से कुल व्यय (ब्याज भुगतान सहित) सामान्य सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं सहायता अनुदान एवं ऋणों एवं अग्रिमों के व्यय से संगठित मान्य किया जा सकता है। कुल व्यय में इन घटकों का सापेक्ष हिस्सा चार्ट 1.8 में दिया गया है।



वर्ष 2006-07 के दौरान सामान्य सेवाओ पर व्यय 23.05 प्रतिशत था जो 2009-10 के दौरान घटकर कुल व्यय का 21.17 प्रतिशत हो गया एवं 2010-11 के दौरान बढकर कुल व्यय का 23.17 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाओ पर जो व्यय 2006-07 के दौरान 33.66 प्रतिशत था 2009-10 के दौरान बढकर कुल व्यय का 42.21 प्रतिशत हो गया एवं 2010-11 के दौरान घटकर 39.95 प्रतिशत रह गया।

आर्थिक सेवाओ पर व्यय का अंश जो 2006-07 के दौरान 32.69 प्रतिशत था, बढकर, 2007-08 के कुल व्यय का 37.53 प्रतिशत हो गया एवं 2010-11 के दौरान घटकर 31.31 प्रतिशत रह गया।

### 1.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य शासन के राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी सम्मिलित है। तालिका-1.7 एवं चार्ट-1.9 वर्ष 2006-11 के दौरान, इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।


तालिका-1.7: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

| प्रतिबद्ध व्यय के घटक          | 2006-07             | 2007-08             | 2008-09             | 2009-10             | 2010-11          |                                  |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|
|                                |                     |                     |                     |                     | बी.ई.            | वास्तविक व्यय                    |
| वेतन एवं मजदूरी पर व्यय जिसमें | 2,534.16<br>(22.13) | 2,965.01<br>(21.36) | 3,670.34<br>(23.43) | 5,646.29<br>(31.10) | 7,147.77         | 6,362.92 <sup>8</sup><br>(28.01) |
| आयोजनेत्तर शीर्ष               | 2,030.83            | 2,307.68            | 2,772.46            | 4,016.30            | एन.ए             | 4,338.28                         |
| आयोजना शीर्ष**                 | 503.33              | 657.33              | 897.88              | 1,629.99            | एन.ए             | 2,024.64                         |
| अनुदान से वेतन                 | एन.ए                | एन.ए                | 115.60<br>(0.74)    | 133.71<br>(0.74)    | एन.ए             | 708.33<br>(3.12)                 |
| ब्याज भुगतान                   | 1,026<br>(8.96)     | 1,140<br>( 8.21)    | 1,077.53<br>(6.88)  | 1,094.86<br>(6.03)  | 1,808.05         | 1,198.38<br>(5.27)               |
| पेंशन पर व्यय                  | 546.08<br>(4.77)    | 684.58<br>(4.93)    | 930.77<br>(5.94)    | 1,233.76<br>(6.80)  | 1,233.85         | 1,810.33<br>(7.97)               |
| सब्सिडी                        | 361.07<br>(3.15)    | 802.55<br>(5.78)    | 1,314.68<br>( 8.39) | 1,994.30<br>(10.99) | 1,839.97         | 1,763.83<br>(7.76)               |
| <b>कुल व्यय</b>                | <b>4,467.31</b>     | <b>5,592.14</b>     | <b>7,108.92</b>     | <b>10,102.92</b>    | <b>12,029.64</b> | <b>11,843.79</b>                 |

कोष्ठक में दिये गये आँकड़े राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत दर्शाते हैं  
 \*\*केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अधीन आयोजना शीर्ष में भी वेतन एवं मजदूरी शामिल है।  
 एन ए: उपलब्ध नहीं

(स्रोत: राज्य शासन के वित्त लेखे 2010-11)



8 इसमें वेतन ₹ 5,988.09 करोड़ एवं मजदूरी ₹ 374.83 करोड़ शामिल है।

कुल प्रतिबद्ध व्यय 2006-07 के ₹ 4,467 करोड़ में ₹ 7,377 करोड़ की वृद्धि के कारण 2010-11 में ₹ 11,844 करोड़ हो गया। 2010-11 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 61 प्रतिशत एवं राजस्व प्राप्तियों का 52 प्रतिशत था। घटकवार विश्लेषण नीचे दिया गया है।

**(1) वेतन एवं मजदूरी पर व्यय**

वेतन एवं मजदूरी व्यय में वृद्धि ₹ 716.63 करोड़ हुई जो 2009-10 के ₹ 5,646.29 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 6,362.92 करोड़ हो गया एवं सहायता अनुदान (जी आई ए)<sup>9</sup> के माध्यम से वेतन भुगतान 2009-10 के ₹ 113.71 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 708.33 करोड़ हो गया। यह वृद्धि छठवें वेतन आयोग के द्वितीय किस्त के बकाया राशि के भुगतान के कारण थी।

राज्य के वेतन एवं मजदूरी के यौगिक वार्षिक विकास दर 2001-02 से 2009-10 के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों के 11.45 प्रतिशत के विरुद्ध 15.15 प्रतिशत थी।

वेतन एवं मजदूरी व्यय राज्य शासन के वर्ष 2010-11 के अपने बजट अनुमान में किये गये आकलन (₹ 746 करोड़) की तुलना में 11 प्रतिशत कम थी। तथापि, वर्ष 2010-11 में आयोजनेत्तर वेतन एवं मजदूरी व्यय टी.एच.एफ.सी. द्वारा किये गये अपने आकलन (₹ 790 करोड़) की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक थी।

**(2) पेंशन व्यय**

पेंशन व्यय में 46.73 प्रतिशत (₹ 576.57 करोड़) की वृद्धि हुई, जो 2009-10 के ₹ 1,233.76 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 1,810.33 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः छठवें वेतन आयोग के अनुशंसाओं के अनुसार पेंशन के पुनरीक्षण एवं पेंशन की सहायता राशि में वृद्धि के कारण हुई।

राज्य के पेंशन व्यय में यौगिक वार्षिक विकास दर 2001-02 से 2009-10 के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों के 14.09 प्रतिशत के विरुद्ध 13.21 प्रतिशत थी।

पेंशन पर व्यय राजस्व व्यय का 9 प्रतिशत था, राजस्व प्राप्तियों की 7.97 प्रतिशत राशि की खपत हुई तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का 16.04 प्रतिशत था।

राज्य शासन द्वारा 2010-11 के अपने बजट प्राक्कलन में प्रक्षेपित (₹ 1,233.85 करोड़) से 46.72 प्रतिशत (₹ 576.48 करोड़) पेंशन पर अधिक व्यय हुआ।

टी.एच.एफ.सी. द्वारा किये गये प्रक्षेपण के अनुसार 2010-11 के अंत में पेंशन भुगतान पर ₹ 984 करोड़ का व्यय होना चाहिए। 2010-11 के दौरान टी.एच.एफ.सी. के मानकों से पेंशन पर वास्तविक भुगतान ₹ 826 करोड़ (84 प्रतिशत) अधिक हुआ।

**(3) ब्याज भुगतान**

ब्याज भुगतान, आंतरिक ऋणों पर भारित ब्याज, भारत सरकार से लिए गए कर्जे तथा अन्य देयताएं शामिल है यह 2009-10 के ₹ 1,094.86 करोड़ में ₹ 103 करोड़ की वृद्धि सहित बढ़कर 2010-11 में ₹ 1,198.38 करोड़ हो गया।

<sup>9</sup> शिक्षा, खेलकूद, कला एवं सस्कृति, कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान के माध्यम से दिया गया वेतन भत्ता शामिल है।

वर्ष 2010-11 के लिए ब्याज भुगतान (₹ 1,198 करोड़) टी.एच.एफ.सी. द्वारा किये गये प्रक्षेपण (₹ 1,578 करोड़) की सीमा के भीतर था। चालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय एक प्रतिशत के रूप में क्रमशः पांच एवं छः था।

**(4) सब्सिडी पर व्यय**

अवधि (2006-11) के दौरान राज्य शासन द्वारा किये गये सब्सिडी के भुगतान का विवरण तालिका-1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.9: 2006-11 के दौरान शासन द्वारा दिये गए सब्सिडी का विवरण

(₹ करोड़ में)

| शीर्ष                      | 2006-07       | 2007-08       | 2008-09         | 2009-10         | 2010-11         |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 0.32          | 0.44          | 946.28          | 1,288.78        | 886.73          |
| कृषि                       | 35.93         | 39.35         | 41.23           | 41.00           | 40.07           |
| मत्स्य पालन                | 0.00          | 0.55          | 0.41            | 0.47            | 0.75            |
| वानिकी एवं वन्य जीवन       | 28.52         | 19.53         | 10.09           | 10.00           | 10.00           |
| खाद्य भण्डारण एवं भांडागार | 157.01        | 606.16        | 109.47          | 406.61          | 488.65          |
| सहकारिता                   | 9.24          | 7.50          | 40.03           | 46.00           | 83.07           |
| लघु सिंचाई                 | 6.99          | 8.09          | 10.49           | 10.62           | 11.01           |
| उर्जा                      | 112.87        | 110.14        | 128.04          | 150.10          | 202.10          |
| ग्रामीण एवं लघु उद्योग     | 6.98          | 9.66          | 24.27           | 39.26           | 37.71           |
| उद्योग                     | 3.20          | 1.13          | 4.37            | 1.46            | 3.72            |
| <b>योग</b>                 | <b>361.06</b> | <b>802.55</b> | <b>1,314.68</b> | <b>1,994.30</b> | <b>1,763.81</b> |

(स्रोत - वित्त लेखे)

सब्सिडी पर व्यय 2009-10 के ₹ 1,994.30 करोड़ से ₹ 230.49 करोड़ की कमी के बाद 2010-11 में ₹ 1,763.81 करोड़ हो गया। यह राजस्व व्यय का नौ प्रतिशत रहा। 2010-11 के दौरान सब्सिडी के मुख्य प्राप्तकर्ता कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां<sup>10</sup> (₹ 6,22.54 करोड़), ऊर्जा (₹ 202.10 करोड़) एवं सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार (₹ 886.73 करोड़) थे।

**1.4.3 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता**

विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदान तथा ऋण के रूप में प्रदत्त वित्तीय सहायता की राशि तालिका-1.10 में प्रस्तुत है।

<sup>10</sup> कृषि मत्स्य पालन, वानिकी एवं वन्य जीवन, खाद्य भण्डारण एवं वेयर हाउसिंग एवं सहकारिता शामिल है।

**तालिका-1.10: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता**

(₹ करोड़ में)

| संस्थाओं को वित्तीय सहायता   | 2006-07         | 2007-08         | 2008-09         | 2009-10         | 2010-11         |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| शैक्षणिक संस्थायें (सहायता प्राप्त स्कूलों सहायता प्राप्त महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों आदि) | 75.91           | 98.86           | 83.82           | 83.90           | 144.82          |
| बिजली/ऊर्जा  | 572.13          | 135.13          | 118.00          | 65.05           | 101.05          |
| कृषि   | 25.31           | 16.81           | 19.78           | 26.50           | 37.50           |
| नगरीय निकाय  | 544.84          | 618.15          | 737.26          | 577.71          | 905.50          |
| पंचायती राज संस्थायें  | 763.82          | 955.14          | 1,299.47        | 1,520.71        | 1,835.92        |
| अन्य संस्थायें   | 219.79          | 183.17          | 304.72          | 478.25          | 376.43          |
| <b>योग</b>   | <b>2,201.80</b> | <b>2,007.26</b> | <b>2,563.05</b> | <b>2,752.12</b> | <b>3,401.22</b> |
| राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता   | 25.01           | 18.52           | 18.58           | 15.94           | 17.57           |

(स्रोत: वित्त एवं विनियोग लेखा)

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2006-07 के ₹ 2,201.80 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 3,401.22 करोड़ हो गया, गत वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की गई। वर्ष 2010-11 के दौरान, राज्य शासन द्वारा वित्तीय सहायता मुख्यतः शहरी स्थानीय निकायों (26 प्रतिशत), पंचायती राज संस्थाओं (54 प्रतिशत) एवं अन्य संस्थाओं (11 प्रतिशत) को प्रदान की गई थी।

**1.5 व्यय की गुणवत्ता**

राज्य में बेहतर सामाजिक तथा भौतिक आधारभूत ढाँचे की उपलब्धता सामान्य रूप से उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करता है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मुख्यतः तीन पहलू शामिल हैं जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् जन सेवा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रावधान हो), व्यय के उपयोग की कुशलता तथा प्रभावीपन (चुनी हुई सेवाओं के लिए लागत परिणाम संबंधों का आकलन)।

**1.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता**

सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं से संबंधित व्यय का दायित्व मुख्य रूप से राज्य शासन को सौंपा गया है। मानव विकास के स्तरों के उन्नयन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य मुख्य सामाजिक सेवायें जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय में बढ़ोत्तरी करे। किसी राज्य विशेष द्वारा, किसी सेवा पर निम्न स्तर के व्यय का कारण राज्य शासन द्वारा दी गई कम राजकोषीय प्राथमिकता हो सकती है। किसी क्षेत्र विशेष को निम्न राजकोषीय प्राथमिकता दी जाती है (समग्र व्यय से श्रेणी व्यय का अनुपात) यदि वहाँ सेवा का स्तर संबंधित सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम हो।

**तालिका-1.11** 2010-11 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं के लिए व्यय एवं पूँजीगत व्यय के संदर्भ में राज्य शासन के राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण करता है।

**तालिका-1.11: वर्ष 2007-08 एवं 2010-11 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता**

| राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता *               | एई/<br>जीएसडीपी | डीई#<br>/एई | एसएई/<br>एई | सीई/एई | शिक्षा/एई | स्वास्थ्य /एई |
|--|-----------------|-------------|-------------|--------|-----------|---------------|
| सामान्य श्रेणी राज्य औसत<br>(अनुपात) 2007-08 | 17.09           | 64.28       | 32.54       | 16.14  | 14.64     | 3.98          |
| छत्तीसगढ़ राज्य का औसत (अनुपात)<br>2007-08   | 18.03           | 74.44       | 33.90       | 25.10  | 16.12     | 4.92          |
| सामान्य श्रेणी राज्य औसत<br>(अनुपात) 2010-11 | 16.68           | 64.29       | 36.68       | 13.25  | 17.39     | 4.34          |
| छत्तीसगढ़ राज्य का औसत (अनुपात)<br>2010-11   | 17.64           | 73.69       | 40.23       | 15.39  | 19.17     | 3.70          |

\* जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में

एई: एग्रीगेट एक्सपेंडीचर (कुल व्यय) डीई: डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर (पूंजीगत एवं राजस्व एवं सवितरित ऋण एवं अग्रिम विकास व्यय शामिल है) एसएसई: सोशल सेक्टर एक्सपेंडीचर (सामाजिक क्षेत्र व्यय) सीई: केपिटल एक्सपेंडीचर (पूंजीगत व्यय)

# विकास व्यय के अंतर्गत आर्थिक सेवाओं से संबंधित व्यय एवं सामाजिक सेवाओं से संबंधित व्यय शामिल है।

**तालिका-1.11 निम्न संकेत देता है**

- 1 छत्तीसगढ़ सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में अपने जी.एस.डी.पी. का बहुत बड़ा हिस्सा समग्र व्यय के रूप में व्यय करता रहा है।
- 2 समग्र व्यय के हिस्से के रूप में विकास व्यय 2007-08 के दौरान एवं चालू वर्ष में भी छत्तीसगढ़ में, सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में सीमांततः उच्च है। विकास व्यय के अंतर्गत आर्थिक सेवाओं से संबंधित व्यय एवं सामाजिक सेवाओं से संबंधित व्यय दोनों शामिल है।
- 3 समग्र व्यय के अनुपात के रूप में पूंजीगत व्यय के अनुपात को 2007-08 के दौरान एवं चालू वर्ष में भी उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। भौतिक पूंजी निर्माण की बढ़ी हुई प्राथमिकता से राज्य में टिकाऊ परिसम्पत्तियों के सृजन की संभावनाएं आगे और बढ़ेगी।
- 4 छत्तीसगढ़ ने 2007-08 में शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों को समुचित महत्व दिया है लेकिन चालू वर्ष में सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र को कम प्राथमिकता दी गई है।

**1.5.2 व्यय के उपयोग की कुशलता**

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर लोक व्यय की महत्ता की दृष्टि से, राज्य शासन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यय को तर्कसंगत बनाने के लिए समुचित उपाय करें एवं लोक केन्द्रक एवं महत्व की वस्तुओं<sup>11</sup> के लिए प्रावधान पर

<sup>11</sup> कोर जन सामग्री, सभी नागरिक जिसका सार्वजनिक उपयोग करते हैं इस अर्थ में कि प्रत्येक व्यक्ति के ऐसे सामग्री के उपभोग से अन्य किसी व्यक्ति के उस सामग्री के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है- उदाहरण के लिए कानून एवं व्यवस्था लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं वातावरण से संबंधित अन्य सामग्री एवं सड़क अद्योसंरचना इत्यादि। उच्चगुणवत्ता सामग्री उपयोगी वस्तु है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा सस्ते दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज के पास, सरकार को अदायगी की सम्मति एवं सामर्थ्य के बजाय कुछ जरूरत के विचार से उपलब्ध होना चाहिए एवं इसलिए उनके खपत को प्रोत्साहित करने की इच्छा करता है। ऐसे सामग्रियों के उदाहरण में पोषण आहार में सहायता हेतु गरीबों के लिए सस्ते या मुफ्त भोजन का प्रावधान, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना एवं रूग्णता को कम करने सभी के लिए बुनियादी शिक्षा पेयजल एवं स्वच्छता मुहैया कराना है।



जोर दे। विकास व्यय<sup>12</sup> के आवंटन में सुधार के अलावा, खासकर, अभी पिछले कुछ वर्षों में ऋण अदायगी/भुगतान में गिरावट के कारण राजकोषीय रिक्तता की दृष्टि से व्यय के उपयोग की कुशलता, कुल व्यय और/अथवा जीएसडीपी से पूंजीगत व्यय के अनुपात से परिलक्षित होता है एवं राजस्व व्यय का अंश विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संचालन एवं रखरखाव पर व्यय किया जाता रहा। कुल व्यय (और/या जीएसडीपी) से इन घटकों का जितना ऊँचा अनुपात होगा, उतनी बेहतर व्यय की गुणवत्ता होगी। **तालिका-1.12** चालू वर्ष के दौरान बजट अनुमान की तुलना में चालू वर्ष के दौरान समग्र व्यय के संदर्भ में विकास व्यय एवं विगत वर्षों के समग्र व्यय के संदर्भ में विकास व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

**तालिका-1.12: विकास व्यय**

(₹ करोड़ में)

| विकास व्यय के घटक      | 2006-07       | 2007-08        | 2008-09        | 2009-10        | 2010-11    |                |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|                        |               |                |                |                | बजट अनुमान | वास्तविक व्यय  |
| विकास व्यय (अ से स)    | 8,578<br>(73) | 10,773<br>(74) | 12,995<br>(75) | 16,002<br>(77) | 19,010     | 16,857<br>(73) |
| अ. विकास राजस्व व्यय   | 5,687<br>(48) | 7,257<br>(50)  | 9,676<br>(56)  | 12,447<br>(60) | 14,113     | 13,401<br>(59) |
| ब. पूंजीगत विकास व्यय  | 2,123<br>(18) | 3,024<br>(21)  | 2,838<br>(16)  | 2,668<br>(13)  | 3,969      | 2,899<br>(13)  |
| स. विकास ऋण एवं अग्रिम | 768<br>(07)   | 492<br>(03)    | 481<br>(03)    | 887<br>(04)    | 928        | 557<br>(02)    |

कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

(स्रोत: वित्त लेखे)

वास्तविक अर्थों में राज्य के समग्र व्यय के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय में 2009-10 तक नियमित रूप से वृद्धि हुई। तथापि, सही अर्थों में आंशिक वृद्धि के बावजूद, समग्र व्यय के एक प्रतिशत के रूप में यह 2009-10 के 77 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 73 प्रतिशत रह गया। कुल विकास व्यय गतवर्ष की तुलना में 2010-11 में ₹ 855 करोड़ (पाँच प्रतिशत) बढ़ा यह मुख्यतः राजस्व विकास व्यय में (आठ प्रतिशत) एवं पूंजीगत विकास व्यय में (नौ प्रतिशत) वृद्धि, ऋणों एवं अग्रिमों में 37 प्रतिशत की कमी के कारण हुई।

राज्य के समग्र व्यय के एक प्रतिशत के रूप में पूंजीगत विकास व्यय 2009-10 की तुलना में 2010-11 के दौरान एक सा ही रहा। तथापि, ऋणों एवं अग्रिमों पर विकास व्यय के एक प्रतिशत के रूप में विकास व्यय 2009-10 के चार प्रतिशत से घटकर 2010-11 में दो प्रतिशत हो गया।

**तालिका 1.13** चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किये गये पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करता है।

<sup>12</sup> व्यय के आँकड़ों के विश्लेषण से विकास एवं गैर विकास व्यय को पृथक किया जाता है। राजस्व लेखे पूंजीगत व्यय एवं ऋणों तथा अग्रिमों से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवायें, आर्थिक सेवायें एवं सामान्य सेवायें की श्रेणियों में स्थापित करता है। स्पष्टतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें विकास व्यय को स्थापित करता है जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय गैर विकास व्यय के रूप में व्यवहार किया जाता है।

तालिका 1.13 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किये गये व्यय की कार्य कुशलता

(प्रतिशत में)

| सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना                | 2009-10              |                                    |                 | 2010-11              |                               |                               |
|---|----------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   | सीई से टीई का अनुपात | पुनः अनुमान में, का अंश<br>अनुक्षण | वेतन एवं मजदूरी | सीई से टीई का अनुपात | राजस्व व्यय का अंश<br>अनुक्षण | वेतन एवं मजदूरी <sup>13</sup> |
| <b>सामाजिक सेवाएँ (एसएस)</b>            |                      |                                    |                 |                      |                               |                               |
| योग सामाजिक सेवाएँ जिनमें               | 3.84                 | 0.84                               | 39.92           | 3.62                 | 1.22                          | 42.08                         |
| सामान्य शिक्षा                          | 0.57                 | 0.32                               | 52.85           | 1.10                 | 0.37                          | 45.84                         |
| लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण         | 0.46                 | 0.55                               | 73.61           | 0.75                 | 0.45                          | 75.41                         |
| जल आपूर्ति सफाई एवं आवास एवं शहरी विकास | 1.69                 | 4.31                               | 10.07           | 0.81                 | 4.21                          | 14.20                         |
| <b>आर्थिक सेवाएँ (इएस)</b>              |                      |                                    |                 |                      |                               |                               |
| योग (आर्थिक सेवाएँ जिनमें)              | 8.92                 | 7.23                               | 27.00           | 9.05                 | 4.35                          | 25.84                         |
| कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ              | 0.32                 | 1.08                               | 30.51           | 0.23                 | 1.08                          | 29.78                         |
| सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण                | 4.64                 | 4.57                               | 63.28           | 4.54                 | 7.63                          | 74.46                         |
|   |                      |                                    |                 |                      |                               |                               |
|   |                      |                                    |                 |                      |                               |                               |

टीई: टोटल एक्सपेंडीचर (कुल व्यय); सीई: कैपिटल एक्सपेंडीचर (पूंजीगत व्यय); आरई: रेवेन्यू एक्सपेंडीचर (राजस्व व्यय); एस एण्ड डब्लू सेलेशिज एण्ड वेजेस (मजदूरी); मैन्टीनेंस (प्रचालन एवं अनुक्षण) प्रचालन व्यय शामिल नहीं है।  
(स्रोत: वित्त लेख)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि सामाजिक सेवा पर पूंजीगत व्यय का अंश 3.84 प्रतिशत से घटकर 3.62 प्रतिशत एवं आर्थिक सेवा पर (पूंजीगत) व्यय 8.92 प्रतिशत से बढ़कर उसी अवधि में 9.05 प्रतिशत हो गया।

**सामाजिक सेवाओं पर व्यय**

सामाजिक सेवा पर पूंजीगत व्यय 2009-10 में ₹ 802.10 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 827.60 करोड़ हो गया लेकिन सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय के अंश में कमी आई है 2009-10 के 3.84 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 3.62 प्रतिशत रह गया।

सामाजिक सेवाओं के अधीन राजस्व व्यय में वेतन का अंश 2009-10 के 39.92 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 42.08 प्रतिशत हो गया, यह मुख्यतः छठवें वेतन आयोग के द्वारा द्वितीय किस्त के भुगतान से वेतन के अंश में बढ़ोत्तरी हुई।

अनुक्षण के प्रकरण में व्यय में वृद्धि 2010-11 में 0.84 से 1.22 प्रतिशत हुई।

**आर्थिक सेवाओं पर व्यय**

आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में ₹ 1,866.01 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में 2,071.04 करोड़ हो गया लेकिन आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अंश 2009-10 में 8.92 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 9.05 प्रतिशत हो गया।

<sup>13</sup> सहायता अनुदान के माध्यम से वेतन भुगतान शामिल है।

राजस्व व्यय के अधीन आर्थिक सेवाओं में वेतन का अंश 27 प्रतिशत से घटकर 25.84 प्रतिशत हो गया। अनुरक्षण के प्रकरण में व्यय 7.23 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 4.35 प्रतिशत रह गया।

## 1.6 सरकारी व्यय एवं निवेश का विश्लेषण

राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम की वर्तमान रूपरेखा में राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि राजकोषीय घाटा (एवं उधारियों) को निम्न स्तर पर रखें एवं पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इसके अतिरिक्त बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता की स्थिति में परिवर्तन के लिए राज्य शासन को अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल उपाजित करने हेतु एवं उधार ली गई निधियों की लागत का भार सब्सिडी के रूप में अपने बजट पर रखने के बजाय इसकी वसूली के लिए पहल करना चाहिये एवं वित्तीय संचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिये। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान शासन द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूंजीगत व्यय का यह अनुमान विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

### 1.6.1 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण निर्माण कार्यों, जिनमें मुकदमें बाजी इत्यादि जैसे कारणों से रोके गये कार्य शामिल हैं, पर निधियों के अवरुद्ध होने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। मार्च 2011 के अन्त में, 78 अपूर्ण परियोजनाएँ, प्रत्येक ₹ एक करोड़ या अधिक लागत के थे, की जानकारी तालिका-1.14 में दी गई है जिनकी लागत राशि ₹ 2,449 करोड़ थी।

तालिका-1.14: विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| विभाग             | अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या | प्रारंभिक बजट में सम्मिलित लागत | परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत | व्यय/लागत आधिक्य | 31.3.2011 की स्थिति में संचयी वास्तविक व्यय |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|---|
| लोक निर्माण विभाग | 49                          | 1,144.15                        | 1407.86                           | 0.81             | 498.69                                      |
| जल संसाधन विभाग   | 29                          | 867.53                          | 1041.45                           | 4.05             | 388.72                                      |
| <b>योग</b>        | <b>78</b>                   | <b>2,011.68</b>                 | <b>2449.30</b>                    | <b>4.86</b>      | <b>887.41</b>                               |

(स्रोत: 2010-11 के वित्त लेखे)

₹ 2011.68 करोड़ की प्रारंभिक बजट लागत के 78 निर्माण कार्य जिन्हे मार्च 2011 से पूर्व, पूर्ण किया जाना था, मार्च 2011 तक ₹ 887.41 करोड़ का प्रगामी व्यय किया गया था। पांच प्रकरणों में समग्र रूप से ₹ 4.86 करोड़ की अधिक लागत आई। उपरोक्त परियोजनाओं को पूरा करने में 6 माह से 5 वर्ष तक का अधिक समय लगा (सितम्बर 2011)

31 मार्च 2011 तक के लोक निर्माण विभाग में अपूर्ण कार्यों का क्षेत्रवार संख्या के साथ साथ प्रगति शील व्यय को तालिका 1.15 में दर्शाया गया।

**तालिका 1.15 अपूर्ण कार्यों का क्षेत्रवार विभाजन**

(₹ करोड़ में)

| कारण  | अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या | 31 मार्च 2011 की स्थिति में प्रगामी व्यय |
|---|-----------------------------|--|
| ठेकेदार द्वारा धीमी प्रगति                  | 15                          | 166.51                                   |
| नक्सली समस्या                               | 3                           | 62.50                                    |
| भूमि की अनुपलब्धता/भूमि अधिग्रहण में विलम्ब | 5                           | 55.03                                    |
| रेल्वे पश्चिन्न                             | 5                           | 47.40                                    |
| पुनरीक्षित अनुमोदित प्राक्कलन               | 3                           | 35.98                                    |
| मूल ठेकेदार द्वारा छोड़े गये अपूर्ण कार्य   | 4                           | 33.33                                    |
| न्यायालय प्रकरण के कारण विलम्ब              | 1                           | 9.31                                     |
| वन की सफाई                                  | 3                           | 4.85                                     |
| डिजाईन नक्शा में परिवर्तन                   | 2                           | 0.42                                     |
| अन्य कारण                                   | 8                           | 83.36                                    |
| <b>योग</b>                                  | <b>49</b>                   | <b>498.69</b>                            |

स्रोत - कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि लोक निर्माण विभाग के (प्रत्येक कार्य का मूल्य ₹ एक करोड़ या इससे अधिक लागत वाले) 49 अपूर्ण कार्यों पर 2010-11 तक ₹ 98.69 करोड़ का व्यय किया गया। आगे, लम्बित बिलों के भुगतान पर ₹ 180.86 करोड़ का बकाया दायित्व सृजित की गई। इसके फलस्वरूप ₹ 679.55 करोड़ की निधियां अवरुद्ध रही। जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजनाओं के कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं होने के कारणों की जानकारी विभाग द्वारा नहीं सूचित किये गये थे।

**1.6.2 निवेश एवं प्रतिफल**

31 मार्च 2011 की स्थिति में, शासन द्वारा ₹ 259.92 करोड़ सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त पूंजी (स्टाक) कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में निवेश किये गये थे (तालिका-1.16) इन निवेशों पर औसत प्रतिफल 1.65 प्रतिशत था जबकि 2010-11 के दौरान, शासन द्वारा इसके लिए ली गई उधारियों पर 7.34 प्रतिशत के औसत दर से ब्याज भुगतान किया गया। उधार ली गई निधियों, जो पर्याप्त वित्तीय प्रतिफल नहीं देते, के निवेश हेतु सतत उपयोग में लाये जाने से कोई टिकाउ वित्तीय स्थिति प्राप्त नहीं होगी। शासन को उच्च लागत के निधियों के निवेश के लिए पर्याप्त औचित्य सुनिश्चित करना चाहिये।

**तालिका-1.16: निवेश का प्रतिफल**

| निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत                | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में) *      | 159.64  | 400.95  | 430.01  | 251.67  | 259.92  |
| निवेश का प्रतिफल (₹ करोड़ में)             | 0.00    | 0.10    | 0.10    | 0.44    | 4.30    |
| निवेश का प्रतिफल (प्रतिशत)                 | 0.00    | 0.02    | 0.02    | 0.17    | 1.65    |
| शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)      | 7.49    | 7.97    | 7.36    | 7.13    | 7.34    |
| ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत) | 7.49    | 7.95    | 7.34    | 6.96    | 5.69    |

\* वर्ष के अंत में निवेश में, निवेश का अविभाजित अंश शामिल नहीं है।

2010-11 तक निवेशित ₹ 259.92 करोड़ में से ₹ 147.17 करोड़ 26 सहकारी संस्थाओं में, ₹ 78.06 करोड़ सरकारी कम्पनियों/मंडलों एवं विभागों में, ₹ 21.86 करोड़ दो सांविधिक निगमों में, ₹ 10.21 करोड़ ग्रामीण बैंकों एवं ₹ 2.63 करोड़ संयुक्त पूंजी (स्टॉक) कम्पनियों में निवेश किये गये थे।

विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, ग्रामीण बैंकों इत्यादि में निवेश करने के लिए कोई स्थापित मानक निर्धारित नहीं है।

### 1.6.3 राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त, शासन इनमें से बहुत से संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती रही है। तालिका-1.17 31 मार्च 2011 की स्थिति में बकाया ऋणों एवं अग्रिमों एवं विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करता है।

तालिका-1.17: राज्य शासन द्वारा दिये गये कर्ज पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

| ऋणों की तादाद/ब्याज प्राप्तियों/उधारियों की लागत                              | 2008-09         | 2009-10         | 2010-11         |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| प्रारंभिक शेष   | 1,667.38        | 1,625.53        | 1,529.89        |
| वर्ष के दौरान दी गई राशि  | 490.75          | 896.79          | 566.55          |
| वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि   | 533.42          | 992.43          | 561.16          |
| <b>अंतशेष</b>   | <b>1,624.71</b> | <b>1,529.89</b> | <b>1,535.28</b> |
| जिनमें बकाया शेष जिसके लिए शर्तें तय कर ली गई हैं।                            | एन.ए.           | 1,517.60        | 1,523.68        |
| निबल वृद्धि   | (-)42.67        | (-) 95.64       | (+)5.39         |
| ब्याज प्राप्तियाँ   | 121.89          | 71.63           | 79.86           |
| बकाया ऋणों तथा अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियों का प्रतिशत                       | 7.40            | 4.54            | 5.21            |
| राज्य शासन के बकाया राजकोषीय देनदारियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत            | 7.36            | 7.13            | 7.34            |
| राज्य शासन द्वारा उधारों पर चुकाई गई एवं ब्याज प्राप्ति भिन्नता (प्रतिशत में) | (+)0.04         | (-)2.59         | (-)2.13         |

मार्च 2011 की स्थिति में शासन के बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹ 1,535.28 करोड़ के थे जिसमें से सामान्य सेवाओं के लिए ऋण ₹ 136.11 करोड़ सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण ₹ 756.74 करोड़ एवं आर्थिक सेवाओं के लिए ₹ 653.49 करोड़ के ऋण बकाया थे। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का समायोजन सरकारी कर्मचारियों से ₹ 11.05 करोड़ की वसूली के द्वारा किया गया इन ऋणों एवं अग्रिमों के विरुद्ध ब्याज प्राप्तियों का प्रतिशत गत वर्ष के 4.54 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2010-11 के दौरान 5.21 प्रतिशत था।

### 1.6.4 नगदी शेष एवं नगदी शेष का निवेश

तालिका-1.18 नगदी शेष तथा वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा नगदी शेष में से किये गये निवेश को चित्रित करता है।

**तालिका-1.18: नगदी शेष एवं नगदी शेष का निवेश**

(₹ करोड़ में)

| विवरण  | 1 मार्च 2010 की स्थिति में | 31 मार्च 2011 की स्थिति में | वृद्धि (+)/कमी (-) |
|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| नगदी शेष (अ+ब+स)   | 1,569.66                   | 2,712.22                    | 1,142.56           |
| <b>अ. सामान्य नगदी शेष</b>   |                            |                             |                    |
| 1. रिजर्व बैंक के पास जमा  | (-)554.81                  | (-)1,480.73                 | (-)925.92          |
| 2. प्रेषण ट्राजिट में  | (-) 0.25                   | 0.00                        | 0.25               |
| 3. नगदी शेष से निवेश (अ से द)  | 1,364.05                   | 3,380.80                    | 2,016.75           |
| (अ) भारत सरकार के ट्रेजरी बिल्स  | (-) 363.57                 | 2,016.75                    | 2,380.32           |
| (ब) भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ   | 1,727.62                   | 1,364.05                    | (-) 363.57         |
| (स) अन्य प्रतिभूतियाँ (यदि कोई हो, लिखें)  | 0.00                       | 0.00                        | 0.00               |
| (द) अन्य निवेश   | 0.00                       | 0.00                        | 0.00               |
| <b>योग (अ) सामान्य नगदी शेष (1 से 3)</b>   | <b>808.99</b>              | <b>1,900.07</b>             | <b>1,091.08</b>    |
| <b>ब. अन्य नगदी शेष एवं निवेश (विभागीय अधिकारियों के पास नगदी/ स्थाई अग्रिम)</b> | <b>11.30</b>               | <b>13.11</b>                | <b>1.81</b>        |
| चिन्हित शेष राशि से निवेशों का निधिवार विभाजन (अ से द)                           | 749.37                     | 799.04                      | 49.67              |
| (अ) डूबत निधि  | 746.94                     | 796.94                      | 50                 |
| (ब) अकाल राहत निधि   | 1.41                       | 1.32                        | (-) 0.09           |
| (स) राजस्व आरक्षित निधि  | 0.97                       | 0.73                        | (-) 0.24           |
| (द) विकास एवं कल्याण निधि  | 0.05                       | 0.05                        | 0.00               |
| <b>ब्याज वसूलियाँ</b>  | <b>149.07</b>              | <b>89.73</b>                | <b>59.34</b>       |

(स्रोत- वित्त लेखे 2010-11)

भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) के पास रखे जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम नगदी शेष ₹ 0.72 करोड़ के विरुद्ध राज्य (शासन) ने 2010-11 के दौरान प्रत्येक माह के अंतिम दिन ₹ 824 करोड़ से ₹ 3,241 करोड़ के दायरे में नगदी शेष बनाये रखा। बारी बारी से नगदी शेष आधिक्य को राज्य शासन द्वारा भारत सरकार (जी.ओ. आई) के ट्रेजरी बिलों एवं जी.ओ. आई प्रतिभूतियों पर अल्पावधि जमा के माध्यम से निवेश किया गया एवं 2010-11 के दौरान ₹ 89.73 करोड़ का कुल ब्याज अर्जित किया। जहां राज्य ने इस जमा राशियों पर 2.65 प्रतिशत के औसत दर से ब्याज अर्जित किया इसने अपने बाजार के उधारियों पर 7.34 प्रतिशत के औसत दर से ब्याज भुगतान किया। एफ.आर.बी.एम एक्ट द्वारा अनुशंसित नगदी शेष को कम ब्याज वाले निवेशों में अवरुद्ध रखने के बजाय यह शासन के लिए अधिक बुद्धिमत्ता पूर्ण होगा कि उपलब्ध अधिकतम सीमा से बाहर नगदी से उच्च लागत वाले ऋणों से निवृत्त हों।

**1.7 परिसंपत्तियां एवं दायित्व**

**1.7.1 विकास एवं परिसम्पत्तियों और दायित्वों की संरचना**


प्रचलित सरकारी लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों जैसे भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2010 के समरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2011 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों के सार को परिशिष्ट 1.4 प्रस्तुत करता है जबकि इस परिशिष्ट के दायित्वों में, मुख्य रूप से आंतरिक उधारियों भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, परिसम्पत्तियों, में

मुख्य रूप से पूँजीगत व्यय, राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नगदी शेष सम्मिलित है।

जबकि दायित्वों का विकास दर वर्ष 2009-10 के 8.98 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 4.13 प्रतिशत रह गया एवं परिसम्पत्तियों का विकास दर 11.99 प्रतिशत से बढ़कर 19.17 प्रतिशत इसी अवधि के दौरान हो गया।

### 1.7.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्वों की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट-1.4** में प्रस्तुत किया गया है। तथापि, गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्वों की संरचना **चार्ट-1.10** एवं **1.11** में प्रस्तुत है।



दायित्व दो प्रकार के हैं - लोक ऋण एवं अन्य दायित्व। लोक ऋण में राज्य के आंतरिक ऋण का समावेश रहता है एवं समेकित निधि के अधीन पूँजीगत लेखा के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरणी में प्रतिवेदित की जाती है। इसमें बाजार ऋण, आर.बी.आई. के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ एवं भारत सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। भारत के संविधान में वर्णित है कि राज्य, भारत की सीमा के भीतर समेकित निधि के प्रतिभूति के आधार पर उस सीमा तक जितना की समय-समय पर विधान मंडल द्वारा पारित कानून के द्वारा निर्धारित किया गया हो एवं उस सीमा तक जितना निर्धारित किया गया हो गारंटी दे सकता है। अन्य दायित्व अथवा राजकोषीय दायित्व जो लोक लेखे का हिस्सा है एवं जिसमें अल्प बचत योजना, भविष्य निधियाँ एवं अन्य जमा सम्मिलित हैं।

2009-10 में आंतरिक ऋण राजकोषीय दायित्व का 55 प्रतिशत से घटकर 2010-11 के अंत तक 53 प्रतिशत रह गया। जबकि लोक लेखा दायित्व राजकोषीय दायित्व के प्रतिशत के रूप में 2009-10 के 31 प्रतिशत से कुछ बढ़कर 2010-11 में 33 प्रतिशत हो गया। भारत सरकार से बकाया ऋण एवं अग्रिम 14 प्रतिशत ही रहा जितना गत वर्ष था। राज्य का राजकोषीय दायित्व, उनका विकास दर, इन दायित्वों का जी.एस.डी.पी. से अनुपात एवं राजस्व प्राप्तियों को **तालिका- 1.19** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-1.19 राजकोषीय देयतायें आधारभूत मानक

|  | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| राजकोषीय देयतायें (₹ करोड़ में)                          | 14,113  | 14,512  | 14,780  | 15,933  | 16,697  |
| राजकोषीय देयतायें का विकास दर (प्रतिशत में)              | 6.33    | 2.83    | 1.85    | 7.79    | 4.77    |
| राजकोषीय देयतायें / सकल राज्य घरेलु उत्पाद (प्रतिशत में) | 21.10   | 18.08   | 15.86   | 14.51   | 12.87   |
| राजकोषीय देयतायें / राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत में)     | 123.23  | 104.56  | 94.36   | 87.77   | 73.49   |

(स्रोत: राज्य सरकार के वित्त लेख)

राज्य के कुल मिलाकर राजकोषीय दायित्व 2006-07 के ₹ 14,113 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 16,697 करोड़ हो गया। दायित्वों का विकास दर 2009-10 के 7.79 प्रतिशत के विरुद्ध 2010-11 के दौरान 4.77 प्रतिशत हो गया।

राजकोषीय दायित्व 2010-11 के अंत में 2009-10 के दौरान 87.77 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 73.49 प्रतिशत प्रतिनिधित्व किया 2010-11 के दौरान जी.एस.डी.पी. से ऋण का अनुपात 12.87 प्रतिशत था जो एम.टी.एफ.एस.पी.एस. में किये गये प्रक्षेपण (19.23 प्रतिशत) से कम था।

### 1.7.3 प्रतिभूतियों की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

गारंटियाँ राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व है, जो उधार लेने वालों के लिए गारंटी दी गई है, अदायगी में चूक के प्रकरण में उत्पन्न होती है।

राज्य द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि एवं बकाया प्रतिभूतियाँ जो विगत तीन वर्षों में रही तालिका-1.20 में दी गई है।

तालिका-1.20: प्रतिभूतियाँ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रतिभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

| प्रतिभूति   | 2008-09  | 2009-10  | 2010-11  |
|---|----------|----------|----------|
| प्रतिभूति की अधिकतम राशि                                      | 3,649.53 | 4,400.65 | 5,053.59 |
| प्रतिभूति की बकाया राशि                                       | 895.16   | 3,337.53 | 2,849.35 |
| कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिकतम प्रतिभूति की राशि का प्रतिशत | 23.30    | 24.24    | 22.24    |

राज्य विधान मंडल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन ऐसी अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला कोई विधि पारित नहीं किया गया है जिस सीमा तक राज्य की समेकित निधि की जमानत पर सरकार गारंटी दे सकती है। तथापि, राज्य शासन द्वारा विभिन्न निगमों एवं अन्य के द्वारा उठाये गये ऋणों पर गारंटी दी गई जो 2010-11 के अंत में ₹ 2,849.35 करोड़ थी। बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं के है।

बकाया गारंटियों में 45 वित्तीय संस्थाएं कंपनियां/बैंक शामिल थी, सहकारी बैंको अधीन (₹ 2,172 करोड़), उर्जा (₹ 429 करोड़), शहरी एवं विकास एवं आवास (₹ 177 करोड़) राज्य वित्त एवं विकास निगम (₹ 63 करोड़) एवं अन्य (₹ चार करोड़)।



राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 12.54 प्रतिशत गारंटी की बकाया राशि आकस्मिक देयताओं के प्रकृति की थी।

गारंटियों पर राज्य के दायित्वों के आकस्मिक भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए टी.एफ.सी. द्वारा अनुशंसा की गई थी कि राज्यों को निर्धारित गारंटी फीस के माध्यम से प्रतिभूति विमोचन निधि की स्थापना करना चाहिए। तथापि, राज्य शासन ने राज्य में अपेक्षाकृत कम उच्च जोखिम गारंटी को देखते हुये एक निर्णय लिया है कि कोई प्रतिभूति विमोचन निधि की स्थापना नहीं की जाएगी।

#### 1.7.4 बजट के बाहर के उधार

सरकारी कम्पनियों/निगमों द्वारा विभिन्न राज्य आयोजनागत राज्य बजट के बाहर प्रक्षेपित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए बाजार/वित्तीय संस्थाओं से निधियाँ उधार ली जाती हैं। इन उधारियों में से कई कभी-कभी चिंता की सीमा से बाहर राज्य शासन के दायित्व में परिवर्तित हो सकते हैं। ये बजट के बाहर की उधारियों के नाम से जाने जाते हैं। बजट के बाहर की उधारियों पर वित्त विभाग से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी (सितंबर 2011)।

### 1.8 ऋण धारणीयता

राज्य शासन के ऋण के आकार से अलग राज्य के ऋण धारणीयता<sup>14</sup> को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह अनुभाग राज्य शासन के ऋण स्थिरीकरण<sup>15</sup> के रूप में ऋण धारणीयता गैर ऋण प्राप्तियों<sup>16</sup> की पर्याप्तता; उधार ली गई निधियों<sup>17</sup> की निबल उपलब्धता; ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों के अनुपात से ब्याज भुगतान द्वारा माप) राज्य शासन के प्रतिभूतियों के परिपक्वता की रूपरेखा का आकलन करता है। वर्ष 2008-09 से प्रारम्भ करके तीन वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण तालिका-1.21 करता है।

<sup>14</sup> ऋण धारणीयता एक समयावधि में ऋण-जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित है और इनके ऋणों को चुकाने की क्षमता के बारे में चिंता को भी सम्मिलित करता है। अतः ऋण के धारणीयता का चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों के प्रतिलाम के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता से भी संबंध है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के समरूप होना चाहिये।

<sup>15</sup> स्थायित्व की आवश्यक शर्त है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा बशर्ते प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा घनात्मक अथवा मामूली ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि पर-ब्याज पर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण धारणीयता की स्थिति यह बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है, ऋण-जीएसडीपी का अनुपात बढ़ेगा और यदि घनात्मक है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात में तदनुसार कमी/गिरावट आयेगी।

<sup>16</sup> राज्य के वृद्धिजन्य ब्याज दायित्वों एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की प्राप्ति के लिए वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप में सुसाध्य हो सकती है यदि वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज भार तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

<sup>17</sup> उधार ली गई निधियों की निबल उपलब्धता को, कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन मूल धन, ब्याज भुगतान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा सूचित करता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियाँ ऋण विमोचन के लिए उपयोग में लाई गईं। यही उधार ली गई निधियों की निबल उपलब्धता दर्शाती है।

**तालिका-1.21: ऋण धारणीयता: सूचकांक एवं प्रवृत्तियाँ**

(₹ करोड़ में)

| ऋण धारणीयता के सूचक/द्योतक                                      | 2008-09     | 2009-10 | 2010-11  |
|---|-------------|---------|----------|
| ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा विस्तार + प्रारंभिक घाटा)               | 1,868       | 245     | 3,324    |
| इंफ्रीमेंटल गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधनों का अंतर) | (-)898      | (-)731  | (+)2,169 |
| उधार निधियों की निबल उपलब्धता                                   | (-)1,106.81 | 57      | (-)438   |
| ब्याज भुगतान का बोझ (आईपी/आर आर अनुपात)                         | 6.88        | 6.03    | 5.27     |

(स्रोत: वित्त लेखे)

तालिका-1.21 में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि 2008-11 में प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार सकारात्मक था इसके परिणामस्वरूप राजकोषीय दायित्वों का जी.एस.डी.पी.से अनुपात वर्ष 2009-10 के 14.51 की तुलना में निरन्तर घटकर 2010-11 में 12.87 रह गया।

यद्यपि प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटा सकारात्मक होते हुए भी, पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ गया।

चालू वर्ष के दौरान आंतरिक ऋण विमोचन एवं भारत सरकार का ऋण विमोचन नये ऋण प्राप्तियों का शतप्रतिशत था जबकि अन्य देनदारियों के प्रकरण में पुनर्भुगतान नये प्राप्तियों का 85.72 प्रतिशत था। ये प्रवृत्तियाँ इसके सूचक थे कि नये ऋण प्राप्तियों का उपयोग मुख्यतः ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था।

लगातार नकारात्मक संसाधनों का अंतर ऋणों के गैर धारणीयता का सूचक है जबकि सकारात्मक संसाधनों का अंतर राज्य के ऋण धारण की क्षमता को दृढ़ता प्रदान करता है इन्फ्रीमेंटल गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता 2009-10 के ऋणात्मक (-) ₹ 7.31 करोड़ से सारभूत बढ़कर चालू वर्ष के दौरान ₹ 2,169 करोड़ हो गया यह राज्य के मध्यम एवं दीर्घ कालीन ऋण धारणीयता की क्षमता में वृद्धि का द्योतक है।

**तालिका 1.22 राज्य के ऋण की परिपक्वता (वर्षों में)**

(₹ करोड़ में)

| वर्ष        | 2008-09          | 2009-10          | 2010-11              | कुल ऋण का प्रतिशत |
|-------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 0-5         | 3,728.29         | 4,224.98         | 4,182.47             | 38                |
| 6-10        | 3,022.19         | 3,333.13         | 3,351.11             | 30                |
| 11-15       | 1,951.07         | 1,987.75         | 2,039.44             | 18                |
| 16-20       | 1,282.04         | 1,150.28         | 1,164.79             | 11                |
| 20 एवं अधिक | 393.16           | 316.25           | 378.91 <sup>18</sup> | 3                 |
| <b>कुल</b>  | <b>10,376.75</b> | <b>11,012.39</b> | <b>11,116.72</b>     |                   |

(स्रोत - वित्त लेखे वर्ष 2010-11)

जहां तक ऋणों के पुनर्भुगतान का संबंध था, यह राज्य के ऋण के 38 प्रतिशत की बड़ी राशि का पुनर्भुगतान आगामी पांच वर्षों में किया जाना था। इसीलिए राज्य को

<sup>18</sup> इसमें ₹ 152.81 करोड़ शामिल है जिसके परिपक्वता वर्ष का विवरण उपलब्ध नहीं है एवं ₹ 9.23 करोड़ का लिया गया ऋण जो मध्यप्रदेश को आंबंटित था लेकिन छत्तीसगढ़ द्वारा पुनर्भुगतान किया गया।


चाहिए कि अल्पकालीन उधारियों को सीमित रखने के संबंध में विचार करें ताकि पुनर्भुगतान दायित्व आगामी पांच वर्षों में अनुचित रूप से न बढ़े।


### 1.9 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने-राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे, राज्य शासन के वित्त के एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान कुल राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। शासन के लेखे का घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति राज्य के राजकोषीय प्रबंधन की दूरदर्शिता का द्योतक है। आगे, घाटे के वित्त पोषण के तरीके तथा जिस तरह संसाधन जुटाए गए एवं प्रयुक्त किये गये राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक है। यह अनुभाग घाटे की प्रवृत्ति, प्रकृति, आकार तथा इन घाटों को पूरा करने के तरीके एवं एफ. आर. बी. एम अधिनियम/नियम के अधीन वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के स्तर के आकलन को प्रस्तुत करता है।

#### 1.9.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट-1.12 एवं 1.13 वर्ष 2006-11 की अवधि के लिए घाटे की प्रवृत्ति के सूचकों को प्रस्तुत करता है।





तालिका-1.23: घाटे की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

|                                | 2006-07  | 2007-08  | 2008-09  | 2009-10  | 2010-11  |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+)   | (+)2,651 | (+)3,039 | (+)1,869 | (+)888   | (+)3,364 |
| राजकोषीय घाटा (-) / आधिक्य (+) | (+)37    | (-)128   | (-)1,027 | (-)1,759 | (+)410   |
| प्राथमिक घाटा(-)/ आधिक्य(+)    | (+)1,063 | (+)1,012 | (+)51    | (-)664   | (+)1,608 |

राज्य ने राजस्व आधिक्य बनाये रखा जो 2006-07 में ₹ 2,651 करोड़ से बढ़कर 2007-08 में ₹ 3,039 करोड़ हो गया। 2008-09 में राजस्व आधिक्य कम होना शुरू हुआ एवं तीव्र गति से गिरा एवं 2008-09 में ₹ 1,869 करोड़ से 2009-10 में ₹ 888 करोड़ रह गया। तथापि जो 2010-11 में बढ़कर (₹ 2,476 करोड़) हो गया। इस आधिक्य का कारण मुख्य रूप से 2010-11 में राजस्व प्राप्तियों में 25 प्रतिशत (₹ 4,566 करोड़) वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय में 12 प्रतिशत (₹ 2,090 करोड़) के दर से वृद्धि थी।

राजकोषीय घाटा, जो शासन के कुल उधारियों तथा इसके कुल संसाधन के मध्य अंतर को दर्शाता है, 2007-08 में ₹ 128 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में ₹ 1,759 करोड़ हो गया लेकिन 2010-11 के दौरान ₹ 410 करोड़ के राजकोषीय आधिक्य में परिवर्तित हो गया।

प्राथमिक आधिक्य 2006-07 के ₹ 1,063 करोड़ से घटकर 2008-09 में ₹ 51 करोड़ हो गया, एवं 2009-10 में पहले के ₹ 664 करोड़ घाटे में बदल गया। जो पुनः 2010-11 में ₹ 1,608 करोड़ के प्राथमिक आधिक्य में बदल गया।

जी.एस.डी.पी. के एक प्रतिशत के रूप में राजस्व आधिक्य 2009-10 के 0.82 से बढ़कर 2010-11 में 2.59 प्रतिशत हो गया। यद्यपि, जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राजकोषीय आधिक्य 2009-10 के नकारात्मक (-) 1.63 प्रतिशत से 2010-11 में जी.एस.डी.पी. के 0.32 प्रतिशत राजकोषीय आधिक्य में बदल गया।

### 1.9.2 राजकोषीय घाटे के घटक तथा इसकी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

राजकोषीय घाटा राज्य के कुल उधारियों की आवश्यकता है एवं राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के उम्र राजस्व व्यय, ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय का आधिक्य है, राजकोषीय घाटे का विघटन प्रकट करता है कि राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस सीमा तक विभिन्न उधारियों का सहारा लिया गया।

राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन हो चुका है जो तालिका 1.24 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-1.24 : राजकोषीय घाटा के घटक एवं वित्तीय पद्धतियाँ

(₹ करोड़ में)

| विवरण   | 2006-07          | 2007-08          | 2008-09            | 2009-10            | 2010-11             |
|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>राजकोषीय घाटे का विभाजन</b>                |                  |                  |                    |                    |                     |
| 1 राजस्व घाटा(-) / आधिक्य (+)                 | 2,650.80         | 3,038.79         | 1,869.06           | 888.22             | 3,363.79            |
| 2 निवल पूंजीगत व्यय                           | (-)2,198.10      | (-)3,103.73      | (-)2,938.38        | (-)2,742.61        | (-) 2,948.95        |
| 3 निवल कर्जे एवं अग्रिम <sup>19</sup>         | (-)416.18        | (-)62.77         | 42.67              | 95.39              | (-) 5.08            |
| <b>कुल</b>                                    | <b>36.52</b>     | <b>(-)127.71</b> | <b>(-)1,026.65</b> | <b>(-)1,759.00</b> | <b>409.76</b>       |
| <b>राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रकार/नमूना*</b> |                  |                  |                    |                    |                     |
| 1 बाजार से लिए गए उधार                        | (-)95.24         | (-)157.08        | (-)153.44          | 449.85             | (-) 235.03          |
| 2 भारत सरकार से उधार                          | 42.04            | (-)167.06        | 94.93              | 106.83             | 67.38               |
| 3 एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ   | 736.23           | 37.75            | (-)2.78            | 146.33             | 373.47              |
| 4 वित्तीय संस्थाओं से कर्जे                   | 34.68            | (-)10.06         | (-)41.73           | (-)67.36           | (-) 101.49          |
| 5 अल्प बचत, पीएफ इत्यादि                      | 9.65             | 51.50            | 73.74              | 294.37             | 328.97              |
| 6 जमा एवं अग्रिम                              | 312.77           | 441.77           | 30.20              | (-)22.47           | 355.26              |
| 7 उचन्त एवं विविध                             | (-)1,026.83      | (-)257.12        | 1,024.80           | 512.00             | (-) 2,129.58        |
| 8 प्रेषण                                      | 26.82            | (-)78.72         | 80.65              | (-)111.83          | 33.68               |
| 9 अन्य <sup>20</sup>                          | (-)203.09        | 184.00           | 265.96             | 244.91             | (-) 28.08           |
| <b>कुल</b>                                    | <b>(-)162.97</b> | <b>44.98</b>     | <b>1,372.33</b>    | <b>1,552.63</b>    | <b>(-) 1,335.42</b> |
| <b>समस्त आधिक्य(+)/घाटा(-)</b>                | <b>(-)126.45</b> | <b>(-)82.73</b>  | <b>345.68</b>      | <b>(-)206.37</b>   | <b>(-) 925.66</b>   |
| <b>कुल</b>                                    | <b>(-)36.52</b>  | <b>127.71</b>    | <b>1,026.65</b>    | <b>1,759.00</b>    | <b>(-) 409.76</b>   |

\* वर्ष के दौरान ये सभी आंकड़े निवल संवितरण/बाह्य प्रवाही हैं।

(स्रोत: वित्त लेखें)

2006-07 के दौरान घाटे के वित्त पोषण के लिए प्रायः एन.एस.एस.एफ. को विशेष प्रतिभूतियाँ जारी किया गया था, लेकिन समय बीतने के बाद प्रवृत्ति में बदलाव आ चुका है एवं 2009-10 के दौरान राजकोषीय घाटे का वित्तीय पोषण मुख्यतः बाजार की उधारियों, भारत सरकार से प्राप्त ऋण, एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ,

<sup>19</sup> इसमें अन्तर्राज्यीय समायोजन शामिल है।

<sup>20</sup> इसमें आकस्मिकता निधि, रिजर्व फन्ड शामिल है।

एवं अल्प बचत, सामान्य भविष्य निधि इत्यादि से उठाये गये संसाधनों से की गई थी। यद्यपि 2010-11 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा, राजकोषीय आधिक्य में परिवर्तित हो गया।

### 1.9.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे<sup>21</sup> एवं (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) पूंजीगत व्यय में अपघटन, राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करेगा। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात दर्शाता है कि किस सीमा तक ऋण निधियों का उपयोग वर्तमान उपयोग/खपत के लिए किया गया।

प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका-1.25) यह दर्शाता है कि किस सीमा तक घाटे का कारण पूंजीगत व्यय में वृद्धि रहा है जिसके लिए वांछनीय रहेगा कि राज्य के अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हो।

तालिका-1.25: प्राथमिक घाटा/आधिक्य के कारकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

| वर्ष    | गैर ऋण प्राप्ति <sup>21</sup> | प्राथमिक राजस्व व्यय | पूंजीगत व्यय | ऋण एवं अग्रिम | प्राथमिक व्यय <sup>22</sup> | प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) | प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+) |
|---------|-------------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1       | 2                             | 3                    | 4            | 5             | 6 (3+4+5)                   | 7 (2-3)                              | 8 (2-6)                       |
| 2006-07 | 11,810                        | 7,776                | 2,198        | 773           | 10,747                      | (+)4,034                             | (+)1,063                      |
| 2007-08 | 14,345                        | 9,700                | 3,131        | 502           | 13,333                      | (+)4,645                             | (+)1,012                      |
| 2008-09 | 16,199                        | 12,716               | 2,940        | 492           | 16,148                      | (+)3,481                             | (+)51                         |
| 2009-10 | 19,151                        | 16,170               | 2,745        | 900           | 19,815                      | (+)2,981                             | (-)664                        |
| 2010-11 | 23,286                        | 18,157               | 2,952        | 569           | 21,678                      | (+)5,129                             | (+)1,608                      |

(स्रोत: वित्त लेख)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि 2006-07 से 2008-09 के दौरान प्राथमिक आधिक्य में घटने की प्रवृत्ति दर्शाया एवं 2009-10 में प्राथमिक घाटे में बदल गया। तथापि, 2010-11 के दौरान प्राथमिक घाटा पुनः प्राथमिक आधिक्य में बदल गया। राज्य के गैर ऋण प्राप्ति का विकास दर 2009-10 में 18 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 22 प्रतिशत हो गया।

प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय में 2008-11 के दौरान घटने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया जो बढ़े हुए राजस्व व्यय का सूचक है। 2010-11 के दौरान बढ़े हुए राजस्व व्यय का कारण छटवें वेतन आयोग द्वारा द्वितीय किस्त का बकाया भुगतान, पेंशन का पुनरीक्षण एवं पेंशन राहत में बढ़ोत्तरी थी।

<sup>21</sup> प्राथमिक राजस्व घाटा राज्य के गैर ब्याज राजस्व एवं उनकी गैर ऋण प्राप्ति के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि राज्य के राजस्व खाते के अंतर्गत प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए गैर ऋण प्राप्ति की सीमा को दर्शाता है।

<sup>22</sup> राज्य का प्राथमिक व्यय ब्याज भुगतान के अलावा कुल व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है, जो वर्ष के दौरान हुए लेन-देनों पर किए गए व्यय को दर्शाता है।

जबकि प्राथमिक राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः ₹ 1,988 करोड़ (13.57 प्रतिशत) एवं ₹ 207 करोड़ (7.54 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिम में ₹ 331 करोड़ (37 प्रतिशत) गिरावट आई।

### 1.10 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

#### राजकोषीय स्थिति

मुख्य मानको के आधार पर राजकोषीय स्थिति में सुधार आया। राजस्व आधिक्य में सारभूत बढ़ोत्तरी हुई एवं राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा क्रमशः राजकोषीय आधिक्य एवं प्राथमिक आधिक्य में परिवर्तित हो गये। राजस्व आधिक्य में बढ़ोत्तरी मुख्यतः राज्य के अपने संसाधनों एवं संघीय करों एवं शुल्कों में इसके हिस्से में वृद्धि के कारण हुई।

राज्य के गत वर्ष के कुल खर्चे (₹ 1,966 करोड़) की तुलना में कुल प्राप्तियों (₹ 4,134 करोड़) में सारभूत बढ़ोत्तरी के कारण राजकोषीय घाटा (₹ 1,759 करोड़) राजकोषीय आधिक्य (₹ 410 करोड़) में परिवर्तित हो गया एवं ब्याज भुगतान में वृद्धि से प्रारंभिक घाटा (₹ 664 करोड़) प्राथमिक आधिक्य (₹ 1,608 करोड़) में परिवर्तित हो गया।

चालू वर्ष के अंत में राजकोषीय दायित्व ₹ 16,697 करोड़ था जो एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में किए गये प्रक्षेपण 19.23 प्रतिशत के विरुद्ध जी.एस.डी.पी. का 12.87 प्रतिशत है।

#### राजस्व प्राप्तियां

2009-10 की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं 2010-11 के दौरान कर एवं कर भिन्न राजस्व में 26 प्रतिशत एवं केन्द्रीय स्थानांतरण जिसमें संघीय करों/शुल्कों में राज्य का अंश एवं जी.ओ.आई. से सहायता अनुदान शामिल है 25 प्रतिशत की सारभूत वृद्धि के कारण हुई।

टी.एच. एफ.सी द्वारा किये गये सामान्य आकलन (₹ 8,947 करोड़) एवं बजट अनुमान (₹ 7,505 करोड़) की अपेक्षा राज्य के स्वयं के कर प्राप्तियों (₹ 9,005 करोड़) उच्च थी। दूसरी तरफ यद्यपि टी.एच. एफ.सी के प्रक्षेपण (₹ 2,389 करोड़) की अपेक्षा राज्य के स्वयं के कर भिन्न राजस्व (₹ 3,835 करोड़) अधिक था। लेकिन बजट अनुमान (₹ 4,321 करोड़) की अपेक्षा कम थी।

#### अनुशंसाएँ

जैसे ही जी.एस.डी. पी. बढ़ता है राज्य के पास अपने स्वयं के कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व में वृद्धि की सम्भावनाएं मौजूद हैं। राज्य को चाहिए कि वह कर भिन्न राजस्व के आधार को विस्तीर्ण करने की संभावना की तलाश करे जिससे कि विकास उन्मुख परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिये बेहतर राजकोषीय अवसर हों।

### राजस्व व्यय

2010-11 दौरान भी राजस्व व्यय का कुल व्यय में प्रभावशाली योगदान ( 85 प्रतिशत) जारी रहा। आयोजनेत्तर व्यय टी.एच. एफ.सी एवं बजट अनुमान से क्रमशः 27 प्रतिशत एवं दो प्रतिशत अधिक रहा।

2010-11 के दौरान वेतन एवं मजदुरी, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं सब्सिडी पर प्रतिबद्ध व्यय एन.पी.आर.ई. का भाग 87 प्रतिशत रहा। यह मुख्यतः छठवें वेतन आयोग द्वारा द्वितीय किस्त का बकाया भुगतान के कारण हुआ।

### अनुशंसाएँ

इस वर्ष वेतन एवं पेंशन व्यय में सारभूत वृद्धि छठवें वेतन आयोग द्वारा द्वितीय किस्त का बकाया भुगतान एवं पेंशन पुनरीक्षण के कारण हुई। चूंकि इन मदों पर व्यय आगामी वर्षों में स्थिर होने की संभावना है, राज्य को आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के अन्य घटकों को सीमित करने, जैसे सब्सिडी को समाप्त करने एवं यह सुनिश्चित करने कि उधारियों का उपयोग उत्पादक पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन में जारी रखने की कार्यवाही करें।

### पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय (₹ 2,952 करोड़ ) में गत वर्ष की अपेक्षा ₹ 207 करोड़ की वृद्धि हुई एवं कुल व्यय में इसका हिस्सा (13 प्रतिशत) विगत वर्ष के बराबर रहा। यह एफ. आर. बी.एम. एक्ट के प्रक्षेपण (₹ 5,019 करोड़ ) एवं बजट अनुमान (₹ 4,068 करोड़ ) की तुलना में क्रमशः 41 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत कम था।

### अनुशंसाएँ

राज्य शासन को चाहिए कि पूंजीगत व्यय के माध्यम से परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए आवश्यक कदम उठाये क्योंकि इससे भावी विकास की संभावना को बल मिलेगा।

### निवेश पर प्रतिफल

2010-11 के दौरान शासन के निवेश पर औसत प्रतिफल 1.65 प्रतिशत था जबकि उधारियों पर शासन ने ब्याज के रूप में 7.34 प्रतिशत के औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था।

### अनुशंसाएँ

शासन उंची लागत की निधियों के निवेश हेतु सही औचित्य सुनिश्चित करें एवं विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, ग्रामीण बैंको इत्यादि में निवेश हेतु प्रतिमान स्थापित करें।

**नगदी शेष की स्थिति** - 2010-11 के समापन पर अंतिम नगदी शेष में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई। निवेश के रूप में ₹ 4,180 करोड़ के वृहद्, नगदी शेष रखना जिस पर 2.15 प्रतिशत के दर से ब्याज उपार्जित हुआ हो एवं जिसके विरुद्ध बाजार की उधारियों



पर 7.34 प्रतिशत औसत ब्याज देय हो बुद्धिमत्तापूर्ण नगदी प्रबंधन की कमी का परिचायक था।

### **अनुशंसाएँ**

पूर्वनिर्मित योजना के माध्यम से सम्यक ऋण प्रबंधन संभवतया वृहद नगदी शेष रखे जाने की आवश्यकता को कम करता है।

**अपूर्ण परियोजनाएँ-** ₹ 887 करोड़ की कुल निधियां, 78 निर्माण कार्यों के पूर्ण होने में असाधारण विलम्ब से अवरुद्ध रही एवं परिणामतः सिचाई परियोजनाओं की लागत बढ़ी। यह राज्य शासन के लिये बहुत बड़ी चिंता का विषय है।

### **अनुशंसाएँ**

राज्य शासन को सभी अपूर्ण परियोजनाओं को एक निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार करना चाहिये एवं मूल्य वृद्धि से बचना चाहिए ताकि लोग समय पर इसका लाभ प्राप्त कर सकें।

दूसरा अध्याय  
वित्तीय प्रबंधन  
एवं  
बजट नियंत्रण



## दूसरा अध्याय

### वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण

#### 2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के दत्तमत एवं भारित व्यय का लेखा-जोखा है जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनुदानों तथा विनियोगों के दत्तमत एवं भारित राशियों से तुलना करता है जैसा कि विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट है। ये लेखे मूल बजट प्रावधानों, अनुपूरक अनुदानों, समर्पणों एवं पुनर्विनियोगों को दर्शाते हैं एवं विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत बजट में भारित एवं दत्तमत दोनों मदों की तुलना में निर्दिष्ट विभिन्न सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को सूचित करते हैं। इस तरह विनियोग लेखे, वित्तीय प्रबंधन एवं बजट प्रावधानों के अनुश्रवण में मदद करते हैं एवं इसीलिए वित्त लेखे के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न अनुदानों के अधीन किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत सीमा के भीतर है तथा संविधान के प्रावधान के अधीन प्रभारित किया जाने वाला व्यय ही प्रभारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस तरह किया गया व्यय विधि सम्मत है, प्रासंगिक नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है।

#### 2.2 विनियोग लेखे का सारांश

2010-11 के दौरान 75 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय के सारांश की स्थिति तालिका-2.1 में दर्शायी गई है:-

तालिका 2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

| 1                                       | व्यय की प्रकृति       | मूल अनुदान/विनियोग | अनुपूरक अनुदान/विनियोग | योग       | वास्तविक व्यय | बचत (-)/<br>आधिक्य (+) |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------|---------------|------------------------|
| 2                                       | 3                     | 4                  | 5                      | 6         | 7             |                        |
| दत्तमत                                  | I राजस्व              | 18,631.47          | 2,706.34               | 21,337.81 | 18,264.99     | (-)3,072.82            |
|   | II पूँजीगत            | 4,099.35           | 292.04                 | 4,391.39  | 3,044.00      | (-)1,347.39            |
|   | III ऋण तथा अग्रिम     | 951.17             | 157.78                 | 1,108.95  | 568.89        | (-)540.06              |
| कुल दत्तमत                              |                       | 23,681.99          | 3,156.16               | 26,838.15 | 21,877.88     | (-)4,960.27            |
| भारित                                   | IV राजस्व             | 1,514.81           | 11.97                  | 1,526.78  | 1,430.33      | (-)96.45               |
|   | V पूँजीगत             | 0.66               | 0.00                   | 0.66      | 0.38          | (-)0.28                |
|   | VI लोक ऋण पुनर्भुगतान | 902.21             | 0.00                   | 902.21    | 690.87        | (-)211.34              |
| कुल भारित                               |                       | 2,417.68           | 11.97                  | 2,429.65  | 2,121.58      | (-)308.07              |
| आकस्मिकता निधि में विनियोग (यदि कोई हो) |                       | 0.00               | 0.00                   | 0.00      | 0.00          | 0.00                   |
| महायोग                                  |                       | 26,099.67          | 3,168.13               | 29,267.80 | 23,999.46     | (-)5,268.34            |

(स्रोत: विनियोग लेखे 2010-2011 एवं बजट अनुमान)

राजस्व अनुभाग के अधीन 63 अनुदानों एवं 37 विनियोगों, पूँजीगत अनुभाग के अधीन 42 अनुदानों एवं चार विनियोगों एवं ऋण अनुभाग के अधीन एक विनियोग (लोक ऋण) में कुल ₹ 5,463.47 करोड़ के बचत में से राजस्व अनुभाग के अधीन चार अनुदानों एवं दो विनियोगों, पूँजीगत अनुभाग के अधीन दो अनुदान एवं एक विनियोग के ₹195.13 करोड़ के आधिक्य के समायोजन के परिणामस्वरूप ₹ 5,268.34 करोड़ की कुल बचत हुई।

सभी अनुदानों/विनियोगों में बचत/आधिक्य की सूचना वित्त विभाग को जून 2011 को इस अनुरोध के साथ दी गई कि महत्वपूर्ण भिन्नताओं के संबंध में स्पष्टीकरण दें। सभी नियंत्रण अधिकारियों से भी कारणों की जानकारी देने के संबंध में अनुरोध (जून 2011) किया गया। विनियोग लेखे (2010-11) के 1068 उपशीर्षों में से, 954 उपशीर्षों (बचत: 801 उपशीर्षों एवं आधिक्य: 153 उपशीर्षों) में भिन्नताओं के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (सितंबर 2011)।

### 2.3 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन

#### 2.3.1 विनियोग की तुलना में आवंटनीय प्राथमिकतायें

विनियोग लेखापरीक्षा का परिणाम यह दर्शाता है कि 14 प्रकरणों से सम्बंधित 12 अनुदान तथा एक विनियोग में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक बचत थी। इसमें में चार अनुदानों के अंतर्गत ₹ 923 करोड़ का वृहत बचत, (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक) शामिल थे जो (परिशिष्ट-2.1) में दिया गया है।

आगे ₹ 5,463.47 करोड़ के कुल बचत के विरुद्ध नौ अनुदानों एवं एक विनियोग से संबंधित 10 प्रकरणों में ₹ 1,582.99 करोड़ (28.97 प्रतिशत) की बचत (₹ 50 करोड़ एवं अधिक) हुई जैसा कि तालिका-2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2 : ₹ 50 करोड़ या अधिक बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | अनुदान क्र. | अनुदान का नाम                                      | मूल प्रावधान | अनुपूरक | समर्पण | कुल योग (4+5+6) | व्यय     | बचत (समर्पण को छोड़कर) |
|---------|-------------|--|--------------|---------|--------|-----------------|----------|------------------------|
| 1       | 2           | 3  | 4            | 5       | 6      | 7               | 8        | 9                      |
|         |             | <b>राजस्व दत्तमत</b>                               |              |         |        |                 |          |                        |
| 1       | 24          | लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल                  | 332.03       | 0.00    | 0.00   | 332.03          | 222.62   | 109.41                 |
| 2       | 27          | स्कूल शिक्षा                                       | 2,066.72     | 47.45   | 0.00   | 2,114.17        | 1,582.37 | 531.80                 |
| 3       | 33          | आदिम जाति कल्याण                                   | 862.32       | 21.70   | 51.00  | 833.02          | 773.52   | 59.50                  |
| 4       | 41          | आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना                          | 2,376.72     | 472.62  | 193.11 | 2,656.23        | 2,360.86 | 295.37                 |
| 5       | 55          | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय               | 552.95       | 12.01   | 39.00  | 525.96          | 360.35   | 165.61                 |
| 6       | 64          | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना            | 959.37       | 25.80   | 75.24  | 909.93          | 792.68   | 117.25                 |
| 7       | 80          | त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 1,023.73     | 313.88  | 116.90 | 1,220.71        | 1,156.56 | 64.15                  |

| 1  | 2  | 3  | 4               | 5             | 6             | 7               | 8               | 9              |
|----|----|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
|    |    | <b>पूँजीगत दत्तमत</b>  |                 |               |               |                 |                 |                |
| 8  | 42 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल | 267.87          | 11.40         | 0.00          | 279.27          | 163.56          | 115.71         |
| 9  | 67 | लोक निर्माण कार्य—भवन  | 210.96          | 2.85          | 0.00          | 213.81          | 156.26          | 57.55          |
|    |    | <b>राजस्व भारत</b>   |                 |               |               |                 |                 |                |
| 10 | 12 | उर्जा विभाग से संबंधित व्यय  | 100.90          | 0.00          | 0.00          | 100.90          | 34.26           | 66.64          |
|    |    | <b>कुल योग</b>   | <b>8,753.57</b> | <b>907.71</b> | <b>475.25</b> | <b>9,186.03</b> | <b>7,603.04</b> | <b>1582.99</b> |

(स्रोत: विनियोग लेख 2010-11)

राज्य शासन से बचत के कारणों की जानकारी मांगी गई थी (जून 2011) लेकिन अप्राप्त थी (सितंबर 2011)।

### 2.3.2 निरन्तर बचत

विगत पाँच वर्षों के दौरान, 10 प्रकरणों में प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक की लगातार बचत हुई (तालिका-2.3) एवं यह बचत वर्ष 2010-11 में कुल अनुदान के तीन से 41 प्रतिशत के मध्य रहा।

तालिका 2.3: 2006-2011 के दौरान निरन्तर बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

| स. क्र.               | अनुदान क्र. | अनुदान का नाम  | अनुदान  |         |         |         |         | 2010-11 का प्रतिशत |
|-----------------------|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
|                       |             |  | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |                    |
| 1                     | 2           | 3  | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9                  |
| <b>राजस्व दत्तमत</b>  |             |  |         |         |         |         |         |                    |
| 1                     | 20          | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी  | 17.78   | 20.29   | 21.92   | 16.82   | 18.10   | 7                  |
| 2                     | 27          | स्कूल शिक्षा   | 52.88   | 82.57   | 197.58  | 64.28   | 531.80  | 25                 |
| 3                     | 41          | आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना  | 124.79  | 238.89  | 258.32  | 212.90  | 295.37  | 10                 |
| 4                     | 64          | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना                            | 36.52   | 116.76  | 80.44   | 60.64   | 117.25  | 12                 |
| 5                     | 79          | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय                              | 18.47   | 50.77   | 82.07   | 39.77   | 48.81   | 25                 |
| 6                     | 81          | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता                                    | 15.75   | 68.76   | 68.64   | 154.87  | 49.99   | 5                  |
| <b>पूँजीगत दत्तमत</b> |             |  |         |         |         |         |         |                    |
| 7                     | 41          | आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना  | 90.57   | 69.34   | 116.26  | 117.83  | 33.22   | 3                  |
| 8                     | 42          | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल | 55.56   | 74.89   | 139.91  | 133.50  | 115.70  | 41                 |
| 9                     | 67          | लोक निर्माण कार्य—भवन  | 27.28   | 49.66   | 53.31   | 52.14   | 57.55   | 27                 |
| 10                    | 68          | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन           | 25.42   | 39.30   | 75.45   | 73.92   | 38.92   | 34                 |

(स्रोत: विनियोग लेख 2010-11)

### 2.3.3 विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से अधिक व्यय का वांछित नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य शासन के लिए यह बाध्यकारी है कि अनुदान/विनियोग से व्यय आधिक्य को राज्य विधानमंडल से अनुमोदन प्राप्त कर

नियमित करा लिया जावे। विनियोग लेखे एवं संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) से चर्चा के उपरान्त ही व्यय आधिक्य का नियमितीकरण कराया जाता है। यद्यपि, अनुच्छेद के अन्तर्गत व्यय के नियमितीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथापि 2000-10 के वर्षों में ₹ 1,341.60 करोड़ के व्यय आधिक्य को अभी तक नियमित नहीं कराया गया जैसा कि परिशिष्ट-2.2 में दिया गया है।

#### 2.3.4 2010-11 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय का वांछित नियमितीकरण

2010-11 के दौरान, 21 अनुदानों एवं सात विनियोगों में ₹ 293.78 करोड़ के निधियों के प्रावधान से कुल आधिक्य का सारांश तालिका-2.4 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन इनका नियमितीकरण कराया जाना आवश्यक था।

तालिका 2.4: 2010-11 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य का वांछित नियमितीकरण

(₹ करोड़ में)

| स. क्र.              | अनुदान क्र. | अनुदान का नाम  | कुल अनुदान/विनियोग | व्यय     | आधिक्य राशि |
|----------------------|-------------|--|--------------------|----------|-------------|
| 1                    | 2           | 3  | 4                  | 5        | 6           |
| <b>राजस्व दत्तमत</b> |             |  |                    |          |             |
| 1                    | 1           | सामान्य प्रशासन  | 72.03              | 72.15    | 0.12        |
| 2                    | 2           | सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय   | 7.69               | 8.20     | 0.51        |
| 3                    | 6           | वित्त विभाग से संबंधित व्यय  | 1,681.41           | 1,843.66 | 162.25      |
| 4                    | 7           | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय   | 148.45             | 155.98   | 7.53        |
| 5                    | 8           | भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन   | 227.51             | 230.40   | 2.89        |
| 6                    | 9           | राजस्व विभाग से संबंधित व्यय   | 4.34               | 4.36     | 0.02        |
| 7                    | 12          | उर्जा विभाग से संबंधित व्यय  | 165.54             | 180.73   | 15.19       |
| 8                    | 18          | श्रम   | 17.14              | 17.49    | 0.35        |
| 9                    | 23          | जल संसाधन विभाग  | 226.00             | 231.89   | 5.89        |
| 10                   | 25          | खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय  | 104.54             | 139.49   | 34.95       |
| 11                   | 29          | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन   | 104.88             | 108.03   | 3.15        |
| 12                   | 30          | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय   | 536.59             | 547.96   | 11.37       |
| 13                   | 45          | लघु सिंचाई कार्य   | 36.98              | 37.83    | 0.85        |
| 14                   | 49          | अनुसूचित जाति कल्याण   | 34.79              | 35.90    | 1.11        |
| 15                   | 56          | ग्रामीण उद्योग   | 46.58              | 47.24    | 0.66        |
| 16                   | 58          | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय                                     | 188.29             | 203.77   | 15.48       |
| 17                   | 82          | अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 501.80             | 514.95   | 13.15       |

| 1                     | 2  | 3  | 4               | 5               | 6             |
|-----------------------|----|--|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>राजस्व भारित</b>   |    |  |                 |                 |               |
| 18                    |    | ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा   | 1,296.36        | 1298.38         | 2.02          |
| 19                    | 1  | सामान्य प्रशासन  | 8.01            | 8.43            | 0.42          |
| 20                    | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी  | 0.05            | 0.07            | 0.02          |
| 21                    | 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन   | 17.78           | 17.79           | 0.01          |
| 22                    | 36 | परिवहन   | 0.20            | 0.23            | 0.03          |
| <b>पूँजीगत दत्तमत</b> |    |  |                 |                 |               |
| 23                    | 6  | वित्त विभाग से संबंधित व्यय  | 0.21            | 2.34            | 2.13          |
| 24                    | 23 | जल संसाधन विभाग  | 307.01          | 316.85          | 9.84          |
| 25                    | 30 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय   | 0.25            | 0.26            | 0.01          |
| 26                    | 39 | खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंधित व्यय                                | 219.83          | 220.49          | 0.66          |
| 27                    | 40 | आयकट विभाग से संबंधित व्यय   | 38.88           | 38.93           | 0.05          |
| 28                    | 57 | जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशो से सहायता प्राप्त परियोजनाएं                                 | 50.12           | 52.93           | 2.81          |
| 29                    | 75 | जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं                                | 65.90           | 65.99           | 0.09          |
| 30                    | 82 | अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 45.45           | 45.60           | 0.15          |
| <b>पूँजीगत भारित</b>  |    |  |                 |                 |               |
| 31                    | .. | लोक ऋण   | 690.83          | 690.87          | 0.04          |
| 32                    | 23 | जल संसाधन विभाग  | 0.25            | 0.28            | 0.03          |
|                       |    | <b>कुल योग</b>   | <b>6,845.69</b> | <b>7,139.47</b> | <b>293.78</b> |

(स्रोत: विनियोग लेख 2010-11)

प्रावधान से अधिक व्यय के कारणों की जानकारी राज्य शासन से मांगी गई थी (जून 2011) लेकिन अप्राप्त थी (सितंबर 2011)।

### 2.3.5 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2010-11 के दौरान 39 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) ₹ 1063.80 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय की गई राशि मूल प्रावधान राशि से कम थी जैसा कि **परिशिष्ट-2.3** में दिखाया गया है।

15 प्रकरणों में ₹ 423.84 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान व्यय आधिक्य की पूर्ति के लिए अपर्याप्त सिद्ध हुआ, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक का व्यय आधिक्य था इस प्रकार ₹ 289.78 करोड़ का व्यय आधिक्य का नियमितीकरण शेष था जिसका विवरण **परिशिष्ट-2.4** में दिया गया है।



### 2.3.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के तहत प्रत्याशित बचत वाले मद से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाले मद में निधियों का अंतरण है। 134 उपशीर्षों में देखा गया कि पुनर्विनियोजन के पश्चात भी ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत/अधिक व्यय हुआ था, जिसमें से 13 उपशीर्षों में बचत/अधिक व्यय ₹ 20 करोड़ से भी अधिक था जैसा कि परिशिष्ट-2.5 में दर्शित है।

### 2.3.7 सारभूत समर्पण

164 योजनाओं के अंतर्गत, योजना लागू नहीं किये जाने अथवा धीमी गति से लागू किये जाने के कारण सारभूत समर्पण (कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक) किया गया। इन योजनाओं में ₹ 1416.83 करोड़ के कुल प्रावधान में से, ₹ 1161.51 करोड़ (81.98 प्रतिशत) समर्पित किये गये थे जिनमें 83 योजनाओं में शत प्रतिशत समर्पण था जैसा परिशिष्ट-2.6 में दिया गया है।

### 2.3.8 वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

14 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक राशि समर्पित की गई थी यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण अथवा नियंत्रण की कमी के द्योतक थे। ₹ 660.19 करोड़ के बचत के विरुद्ध ₹ 737.01 करोड़ के समर्पण के परिणामस्वरूप ₹ 76.82 करोड़ का अधिक समर्पण किया गया विवरण परिशिष्ट-2.7 में दिया गया है। विभागों द्वारा वास्तविक बचत से ज्यादा के समर्पण का कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण (सितंबर 2011) प्रस्तुत नहीं किया गया।

### 2.3.9 प्रत्याशित बचत समर्पित नहीं किया गया

छत्तीसगढ़ बजट नियम पुस्तिका की कंडिका 131 के अनुसार सभी नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रत्याशित/अनुमानित बचत का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिये कि वित्त विभाग को यह प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक पहुंच सके। वर्ष 2010-11 के अंत में 20 अनुदानों एवं तीन विनियोगों में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत थी लेकिन इसका कोई अंश संबंधित विभागों द्वारा समर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में ₹ 1,269.84 करोड़ की राशि (कुल बचत का 23.24 प्रतिशत) शामिल थी जो (परिशिष्ट-2.8) में दिया गया है।

इसी प्रकार, 21 अन्य अनुदानों के अधीन ₹ 2,740.02 करोड़ के कुल बचत में से (समर्पण के पश्चात प्रत्येक अनुदान में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक की बचत) ₹ 975.07 करोड़ (कुल बचत का 35.59 प्रतिशत) समर्पित नहीं किया गया था, विवरण परिशिष्ट-2.9 में दिया गया है।

इसके अलावा 35 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में निधियों का समर्पण ₹ 10 करोड़ से अधिक था) ₹ 3,185.01 करोड़ का समर्पण (परिशिष्ट-2.10) मार्च 2011 के अंतिम दिवस में किया गया था, यह कमजोर वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है एवं इसके परिणामस्वरूप इन निधियों का उपयोग अन्य विकास प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस में बचत के समर्पण किये जाने के संबंध में विभागों द्वारा कोई कारण/स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया गया।

**2.3.10 अविवेकपूर्ण समर्पण**

चार अनुदानों में ₹ 2,006.91 करोड़ के मूल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 2,199.78 करोड़ का व्यय हुआ था जिसके फलस्वरूप ₹ 192.87 करोड़ का अधिक्य व्यय हुआ। इसके बावजूद ₹ 20.64 करोड़ का समर्पण भी हुआ जो अविवेकपूर्ण था, जिसे तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: अविवेकपूर्ण समर्पण

(₹ करोड़ में)

| स. क्र.                | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम                     | कुल प्रावधान    | व्यय            | व्यय आधिक्य   | समर्पित राशि |
|------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 1                      | 2             | 3                                 | 4               | 5               | 6             | 7            |
| <b>अ-राजस्व दत्तमत</b> |               |                                   |                 |                 |               |              |
| 1                      | 6             | वित्त विभाग से संबंधित व्यय       | 1,691.53        | 1,843.66        | 152.13        | 10.13        |
| 2                      | 12            | उर्जा विभाग से संबंधित व्यय       | 169.46          | 180.73          | 11.27         | 3.92         |
| 3                      | 25            | खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय | 110.31          | 139.49          | 29.18         | 5.77         |
| 4                      | 49            | अनुसूचित जाति कल्याण              | 35.61           | 35.90           | 0.29          | 0.82         |
|                        |               | <b>कुल योग</b>                    | <b>2,006.91</b> | <b>2,199.78</b> | <b>192.87</b> | <b>20.64</b> |

(स्रोत: विनियोग लेखे 2010-11)

**2.3.11 व्यय का अतिरेक**

छत्तीसगढ़ बजट मैन्युअल के कंडिका 92 के अनुसार व्यय की अधिकता से खासकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में बचना चाहिए। इसके विपरीत, 28 मुख्यशीर्षों में व्यय वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान, वर्ष के कुल व्यय के 50 प्रतिशत एवं प्रत्येक व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक हुआ था, जबकि 14 प्रकरणों में व्यय वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान वित्तीय वर्ष के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था। जैसा **परिशिष्ट 2.11** में दर्शाया गया है।

मुख्य शीर्ष 2810 (ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत) एवं 4425 (सहकारिता पर पूर्णगत परिव्यय) के अंतर्गत अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च 2011) के दौरान किया गया व्यय कुल प्रावधान के एक प्रतिशत के रूप में क्रमशः 227.90 एवं 100.35 था। इसी प्रकार इन शीर्षों के अधीन मार्च 2011 के दौरान किया गया व्यय कुल प्रावधान से अधिक था। यह दोष पूर्ण वित्तीय प्रबंधन एवं व्यय के एकरूप प्रवाह को बनाये रखने में कमी का द्योतक है जो कि बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है।

## 2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

वर्ष 2010-11 के लिए अनुदान संख्या 06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय एवं अनुदान संख्या 25- खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय की समीक्षा में प्रकट हुआ कि।

### 2.4.1 प्रावधान से अधिक व्यय

अनुदान संख्या 06 की समीक्षा में पाया गया कि कुल ₹ 1,154.95 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध चार प्रकरणों में ₹ 1,713.15 करोड़ का व्यय किया गया जैसा कि तालिका 2.6 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.6: प्रावधान से व्यय आधिक्य

(₹ करोड़ में)

| लेखा शीर्ष  | कुल प्रावधान    | व्यय            | आधिक्य        | आधिक्य का प्रतिशत |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 2071-01-101-2413- सेवा निवृत्त कर्मचारियों को देय | 786.88          | 1,069.89        | 283.01        | 35.97             |
| 2071-01-104-4590-मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान    | 146.84          | 268.25          | 121.41        | 82.68             |
| 2071-01-105-2514-परिवार पेंशन                     | 174.58          | 282.94          | 108.36        | 62.07             |
| 2071-01-115-5438अवकाश नगदीकरण                     | 46.65           | 92.07           | 45.42         | 97.36             |
| <b>योग</b>  | <b>1,154.95</b> | <b>1,713.15</b> | <b>558.20</b> |                   |

(स्रोत: विनियोग लेखे 2010-11)

आपत्ति के जवाब में आधिक्य का कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2011)।

### 2.4.2 अविवेकपूर्ण अनुपूरक प्रावधान

निम्न लेखा शीर्षों के अधीन अनुदान संख्या 06 के अंतर्गत वर्ष के दौरान बहुत अधिक अनुपूरक प्रावधान का मांग किया गया था। यद्यपि वर्ष 2010-11 के अन्त में सारभूत राशि की बचत हुई थी। यह अविवेकपूर्ण प्रावधान का द्योतक है जैसा कि तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका -2.7: अविवेकपूर्ण अनुपूरक प्रावधान

(₹लाख में)

| लेखा शीर्ष                         | मूल प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | पुनर्विनियोजन/समर्पण | कुल बजट     | व्यय     | व्यय हेतु शेष (-)/व्यय आधिक्य (+) |
|------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|-------------|----------|-----------------------------------|
| 1.                                 | 2.           | 3.               | 4.                   | (2+3-4) = 5 | 6        | 7                                 |
| 2054-098-4361-स्थानीय निधि लेखा    | 1,191.55     | 70.00            | (-) 444.13           | 817.42      | 789.14   | (-) 28.28                         |
| 2071-01-117-6801-राज्य शासन का अंश | 5,000.00     | 700.00           | —                    | 5,700.00    | 6,882.29 | (-) 1,182.29                      |

(स्रोत: विनियोग लेखे 2010-11 एवं विभागीय अकड़े)

आपत्ति के जवाब में विभाग ने यह तथ्य स्वीकार किया (सितम्बर 2011) लेकिन अनुपूरक प्रावधान मांगे जाने के कारणों एवं आधिक्य की पूर्ति के स्रोतों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया।

### 2.4.3 विभागीय प्राप्तियों/ व्यय के आंकड़ों का पुनर्मिलान न किया जाना

वित्तीय वर्ष के समापन पर विभाग द्वारा विभिन्न लेखा शीर्षों के अधीन दर्ज अपनी प्राप्तियों /व्यय के आंकड़ों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों से अभिन्न रूप से पुनर्मिलान किया जाना चाहिए। अनुदान संख्या 06 एवं 25 की समीक्षा से यह देखने में आया कि निम्न शीर्षों के अन्तर्गत प्रस्तुत विभागीय आंकड़ों का पुनर्मिलान नहीं किया गया था जैसा कि क्रमश तालिका 2.8 एवं 2.9 दिया गया है।

तालिका 2.8: प्राप्तियों का पुनर्मिलान न किया जाना

(₹लाख में)

| लेखा शीर्ष                                    | म.ले.(ले.एवं ह.)के अनुसार प्राप्तियाँ | विभाग के अनुसार प्राप्तियाँ | अन्तर आधिक्य (+) बचत (-) |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 0853-101- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण      | 19.00                                 | --                          | (+) 19.00                |
| 0853-102-खनिज रियायती फीस, किराया एवं रायल्टी | 18,432.52                             | --                          | (+) 18,432.52            |
| 0853-104-खनिज विभाग                           | 2.46                                  | --                          | (+) 2.46                 |
| 0853-800-अन्य प्राप्तियाँ                     | 2,28,594.49                           | 2,46,145.77                 | (-)17,551.28             |
| 0853-900- घटाइये - वापसी                      | (-) 4.22                              | --                          | (-) 4.22                 |
| <b>योग</b>                                    | <b>2,47,044.25</b>                    | <b>2,46,145.77</b>          | <b>(+) 898.48</b>        |

(स्रोत: वित्त. लेखा-2010-11 एवं विभागीय आंकड़े)

वर्ष 2009-10 के दौरान आंकड़ों में ₹ 4.99 करोड़ (म.ले.आंकड़े ₹ 1,660.87 करोड़ एवं विभागीय आंकड़े ₹ 1,655.87 करोड़) की भिन्नता थी जिसका पुनर्मिलान अभी तक नहीं किया गया।

तालिका 2.9: विभागीय व्यय का पुनर्मिलान न किया जाना

(₹लाख में)

| लेखा शीर्ष                          | कुल प्रावधान | म.ले.(ले.एवं ह.)के अनुसार व्यय | विभाग के अनुसार व्यय | अन्तर आधिक्य (+) बचत (-) |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 2047-103-2696-प्रचार                | 8.35         | 1.29                           | 1.42                 | (+) 0.13                 |
| 2054-095-4307-सम्भागीय स्थापना      | 270.99       | 269.17                         | 270.99               | (+) 1.82                 |
| 2054-095-2274- निर्देशन एवं प्रशासन | 441.45       | 441.60                         | 441.45               | (-)0.15                  |
| 2054-097-1026-कोषालायीन स्थापना     | 1,476.15     | 1,487.04                       | 1,476.15             | (-)10.89                 |
| 2054-098-4361-स्थानीय निधी. लेखे    | 817.42       | 789.14                         | 817.42               | (+) 28.28                |

(स्रोत: विनियोग लेखा एवं विभागीय आंकड़े)

इंगित किए जाने पर वित्त विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2011) कि पुनर्मिलान किया जा चुका है तथापि, आधिक्य/ बचत के कारण सूचित नहीं किए गए।

#### 2.4.4 व्यय का अतिरेक

छत्तीसगढ़ बजट मैनुअल के कंडिका 92 के अनुसार व्यय की अधिकता से खासकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में बचना चाहिए। अनुदान की समीक्षा से प्रकट हुआ कि अनुदान संख्या 25 के दो शीर्षों में शत प्रतिशत राशि का उपयोग मार्च में किया गया जैसा तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका -2.10: व्यय का अतिरेक

(रूलाख में)

| लेखा शीर्ष   | कुल व्यय | 2011के दौरान व्यय |       | 2011के दौरान व्यय का प्रतिशत |       |
|--|----------|-------------------|-------|------------------------------|-------|
|  |          | अंतिम तिमाही      | मार्च | अंतिम तिमाही                 | मार्च |
| 2885- उद्योग एवं खनिज पर अन्य परिव्यय                  | 30.00    | 30.00             | 30.00 | 100                          | 100   |
| 4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 3,000    | 3,000             | 3,000 | 100                          | 100   |

(स्रोत: विभागीय आंकड़ें)

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया जाता है, तथापि, उत्तर अपेक्षित है (सितम्बर 2011)

#### 2.4.5 स्फीत बजट प्रावधान एवं बचत का समर्पण न होना

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची के अधीन मुख्य शीर्ष 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं - लघु शीर्ष 800 में निम्न व्यय शामिल है (अ) रक्षा विभाग के अलावा विभागों के अधिपत्य में आने वाले एवं शासन द्वारा नामांकित विभागों द्वारा भुगतान किए गए गैर आवासी भवनों पर कर (ब) विदेशियों का प्रत्यर्पण (स) जंगली जानवरों के विनाश के लिए ईनाम।

छत्तीसगढ़ बजट मैनुअल के कंडिका 118 (8) के अनुसार विभाग के द्वारा बचत को, जिसका वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता न हो, व्यपगत होने से पूर्व समर्पित किया जाना चाहिए।

अनुदान संख्या 6 के समीक्षा से प्रकट हुआ की वर्ष 2004-05 से 2010-11 के दौरान ₹ 1,802 करोड़ का वृहत बजट प्रावधान उपरोक्त लघु शीर्ष के अन्तर्गत किया गया था। इन प्रावधानों में से केवल ₹ पांच लाख (0.003 प्रतिशत) उस अवधि के दौरान व्यय किया गया था। विभाग द्वारा न तो प्रावधान का उपयोग किया गया एवं न ही बचत को समर्पित किया गया जैसा कि तालिका 2.11 में दर्शाया गया है।

तालिका -2.11: व्यय के पश्चात शेष प्रावधान को समर्पित न करना

(₹ करोड़ में)

| वर्ष    | कुल प्रावधान | व्यय | बचत      |
|---------|--------------|------|----------|
| 2004-05 | 150.00       | NIL  | 150.00   |
| 2005-06 | 215.00       | NIL  | 215.00   |
| 2006-07 | 175.00       | *    | 175.00   |
| 2007-08 | 300.00       | #    | 300.00   |
| 2008-09 | 200.00       | NIL  | 200.00   |
| 2009-10 | 362.00       | 0.05 | 361.95   |
| 2010-11 | 400.00       | NIL  | 400.00   |
| योग     | 1,802.00     | 0.05 | 1,801.95 |

(स्रोत: विभागीय आंकड़े)

\* व्यय ₹ 0.145 लाख था

# व्यय ₹ 0.023 लाख था

और तो और वर्ष 2010-11 के दौरान इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत वित्त विभाग के वेतन भत्तों के लिए ₹ 400 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जो मुख्य एवं लघु शीर्ष के लेखे की सूची के प्रावधान के विपरीत था। यह स्फीत बजट प्रावधान को दर्शाता है एवं इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत विगत सात वर्षों में बचत का समर्पण ही नहीं किया गया है।

वित्त विभाग से बचत के कारणों की जानकारी मांगी गई थी, जो अभी तक अपेक्षित थी (सितम्बर 2011)।

#### 2.4.6 खनिज विकास निधि में निर्धारित राशि से कम अंतरण

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि बिल 2003 की कंडिका 3(2) में दिये गये प्रावधान के अनुसार कुल खनिज राजस्व के पांच प्रतिशत के समतुल्य राशि प्रतिवर्ष खनिज विकास निधि में अंतरित किया जाना था वर्ष 2002-03 से 2009-10 की अवधि के दौरान ₹ 7,355 करोड़ का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ था। इसमें से पांच प्रतिशत (₹ 367.75 करोड़) राशि खनिज विकास निधि में आवंटित किया जाना था।

अभिलेखों के जांच से यह प्रकट हुआ कि वर्ष 2002-09 की अवधि के दौरान पांच प्रतिशत से भी कम राशि एवं वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 297.17 करोड़ (4.04 प्रतिशत) की राशि खनिज विकास निधि में अंतरित किया गया परिणाम स्वरूप परिशिष्ट 2.12 में दर्शाये अनुसार ₹ 70.58 करोड़ का कम अंतरण हुआ।

इंगित किए जाने पर खनिज विभाग ने तथ्य स्वीकार किया (सितम्बर 2011) एवं बताया कि कार्य योजना तैयार नहीं किए जाने के कारण प्रारंभिक वर्षों में कम राशि बांटा गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि के प्रावधान का पालन नहीं किया गया एवं विभाग द्वारा निर्धारित राशि उपरोक्त निधि में अंतरित नहीं किया गया।

#### 2.4.7 रायल्टी एवं सुरक्षा जमा का अनिर्दिष्ट लेखा शीर्ष में लेखांकित किया जाना

संघ एवं राज्यों के मुख्य तथा लघु शीर्षों के लेखों की सूची के अनुसार खनन से वसूली किये गए रायल्टी को मुख्य शीर्ष 0853 अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग लघु शीर्ष 102 रियायती खनन फीस, किराया एवं रायल्टी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिये।

खनिज विभाग द्वारा वर्ष 2000-01 के दौरान **परिशिष्ट 2.13** में दर्शाये अनुसार ₹ 10699.77 करोड़ के राजस्व ( मुख्य खनिज ₹ 10,228.59 करोड़ एवं गौण खनिज ₹ 471.18 करोड़) रायल्टी के खाते में वसूल किए गए थे, लेकिन समूचे राजस्व प्राप्तियों को निर्दिष्ट लघु शीर्ष 102 के अंतर्गत वर्ष 2000-01 से ही लेखांकित नहीं किया गया था।

अभिलेखों के जांच से प्रकट हुआ कि ₹ 10,699.77 करोड़ की रायल्टी के खाते की मुख्य खनिज एवं गौण खनिज की प्राप्तियों को मुख्य शीर्ष 0853 लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियां नया उप शीर्ष 0277 मुख्य खनिज प्राप्तियां एवं उप शीर्ष 0278 गौण खनिज प्राप्तियां संचालित कर लेखांकित किया गया था।

इसी प्रकार सुरक्षा जमा को मुख्य शीर्ष 8,443 सिविल जमा-लघु शीर्ष 103 सुरक्षा जमा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना था। यह देखा गया कि उपरोक्त प्रावधान के विपरीत 2005-06 से 2010-11 की अवधि के दौरान सुरक्षा जमा, मुख्य शीर्ष 0853 लघु शीर्ष (800) उप शीर्ष (0229) अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत लेखांकित किया गया था। परिणामस्वरूप रायल्टी एवं सुरक्षा जमा को अनिर्दिष्ट लेखा शीर्ष में लेखांकित किया गया।

इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2011) खनिज विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं यह बताया कि मुख्य शीर्ष 0853 लघु शीर्ष (800) अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत इन उप शीर्षों को खोला गया जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य वित्त विभाग के राजस्व प्राप्ति-लोक लेखा बजट अनुमान पुस्तिका (भाग दो) में परिभाषित किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रायल्टी एवं सुरक्षा जमा के खाते की प्राप्तियों को लेखांकित करने के लिए निर्दिष्ट नहीं है।

#### **2.4.8 खनिज राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाकर दर्शाया जाना एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना**

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 56(2) के अनुसार गौण खनिज के खाते में प्राप्त राजस्व संबंधित पंचायतों स्वशासी निकायों को वितरण के लिए जिला कलेक्टरों को वर्ष में अंतरित किया जाना चाहिये। छत्तीसगढ़ राज्य वित्तीय संहिता के नियम 182 में प्रावधान है कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रदत्त अनुदानों के लिए अनुदान ग्रहीता संस्थाओं से विभागों को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए एवं सत्यापन उपरान्त स्वीकृति के दिनांक से 18 माह के भीतर अथवा जैसा उपबंधित हो महालेखाकार को अग्रेषित करना चाहिए। वर्ष 2000-01 से 2010-11 के दौरान ₹ 471.18 करोड़ गौण खनिज के रूप में संग्रहित किया गया था एवं तदनुसार समूची राशि अंतरित की गई थी खनिज विभाग द्वारा संबंधित वर्षों में उपयोग में लिया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.14** दर्शाया गया है।

तथापि अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए। आगे यह भी देखा गया कि ₹ 2.87 करोड़ (₹ 0.94 करोड़ 2008-09, ₹ 0.55 करोड़ 2009-10 एवं ₹ 1.38 करोड़ 2010-11) कलेक्टर कांकेर द्वारा पंचायतों को अंतरित किया गया इसे पुनः बैंक द्वारा मुख्य शीर्ष 0853 में राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत जमा किया गया। इससे राज्य के खनन के लेखे में निबल राजस्व प्राप्तियां

₹ 2.87 करोड़ से बढ़ गई जबकि कांकेर जिले के संबंधित पंचायते इन राशियों के जारी किए जाने के अपेक्षित लाभ से वंचित रहे।

इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2011) विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि भविष्य में उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्राप्ति) सुनिश्चित किया जाएगा।


## 2.5 निष्कर्ष

2010-11 के दौरान, कुल ₹ 29,267.80 करोड़ के अनुदानों एवं विनियोगों के विरुद्ध ₹ 23,999.46 करोड़ व्यय किया गया परिणामस्वरूप ₹ 5,268.34 करोड़ की बचत हुई। ₹ 5,463.47 करोड़ के कुल बचत में से ₹ 195.13 करोड़ के आधिक्य के समायोजन के उपरान्त निबल परिणाम कुल मिलाकर बचत रही। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन इस आधिक्य का नियमितीकरण कराया जाना चाहिये। 92 प्रकरणों में, ₹ 3,311.15 करोड़ का समर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस में किया गया जबकि 20 अनुदानों एवं तीन विनियोगों में ₹ 1,269.84 करोड़ (बचत ₹ एक करोड़ से अधिक) की बचत का समर्पण नहीं किया गया। 14 प्रकरणों में वास्तविक बचत से कुल ₹ 76.82 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक समर्पित राशि) से अधिक का समर्पण किया गया। इसी प्रकार 21 अन्य अनुदानों के अधीन कुल मिलाकर ₹ 2,740.02 करोड़ के बचत (₹ एक करोड़ या अधिक के बचत) में से केवल ₹ 1,764.95 करोड़ ही समर्पित किये गये। ₹ 192.87 करोड़ के व्यय आधिक्य के बावजूद चार अनुदानों में ₹ 20.64 करोड़ का समर्पण किया गया था।

## 2.6 अनुशंसाएँ

- सभी सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
- वर्ष के अंत में पुनर्विनियोजन/समर्पण आदेश जारी किये जाने से बचा जाना चाहिये।
- वर्ष 2000 से विचारधीन व्यय आधिक्य का नियमितीकरण को प्राथमिकता से लिया जाना चाहिए।
- मार्च के महिने में व्यय के अतिरेक से बचने के लिये व्यय का नियमित प्रवाह को बनाये रखना चाहिए।
- संबंधित विभागों की वास्तविक आवश्यकता सुनिश्चित करने के उपरांत ही पूरक प्रावधान किया जाना चाहिए।





तीसरा अध्याय  
वित्तीय प्रतिवेदन



## तीसरा अध्याय

### वित्तीय प्रतिवेदन

एक सुसंगत तथा विश्वसनीय सूचनाओं सहित एक स्वस्थ आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य शासन के द्वारा कुशल एवं प्रभावी प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ साथ एवं ऐसे अनुपालनों की स्थिति पर प्रतिवेदनों की सामयिकता एवं उनकी गुणवत्ता अच्छे शासन की एक विशेषता है। अनुपालनों एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन यदि प्रभावी एवं प्रचालन में रहे तो राज्य शासन को इससे महत्वपूर्ण योजना बनाने तथा निर्णय लेने जैसे आधारभूत दायित्वों, को पूरा करने में मदद मिलती है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के राज्य शासन के अनुपालन की स्थिति एवं विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

#### 3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता (नियम 182, 229 एफ) में प्रावधान है कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दिये गए अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0) अनुदान ग्रहिताओं से विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिये एवं सत्यापन उपरांत महालेखाकार को उनकी स्वीकृति के 18 माह के भीतर अग्रेषित किया जाना चाहिये जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो। तथापि 2007-08 से 2009-10 के दौरान विभिन्न मुख्य शीर्षों से संबंधित 17,200 उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रकरणों में भुगतान किये गये अनुदान राशि ₹ 5,880.59 करोड़ में से कुल राशि ₹ 4,264.71 करोड़ के 10,888 उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे जो **परिशिष्ट-3.1** में दर्शाया गया है।

विभाग जिनके ₹ 100 करोड़ से अधिक के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं, स्थानीय निकायो तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेश (₹ 1,477.41 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 1,187.69 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 473 करोड़), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 239.59 करोड़), ऊर्जा (₹ 125.87 करोड़),

कृषि (₹ 115.89 करोड़), जल आपूर्ति तथा सफाई (₹ 110.03 करोड़) एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण (₹ 109.36 करोड़)।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अनुदान ग्रहिताओं द्वारा अनुदान का उपयोग दिये गये उद्देश्यों के लिए किया गया था।

### 3.2 गबन, हानियाँ, व्यपहरण आदि

वित्तीय संहिता के नियम 22 एवं 23 में प्रावधान है कि हानि, गबन एवं व्यपहरण के प्रत्येक प्रकरण की सूचना महालेखाकार को जानी चाहिये। मार्च 2011 के अंत तक राज्य शासन द्वारा प्रतिवेदित 46.03 करोड़ के 1,957 प्रकरण अंतिम अनुसंधान एवं निराकरण हेतु लम्बित थे। प्रकरणों का वर्षवार विश्लेषण परिशिष्ट-3.2 में दर्शाया गया है। विभागवार एवं वर्गवार बकाया प्रकरणों का विभाजन परिशिष्ट-3.3 में दिया गया है। बकाया प्रकरणों की वर्षवार स्थिति एवं प्रत्येक श्रेणी में जैसे चोरी, गबन एवं हानि की कितनी संख्या में प्रकरण लम्बित है इसे तालिका-3.1 में सारांशिकृत किया गया है।

तालिका 3.1: गबनों/हानियों/व्यपहरणों इत्यादि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| लम्बित प्रकरणों की वर्षवार स्थिति |                    |       | बकाया प्रकरणों की प्रकृति |                    |       |
|-----------------------------------|--------------------|-------|---------------------------|--------------------|-------|
| श्रेणी वर्षों में                 | प्रकरणों की संख्या | राशि  | प्रकरण की प्रकृति         | प्रकरणों की संख्या | राशि  |
| 0 - 5                             | 502                | 30.83 | चोरी                      | 158                | 0.81  |
| 5 - 10                            | 367                | 5.95  |                           |                    |       |
| 10 - 15                           | 274                | 5.30  | गबन/सामग्रियों की हानि    | 1799               | 45.22 |
| 15 - 20                           | 261                | 2.42  |                           |                    |       |
| 20 - 25                           | 262                | 0.94  |                           |                    |       |
| 25 एवं उसके उपर                   | 291                | 0.58  | कुल लम्बित प्रकरण         | 1957               | 46.03 |
| योग                               | 1957               | 46.03 |                           |                    |       |

(स्रोत: राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रकरण)

आगे विश्लेषण दर्शाता है कि जिन कारणों से प्रकरण लम्बित थे उनको निम्न तालिका में दी गयी पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

## तालिका 3.2: गबनों/हानियों/व्यपहरणों के प्रकरणों के बकाया रहने के कारण आदि

(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | बकाया/ लम्बित प्रकरण रहने के कारण                                     | प्रकरणों की संख्या | राशि         |
|---------|---|--------------------|--------------|
| 1       | विभागीय एवं फौजदारी अनुसंधान की प्रत्याशा में लम्बित                  | 252                | 2.06         |
| 2       | विभागीय कार्यवाही प्रारंभ लेकिन अंतिम तौर पर निर्णीत नहीं             | 196                | 1.47         |
| 3       | फौजदारी कार्यवाही निर्णीत लेकिन राशि की वसूली संबंधी कार्यवाही लम्बित | 20                 | 0.11         |
| 4       | वसूली/अपलेखन के आदेश लम्बित   | 1438               | 41.33        |
| 5       | न्यायालय में प्रकरण लम्बित  | 51                 | 1.06         |
|         | <b>योग</b>  | <b>1957</b>        | <b>46.03</b> |

(स्रोत: राज्य शासन के विभागों से प्राप्त जानकारियों)

### 3.3 संक्षिप्त नैमित्तिक देयकों (ए.सी.बिल्स) एवं अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न होना।

#### 3.3.1. संक्षिप्त नैमित्तिक देयकों (ए.सी.बिल्स) के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित नैमित्तिक देयकों (डी.सी.सी.बिल्स) का लम्बित प्रस्तुतीकरण

छत्तीसगढ़ राज्य कोषालय संहिता के नियम 313 के अनुसार प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त नैमित्तिक देयक (ए.सी.बिल्स) में यह प्रमाणित करना होता है कि उनके द्वारा आहरित सभी नैमित्तिक देयकों के लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित देयकों (डी.सी.सी.) को चालू माह के प्रथम दिवस से पूर्व संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षर एवं महालेखाकार को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित किये गये हैं। 2006-11 की अवधि के दौरान, ₹ 26.66 करोड़ के बकाया संक्षिप्त नैमित्तिक देयकों के विरुद्ध कुल ₹ 22.13 करोड़ के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित नैमित्तिक देयक (डी.सी.सी.) प्राप्त हुए थे जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2011 की स्थिति में, ₹ 4.53 करोड़ के ए.सी. देयक बकाया थे। वर्षवार विवरण तालिका-3.3 में दिया गया है।

**तालिका 3.3: संक्षिप्त देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित नैमित्तिक देयकों का लम्बित प्रस्तुतीकरण**

(₹ करोड़ में)

| वर्ष       | प्रारम्भिक शेष   |       | वर्ष के दौरान प्राप्त ए.सी.बिल्स |              | वर्ष के दौरान विस्तृत डी.सी.सी. बिल्स |              | बकाया ए.सी. बिल्स |       |
|------------|------------------|-------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------|
|            | देयकों की संख्या | राशि  | देयकों की संख्या                 | राशि         | देयकों की संख्या                      | राशि         | देयकों की संख्या  | राशि  |
| 2006-07    | 275              | 2.95  | 284                              | 5.82         | 169                                   | 1.58         | 390               | 7.19  |
| 2007-08    | 390              | 7.19  | 98                               | 1.43         | 3                                     | 0.13         | 485               | 8.49  |
| 2008-09    | 485              | 8.49  | 471                              | 8.70         | 217                                   | 3.78         | 739               | 13.41 |
| 2009-10    | 739              | 13.41 | 30                               | 0.55         | -                                     | -            | 769               | 13.96 |
| 2010-11    | 769              | 13.96 | 187                              | 7.21         | 886                                   | 16.64        | 70                | 4.53  |
| <b>योग</b> |                  |       | <b>1070</b>                      | <b>23.71</b> | <b>1275</b>                           | <b>22.13</b> |                   |       |

(स्रोत:- कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त जानकारी)

वर्ष 2010-11 तक के लिए मुख्यशीर्षवार लम्बित डी.सी.सी.देयकों का विवरण परिशिष्ट-3.4 में दिया गया है।

**3.3.2 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन नहीं होना**

आहरण एवं संवितरण अधिकारी या तो स्थायी आदेशों के प्राधिकार पर अथवा राज्य सरकार की विशेष स्वीकृतियों के आधार पर आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिये अस्थाई अग्रिमों का आहरण करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वित्तीय संहिता के नियम 271 के अनुसार तीन माह से अधिक लम्बित अस्थायी अग्रिम, कोषालय अधिकारी एवं लेखा अधिकारी द्वारा एक माह के भीतर संबंधित प्रमाणको के साथ समायोजन हेतु विभाग प्रमुख को अग्रेषित किया जाना है। पांच माह से अधिक लम्बित अग्रिम को शासन के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

31 मार्च 2011 की स्थिति में विभिन्न सिविल विभागों से संबंधित अस्थायी अग्रिम की वर्ष 2010-11 के लिये जानकारी उपलब्ध नहीं था। तथापि, समायोजन हेतु लंबित अग्रिमों का वर्षवार विवरण तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

## तालिका 3.4 वर्ष-वार लंबित अस्थाई अग्रिम (सिविल विभाग) का विवरण

( ₹ लाख में )

| स.क्र.     | वर्ष संबंधित अग्रिम | अग्रिम की संख्या | राशि         |
|------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1          | 2006-07             | 07               | 5.35         |
| 2          | 2007-08             | 16               | 23.22        |
| 3          | 2008-09             | 47               | 9.03         |
| 4          | 2009-10             | 12               | 0.48         |
| 5          | 2010-11             | अप्राप्त         | -            |
| <b>योग</b> |                     | <b>82</b>        | <b>38.08</b> |

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त जानकारी)

इसके अतिरिक्त लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी एवं जल संसाधन विभागों में कुल ₹ 1.10 करोड़ के अस्थायी अग्रिम के 118 प्रकरण 31 मार्च 2011 को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा समायोजन हेतु लंबित थे। अग्रिम का वर्ष-वार विवरण अप्राप्त था।

**3.4 आकस्मिकता निधि से अग्रिम**

राज्य की आकस्मिकता निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(1) एवं 283(2) के अनुपालन में स्थापित किया गया है। निधि से अग्रिम केवल आपात एवं अदृष्ट प्रकृति के व्यय की पूर्ति हेतु, जिसे विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक टालना अवांछित हो, दिया जाना है। निधि की प्रकृति अग्रिम की तरह ही है एवं इसकी निकाय ₹ 40 करोड़ की है। लेखापरीक्षा में निम्न उदाहरणों में देखने में आया कि व्यय की प्रकृति यद्यपि अनवेक्षित नहीं होने पर भी आकस्मिकता निधि से व्यय किये गये:-

बोदरी, बिलासपुर में स्थित उच्च न्यायालय भवन के लिए फर्नीचर की खरीद हेतु ₹ 1.50 करोड़ का अग्रिम ( 28 मई 2010 ) स्वीकृत किया गया है।

**3.5 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे**

व्यक्तिगत निक्षेप (पी.डी.) लेखे राज्य की समेकित निधि को नाम देकर निधियाँ जमा करने एवं वित्तीय वर्ष के अंत में संबंधित व्यय शीर्ष को नाम देकर बंद किया जाना चाहिये। मार्च 2011 की स्थिति में 19 जिला कोषालयों एवं उप कोषालयों में ₹ 496.34 करोड़ के 153 व्यक्तिगत निक्षेप खाता धारक थे, जिसमें से ₹ 24.03 करोड़ की राशि मुक्त 59 पी.डी. खाते तीन वर्ष से भी अधिक समय से संचालित नहीं हो रहे थे, इसमें एक ऐसा पी.डी. खाता शामिल है, जिसमें ₹ 16.02 करोड़ का बैलेंस अगस्त 1996 से बिना बदलाव के शेष है। इन असंचालित खातों में पडी हुई राशि महालेखाकार



(लेखा एवं हक.) द्वारा कोषालय के निरीक्षण के दौरान ध्यान में लाए जाने के बाद भी उनसे संबंधित सेवा शीर्षों में अंतरित नहीं किये गये। अवधिवार असंचालित खाते का विवरण निम्नानुसार है

| वर्ष                 | असंचालित पी.डी. खातों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| 3-5                  | 3                               | 0.26               |
| 5-10                 | 16                              | 7.35               |
| 10-15                | 33                              | 0.33               |
| 15 वर्ष और उससे अधिक | 7                               | 16.09              |
| योग                  | 59                              | 24.03              |

व्यक्तिगत निक्षेप खातों में निधियों को जमा किया जाना राजस्व व्यय को बढ़ा देता है राज्य के लेखों की पारदर्शिता पर विपरीत प्रभाव डालता है तथा संसाधनों को अवरुद्ध करता है जिसका उपयोग विकास के लिये कहीं और किया जा सकता है।

### 3.6 निष्कर्ष

₹ 4,264.71 करोड़ के 10,888 उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहायता अनुदान (जी.आई.ए.) ग्रहिता द्वारा प्रस्तुत न किया जाना, संबंधित विभाग की अनुश्रवण तंत्र में कमी को दर्शाता है। इसका तात्पर्य यह है कि विभाग द्वारा पूर्व वर्षों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्राप्त किए बिना ही सहायता अनुदान जारी किया जाना भी दर्शाता है। गबन/हानियाँ एवं व्यपहरण आदि के 1,957 लंबित प्रकरणों में से, ₹ 2.06 करोड़ के 252 प्रकरण विभागीय जाँच तथा आपराधिक अन्वेषण प्रारंभ नहीं किये जाने के कारण तथा कुल लंबित प्रकरणों में से ₹ 1.52 करोड़ के 553 प्रकरण 20 वर्ष से अधिक समय से लंबित है।

वर्ष 2006 - 2011 अवधि के दौरान लंबित ₹ 26.66 करोड़ के नैमित्तिक देयक के विरुद्ध ₹ 22.13 करोड़ के प्रति हस्ताक्षरित नैमित्तिक देयक ही प्राप्त हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2011 तक, ₹ 4.53 करोड़ के नैमित्तिक देयक बकाया है। 31 मार्च 2011 तक, ₹ 1.48 करोड़ के 200 अस्थायी अग्रिमों के प्रकरण समायोजन हेतु लंबित थे। आकस्मिक निधि से बोदरी, बिलासपुर में स्थित उच्च न्यायालय भवन के लिए फर्नीचर की खरीद हेतु ₹ 1.50 करोड़ का अग्रिम (मई 2010) स्वीकृत किया गया था। 59 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में 24.03 करोड़ जमा राशि का संचालन नहीं हो रहा था।

### 3.7 अनुशंसाएँ

- विभागों द्वारा अनुदान ग्रहीता संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति पर सख्त निगरानी रखनी चाहिये।
- धोखाधड़ी, हानियाँ एवं गबन के प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिये। ऐसे प्रकरणों की रोकथाम के लिए सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
- लंबित संक्षिप्त नैमित्तिक देयकों तथा अस्थायी अग्रिमों का समय पर समायोजन किया जाना चाहिए।
- आकस्मिक निधि से अग्रिम केवल आपात एवं अदृश्य प्रकृति के व्यय की पूर्ति हेतु ही दिया जाना चाहिए।
- व्यक्तिगत निक्षेप लेखे को वित्तीय वर्ष के अंत में बंद किया जाना चाहिए तथा संचालित न होने वाले खातों को संबंधित व्यय शीर्ष में वापस अंतरित किया जाना चाहिए।

रायपुर  
दिनांक

19 MAR 2012




(पूर्ण चन्द्र माझी)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षर


नई दिल्ली  
दिनांक

19 MAR 2012




(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट



## परिशिष्ट - 1.1

(कंडिका :1.1; पृष्ठ 1के संदर्भ में)

## छत्तीसगढ़ राज्य का प्रोफाइल

## अ. सामान्य आंकड़े

| सं.क्र. | विवरण   |  | आंकड़े                       |
|---------|---|--|------------------------------|
| 1       | क्षेत्र   |  | 1,37,898 वर्ग कि.मी.         |
| 2       | जन संख्या   |  |                              |
|         | अ   | 2001 के जनगणना के अनुसार   | 2.08 करोड़                   |
|         | ब   | 2010-11 के अनुसार  | 2.55 करोड़                   |
| 3       | अ   | जन संख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व = 325 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.) | 154 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. |
|         | ब   | जन संख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व = 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.) | 189 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. |
| 4       | * गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 27.5 प्रतिशत)                 |  | 40.90 प्रतिशत                |
| 5       | a   | साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 64.8 प्रतिशत)                                 | 64.66 प्रतिशत                |
|         | b   | साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 74.0 प्रतिशत)                                 | 71.04 प्रतिशत                |
| 6       | शिशु मृत्यु दर ** (प्रति 1000 जीवित बच्चों पर). (राष्ट्रीय औसत = 50 प्रति 1000 जीवित बच्चे) |  | 54                           |
| 7       | गिनी कोएफिशियन्ट ***  |  |                              |
|         | a   | ग्रामीण (राष्ट्रीय = 0.30)   | 0.29                         |
|         | b   | शहरी (राष्ट्रीय = 0.37)  | 0.43                         |
| 8       | सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2010-11 के वर्तमान मूल्य के अनुसार                    |  | ₹ 1,29,718 करोड़             |
| 9       | जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2001-02 से 2010-11)   |  | 17.85 प्रतिशत                |
| 10      | प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2001-02 से 2010-11)                                 |  | 13.61 प्रतिशत                |
| 11      | जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2001-02 से 2009-10)   | छत्तीसगढ़  | 17.57 प्रतिशत                |
|         |   | अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में  | 13.37 प्रतिशत                |
| 12      | जनसंख्या वृद्धि (2001 से 2011)  | छत्तीसगढ़  | 22.59 प्रतिशत                |
|         |   | अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में  | 17.56 प्रतिशत                |

\* सामान्य आंकड़ों का स्रोत- बी.पी.एल. (योजना आयोग एवं राष्ट्रीय प्रादर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के आंकड़े 61वां चक्र) \*\* शिशु मृत्यु दर (सिम्ल रेण्डम सेम्ल (एस.आर.एस.) बुलेटिन जनवरी 2011) \*\*\* गिनी को एफिशियंट आबादी के बीच आय असमानता का एक माप है। मूल्य दर शून्य से एक है। शून्य के निकट असमानता कम है। एक के निकट असमानता अधिक है। (योजना आयोग के अशासकीय प्राक्कलन एवं राष्ट्रीय प्रादर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के आंकड़े 61वां चक्र 2004-05 एम.आर.पी.), वित्तीय आंकड़े वित्त लेखों पर आधारित हैं।

## ब. वित्तीय आंकड़े

| विवरण       |                             | सामान्य श्रेणी राज्यों में |           |                    |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| सी.ए.जी.आर. |                             | 2001-02 से 2009-10         |           | 2001-02 से 2010-11 |
|             |                             | सामान्य श्रेणी राज्य       | छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़          |
|             |                             | (आंकड़े प्रतिशत में)       |           |                    |
| अ           | राजस्व प्राप्तियों का       | 15.20                      | 19.46     | 20.06              |
| ब           | स्वयं के कर राजस्व का       | 14.53                      | 17.26     | 18.22              |
| स           | कर भिन्न राजस्व का          | 13.87                      | 19.69     | 20.36              |
| द           | कुल व्यय का                 | 13.53                      | 18.16     | 17.14              |
| क           | पूँजीगत व्यय का             | 22.61                      | 24.48     | 22.44              |
| ख           | शिक्षा पर राजस्व व्यय का    | 12.73                      | 21.69     | 22.43              |
| ग           | स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का | 11.97                      | 14.70     | 13.92              |
| घ           | वेतन एवं मजदूरी का          | 11.45                      | 15.15     | 14.86              |
| प           | पेंशन का                    | 14.09                      | 13.21     | 16.50              |

**परिशिष्ट -- 1.1 (अ)**

(कड़िका :1.1; पृष्ठ 1 के संदर्भ में)

**भाग अ: सरकारी लेखों की संरचना एवं प्रारूप**

**सरकार के लेखे की संरचना:** राज्य शासन के लेखे तीन भागों (I) समेकित निधि (II) आकस्मिकता निधि और (III) लोक लेखा में रखे गये हैं।

**भाग (I) समेकित निधि:** राज्य शासन द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, विनिमय पत्र द्वारा प्राप्त समस्त ऋण आंतरिक और बाह्य ऋण, और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि का निर्माण करते है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत यह निधि राज्य की समेकित निधि के नाम से स्थापित की गई हैं।

**भाग (II) आकस्मिकता निधि:** भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। यह अग्रिम के रूप में होती हैं, इसे अत्यावश्यक अनवेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, इस व्यय को बाद में विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है बाद में विधान मंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती हैं। तब आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की इस निधि (समेकित) द्वारा भरपाई की जाती हैं।

**भाग (III) लोक लेखा:** कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आरक्षित निधियाँ, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो समेकित निधि के हिस्से नहीं है, इस प्रकार प्राप्त लोक धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है एवं जो विधान मंडल के द्वारा वोट के अधीन नहीं हैं।

**भाग ब: वित्त लेखों की रूपरेखा**

वित्त लेखों को वर्ष 2010-11 से दो भागों में विभाजित किया गया है।

**खण्ड-1 - सारांशीय विवरणी**

|   |  |
|---|--|
| 1 | वित्तीय स्थिति का विवरण- वर्ष के अंत में परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संचयीत आंकड़े।                                    |
| 2 | प्राप्तियों एवं संवितरण का विवरण- वर्ष के दौरान शासन द्वारा सरकारी लेखे में तीन भागों में रखे गये प्राप्तियों एवं संवितरण। |
| 3 | समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण- शासन की राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं शासन द्वारा उधार से प्राप्तियों का विवरण। |
| 4 | समेकित निधि में व्यय का विवरण- कार्यकलाप एवं क्रियाकलाप अनुसार व्यय का विवरण।  |

**खण्ड-2**

|    |  |
|----|--|
| 5  | प्रगामी पूंजीगत परिव्यय का विवरण- पूंजीगत व्यय का प्रगामी जोड़ 2010-11 तक का सारांशी विवरण।  |
| 6  | उधारों तथा अन्य दायित्वों का विवरण- शासन के उधारों का सारांशी विवरण जिसमें आंतरिक ऋण भारत शासन से प्राप्त कर्जे, अन्य दायित्व एवं ऋणों की सेवायें।   |
| 7  | सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा पेशगियों का विवरण- राज्य शासन द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये ऋणों और अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतान और वसूलियों का बकाया इत्यादि।                                   |
| 8  | राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण।  |
| 9  | शासन द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण- सांविधिक निगमों, स्थानीय निगमों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई गारंटी।                                     |
| 10 | प्रभारित एवं दत्तमत व्यय का विवरण-वर्ष के दौरान किए गए व्यय के भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण।  |
| 11 | राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघुशीर्षवार विस्तृत विवरण- राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विवरण।   |
| 12 | राजस्व व्यय का लघुशीर्षवार विस्तृत विवरण-आयोजना एवं आयोजनेत्तर के अधीन राजस्व व्यय का लेखा लघु शीर्षवार एवं पूंजीगत व्यय का मुख्य शीर्षवार लेखा।   |
| 13 | पूंजीगत व्यय विस्तृत शीर्षवार विवरण-2010-11 के दौरान और इसके अंत तक किए गए पूंजीगत व्यय एवं गत वर्ष के आकड़े के साथ तुलनात्मक विवरण।   |
| 14 | सरकार द्वारा किये गए नवेशों का विस्तृत विवरण- 2010-11 के अंत तक सांविधिक निगमों शासकीय कम्पनियों अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य शासन के निवेश का विवरण। |
| 15 | उधारों तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण।  |
| 16 | सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा उधारों का ब्यौरेवार विवरण।  |
| 17 | राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए अन्य निधियों के स्त्रोंतों एवं उपयोग का विस्तृत विवरण  |
| 18 | आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण  |
| 19 | चिन्हित आरक्षित निधियों के शेषों का विवरण।   |

## परिशिष्ट - 1.2

(कंडिका :1.1; पृष्ठ 1 के संदर्भ में)

## राजकोषीय स्थिति के आकलन हेतु अपनाई गई कार्याविधि

भाग - अ

बारहवें वित्त आयोग द्वारा एक सम्पूर्ण राजकोषीय समूह में से चयनित इसके अपने चित्रण/प्रक्षेपण सहित अस्थिर अंक राजकोषीय निर्धारित मानकों/सीमा के अनुसार एवं राज्य शासन द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम (परिशिष्ट 1.2 के भाग ब) के अधीन विधान सभा में रखा जाना आवश्यक है। इनमें वृहत् राजकोषीय कुल योगों की प्रवृत्तियों एवं रीति का गुणात्मक आकलन किया जाता है। यह मानकर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन का अच्छा सूचक है, वृहत् राजकोषीय कुल योग जैसे कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय आंतरिक ऋण एवं राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को प्रचलित बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिनिधित्व वाले आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय अस्थिर अंक के सह दक्षता सहित उतप्लावकता की संगणना यह आकलन करने के लिए की गई है कि संसाधनों का संग्रह व्यय की रीति इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिला रहा है अथवा इन राजकोषीय कुल योग पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य तत्वों द्वारा प्रभावित होता है।

विगत पांच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियाँ निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) में प्रवृत्तियाँ

|                                      | 2006-07  | 2007-08  | 2008-09(P) | 2009-10(Q) | 2010-11(A) |
|--------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) | 66874.89 | 80255.11 | 93179.71   | 109823.43  | 129717.54  |
| जीएसडीपी का विकास दर (प्रतिशत में)   | 25.28    | 20.01    | 16.10      | 17.86      | 18.11      |

(स्रोत: छत्तीसगढ़ सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)

जी.एस.डी.पी.<sup>1</sup> का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

|                                      | 2006-07             | 2007-08             | 2008-09(P)          | 2009-10(Q)          | 2010-11(A)          |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| प्राथमिक क्षेत्र                     | 21416.68<br>(13.19) | 26584.77<br>(24.13) | 26904.55<br>(1.20)  | 29605.90<br>(10.04) | 33309.20<br>(12.51) |
| द्वितीय क्षेत्र                      | 23701.03<br>(51.80) | 27648.79<br>(16.66) | 35714.95<br>(29.17) | 41978.29<br>(17.54) | 50959.44<br>(21.39) |
| तृतीय क्षेत्र                        | 21757.18<br>(15.44) | 26021.55<br>(19.66) | 30560.21<br>(17.44) | 38239.24<br>(25.13) | 45448.90<br>(18.88) |
| सकल घरेलू राज्य उत्पाद (जी एस डी पी) | 66874.89            | 80255.11            | 93179.71            | 109823.43           | 129717.54           |

(स्रोत:- छत्तीसगढ़ शासन के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 2010-11 के लिए) ।  
कोष्ठक में दर्शाये गये आकड़े जी एस डी पी का प्रतिशत है ।

नोट:- ए (एडवांस) क्यू (क्विक) पी (प्राविजनल)

प्राथमिक क्षेत्र - कृषि (पशुपालन सहित), वन, मत्स्य पालन, खनिज एवं उत्खनन

द्वितीय क्षेत्र - उत्पादन (पंजीकृत एवं अपंजीकृत), निर्माण, विद्युत, गैस, एवं जल वितरण

तृतीय क्षेत्र - रेल परिवहन अन्य साधन द्वारा, भंडारण, संचार, व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, बैंक, बीमा एवं रियल स्टेट, सामूदायिक एवं वैयक्तिक, अन्य सेवाएँ

<sup>1</sup> 2004-05 का आधार वर्ष के रूप में चुनाव - पूर्व में राष्ट्रीय सांख्यिकी लेखा दशाब्दी आधार वर्ष जो 1 से समाप्त होता है में परिवर्तन करते हुये संशोधित किये गये थे। प्राथमिक रूप से यह इसलिए थी क्योंकि राष्ट्रीय लेखा समूहों के आधार वर्ष आकलन में कार्य बल पर सूचना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है एवं कार्य बल अनुमान दशाब्दी में की गई जनगणना, 1 के साथ समाप्त वर्ष (जैसे 1981, 1991, 2001 इत्यादि) से प्राप्त हुए थे। परम्परा की यह श्रृंखला आधार वर्ष 1980-81 तक जारी रही तब से, सी.एस.ओ. ने नेशनल सेम्पल सर्वे आरगेनाइजेशन (एन.एस.एस. ओ) के द्वारा पांच वर्ष में एक बार किये गये रोजगार एवं बेरोजगारों के सर्वेक्षण, जो प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार सर्वेक्षण किया जाता है, के परिणाम के आधार पर कार्यबल का अनुमान किया गया। फलस्वरूप राष्ट्रीय सांख्यिकी लेखों के आधार वर्ष को संशोधित किया जाना प्ररंभ किया गया । उस वर्ष से, जब से एन.एस.एस. ओ. पांच में एक बार रोजगार एवं बेरोजगार का सर्वेक्षण करता है। इसी परम्परा के निरंतरता में राष्ट्रीय सांख्यिकी लेखों की नई श्रृंखला आधार वर्ष 2004-05 के साथ जारी की गयी है । इसलिए तदनुसार जी.एस.डी.पी. के आकड़े भी बदल गये है।



राजकोषीय समूहों के नमूने एवं प्रचलनों के आंकलन में उपयोग में लाये गये कुछ चयनित शब्दों की परिभाषा नीचे दी गयी है।

| शब्द   | संगणना के आधार   |
|--|--|
| उत्प्लावकता का माप सूचक                                      | मापसूचक की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर  |
| मापसूचक की उत्प्लावकता (X)<br>अन्य मापसूचक के संदर्भ में (Y) | मापसूचक (X) की वृद्धि दर/ मापसूचक (Y) की वृद्धि दर   |
| वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)                                      | [ (चालू वर्ष की राशि/ पिछले वर्ष की राशि)- 1]* 100   |
| विकास व्यय   | सामाजिक सेवाएँ + आर्थिक सेवाएँ   |
| राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान                                | ब्याज भुगतान/[पूर्व वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताओं/2]* 100   |
| ब्याज वितरण  | सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि - औसत ब्याज दर   |
| अंश वितरण  | ऋण स्टॉक* ब्याज वितरण  |
| दिये गये बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत              | ब्याज प्राप्ति [ (प्रारंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]* 100  |
| राजस्व घाटा  | राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय  |
| राजकोषीय घाटा  | राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम- राजस्व प्राप्ति- विविध पूंजीगत प्राप्ति   |
| प्रारंभिक घाटा   | राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान   |
| चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)                               | राजस्व प्राप्ति (-) सभी योजना अनुदानों एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष 2048 में दर्ज व्यय को छोड़कर ऋण परिहार को कम करने के लिए विनियोग |

## परिशिष्ट-1.2

(कंडिका :1.1; पृष्ठ 1 के संदर्भ में)

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2005

भाग ब

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2005

राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में औचित्य सुनिश्चित करने, राजस्व घाटे का उत्तरोत्तर विलोपन कर, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय स्थिरता में संगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, शासन की वित्तीय संक्रियाओं में अधिक राजकोषीय पारदर्शिता लाने तथा मध्य कालिक रूपरेखा में राजकोषीय नीति संचालन करने और उससे संसक्त या विषयों हेतु प्रावधान के लिए छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2005 बनाया गया। अधिनियम और/ अथवा इसके अधीन बने नियमों में (फरवरी 2006) उल्लेखित राजकोषीय प्रबंध सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य शासन हेतु निम्नलिखित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किए गए।

- राज्य शासन 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को खत्म करने के लिए समुचित उपाय करेगी। वर्ष 2005-06 में प्रारंभ कर प्रत्येक वर्ष साधारण राजस्व आधिक्य को बनाए रखने के लिए राज्य हर संभव प्रयास करेगा। तथापि किन्ही भी परिस्थितियों में राज्य निम्नलिखित से अधिक राजस्व घाटे से आगे नहीं बढ़ेगा।

| वर्ष                  | राशि (₹ करोड़ में) |
|-----------------------|--------------------|
| 2005-06               | 253.20             |
| 2006-07               | 168.80             |
| 2007-08               | 84.40              |
| 2008-09 तथा तत्पश्चात | शून्य राजस्व घाटा  |

- राज्य शासन वर्ष 2005-06 से प्रारंभ कर प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2004-05 के सापेक्ष राजकोषीय घाटे की तीन प्रतिशत से अधिक की राशि में से कम से कम एक चौथाई राशि के बराबर राजकोषीय घाटे को कम करेगा ताकि मार्च 2009 के अंत तक राजकोषीय घाटा, जी.एस.डी.पी. के तीन प्रतिशत से अधिक न हो।
- राज्य शासन किसी वित्तीय वर्ष में 2005-06 से प्रारंभ कर सामान्य वित्तीय नियमों पर जी.एस.डी.पी. के 1.5 प्रतिशत से अधिक तथा जोखिम भारित माप के आधार पर 0.5 प्रतिशत, दोनों में जो कम हो, के लिए कोई नई गारंटी नहीं देगा। तथा

राज्य शासन किसी भी वित्तीय वर्ष के लिये, 2005-06 से प्रारंभ कर जी.एस.डी.पी. के पाँच प्रतिशत से अधिक कोई अतिरिक्त दायित्व ग्रहण नहीं करेगा।

**परिशिष्ट- 1.3**

(कड़िका: 1.1 एवं 1.3, पृष्ठ 1 एवं 8 के संदर्भ में)

**राज्य शासन के वित्त के समय ऋंखला आंकड़ों का एक विश्लेषण**

(₹ करोड़ में)

|   | 2006-07           | 2007-08           | 2008-09           | 2009-10           | 2010-11           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>भाग - अ प्राप्तियाँ</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>                                  | <b>11,453(90)</b> | <b>13,879(95)</b> | <b>15,663(95)</b> | <b>18,154(89)</b> | <b>22,720(94)</b> |
| <b>(i) कर राजस्व</b>  | <b>5,046(44)</b>  | <b>5,618(40)</b>  | <b>6,594(42)</b>  | <b>7,123(39)</b>  | <b>9,005(40)</b>  |
| कृषि आय पर कर   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| विक्रय, व्यापार आदि पर कर                                     | 2,843(56)         | 3,024(54)         | 3,611(55)         | 3,712(52)         | 4,841(54)         |
| राज्य आवकारी  | 707(14)           | 843(15)           | 964(15)           | 1,188(17)         | 1,506(17)         |
| वाहन पर कर  | 253(5)            | 277(5)            | 314(5)            | 352(5)            | 428(5)            |
| मुद्रांक एवं पंजीयन फीस                                       | 390(8)            | 463(8)            | 496(8)            | 583(8)            | 786(9)            |
| भूमि राजस्व   | 61(1)             | 88(2)             | 359(5)            | 160(2)            | 247(3)            |
| सामग्री एवं यात्रियों पर कर                                   | 302(6)            | 511(9)            | 421(6)            | 696(10)           | 675(7)            |
| अन्य कर   | 490(10)           | 412(7)            | 429(7)            | 433(6)            | 522(6)            |
| <b>(ii) कर भिन्न राजस्व</b>                                   | <b>1,451(13)</b>  | <b>2,021(15)</b>  | <b>2,202(14)</b>  | <b>3,043(17)</b>  | <b>3,836(17)</b>  |
| <b>(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश</b>          | <b>3,199(28)</b>  | <b>4,035(29)</b>  | <b>4,258(27)</b>  | <b>4,381(24)</b>  | <b>5,425(24)</b>  |
| <b>(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान</b>                       | <b>1,757(15)</b>  | <b>2,205(16)</b>  | <b>2,609(17)</b>  | <b>3,607(20)</b>  | <b>4,454(20)</b>  |
| <b>2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>                           | <b>--</b>         | <b>27</b>         | <b>02</b>         | <b>02</b>         | <b>02</b>         |
| <b>3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ</b>                       | <b>355(3)</b>     | <b>437(3)</b>     | <b>533(3)</b>     | <b>992(5)</b>     | <b>561(2)</b>     |
| <b>3 (अ) अंतरराज्यीय समाशोधन</b>                              | <b>02</b>         | <b>02</b>         | <b>01</b>         | <b>03</b>         | <b>03</b>         |
| <b>4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+ 2+ 3)</b> | <b>11,810</b>     | <b>14,345</b>     | <b>16,199</b>     | <b>19,151</b>     | <b>23,286</b>     |
| <b>5. लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>                                  | <b>937(7)</b>     | <b>262(2)</b>     | <b>386(2)</b>     | <b>1287(6)</b>    | <b>795(3)</b>     |
| आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)         | 882(94)           | 142(54)           | 181(47)           | 1064 (83)         | 592 (74)          |
| अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अधीन निवल लेनदेन           | --                | --                | --                | --                | --                |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम                                   | 55(6)             | 120(46)           | 206(53)           | 223 (17)          | 203 (26)          |
| <b>6. संचित निधि में प्राप्तियाँ (4+5)</b>                    | <b>12747</b>      | <b>14,607</b>     | <b>16,585</b>     | <b>20,438</b>     | <b>24,081</b>     |
| <b>7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ</b>                          | <b>--</b>         | <b>3</b>          | <b>--</b>         | <b>01</b>         | <b>--</b>         |
| <b>8. लोक लेखा प्राप्तियाँ</b>                                | <b>13,982</b>     | <b>17,706</b>     | <b>20044</b>      | <b>24,512</b>     | <b>27,524</b>     |
| <b>9. राज्य शासन की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)</b>               | <b>26,729</b>     | <b>32,316</b>     | <b>36,629</b>     | <b>44,951</b>     | <b>51,605</b>     |
| <b>भाग - ब व्यय/संवितरण</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10. राजस्व व्यय</b>  | <b>8,802(75)</b>  | <b>10,840(75)</b> | <b>13,794(80)</b> | <b>17,265(83)</b> | <b>19,355(85)</b> |
| आयोजना  | 2,608(30)         | 3,576(33)         | 5,421(39)         | 6,817(39)         | 8,069(42)         |
| आयोजनेतर  | 6,194(70)         | 7,264(67)         | 8,373(61)         | 10,448(61)        | 11,286(58)        |
| सामान्य सेवा में (ब्याज भुगतान सहित)                          | 2,639(30)         | 3,040(28)         | 3,599(26)         | 4,350(25)         | 5,247(27)         |
| सामाजिक सेवायें   | 3,459(39)         | 4,117(38)         | 6,153(45)         | 8,024(46)         | 8,310(43)         |
| आर्थिक सेवायें  | 2,228(25)         | 3,140(29)         | 3,524(25)         | 4,423(26)         | 5,091(26)         |
| सहायता अनुदान एवं अंशदान                                      | 476(6)            | 543(5)            | 519(4)            | 468(3)            | 707(4)            |
| <b>11. पूंजीगत व्यय</b>                                       | <b>2,198(19)</b>  | <b>3,131(22)</b>  | <b>2,940(17)</b>  | <b>2,745(13)</b>  | <b>2,952(13)</b>  |
| आयोजना  | 2,169(98.7)       | 3,101(99)         | 2,939(100)        | 2,745(100)        | 2,951(100)        |
| आयोजनेतर  | 29(1.3)           | 30(1)             | 01                | 0                 | 01                |
| सामान्य सेवायें   | 75(3)             | 107(3)            | 102(3)            | 77(2)             | 53(2)             |
| सामाजिक सेवायें   | 503(23)           | 733(23)           | 708(24)           | 802(24)           | 828(24)           |
| आर्थिक सेवायें  | 1,620(74)         | 2,291(73)         | 2,130(72)         | 1,866(74)         | 2,071(74)         |
| <b>12. ऋण एवं अग्रिमों से वितरण</b>                           | <b>771(6)</b>     | <b>500(3)</b>     | <b>491(3)</b>     | <b>897(4)</b>     | <b>567(2)</b>     |
| <b>12. (अ) अंतरराज्यीय समायोजन</b>                            | <b>02</b>         | <b>02</b>         | <b>01</b>         | <b>03</b>         | <b>02</b>         |
| <b>13. योग (10+ 11+ 12+ 12अ)</b>                              | <b>11,773</b>     | <b>14,473</b>     | <b>17,226</b>     | <b>20,910</b>     | <b>22,876</b>     |

|   | 2006-07   | 2007-08   | 2008-09                  | 2009-10                    | 2010-11                 |
|---|-----------|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 14. लोक ऋण की अदायगी  | 219 (2)   | 558 (4)   | 489 (3)                  | 652(3)                     | 691(3)                  |
| आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)       | 206(94)   | 272 (49)  | 379 (78)                 | 536(82)                    | 555(80)                 |
| अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अधीन निवल लेनदेन         | -         | -         | ..                       | 0                          | 0                       |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम                                 | 13(6)     | 286 (51)  | 110 (22)                 | 116(18)                    | 135(20)                 |
| 15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन                              | -         | -         | ..                       | ..                         | ..                      |
| 16. संचित निधि से संवितरण (13 +14 +15 )                     | 11,992    | 15,031    | 17,715                   | 21,562                     | 23,567                  |
| 17. आकस्मिकता निधि से संवितरण                               | 3         | -         | 01                       | 0                          | 0                       |
| 18. लोक लेखा संवितरण  | 13,744    | 16,854    | 19585                    | 23879                      | 26,896                  |
| 19. राज्य द्वारा कुल, संवितरण (16+17+18)                    | 25,739    | 31,885    | 37,301                   | 45,441                     | 50,463                  |
| भाग - स - घाटा  |           |           |                          |                            |                         |
| 20. राजस्व घाटा (-)(1-10) आधिक्य (+)                        | (+)2,651  | (+) 3,039 | (+)1,869                 | (+)888                     | (+)3,364                |
| 21. राजकोषीय घाटा(-)/ आधिक्य (+) (4-13)                     | (+)37     | (-) 128   | (-)1,027                 | (-)1,759                   | (+)410                  |
| 22. प्राथमिक घाटा (-) / प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)         | (+)1,063  | (+)1,012  | (+) 51                   | (-)664                     | (+)1,608                |
| भाग - द - अन्य आंकड़े                                       |           |           |                          |                            |                         |
| 23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)                 | 1,026     | 1,140     | 1,078                    | 1,095                      | 1,198                   |
| 24. स्थानीय निकायों आदि को आर्थिक सहायता <sup>2</sup>       | 2,201.80  | 2,007.26  | 2,563.05                 | 2,889.45                   | 3401.02                 |
| 25. अर्थोपाय अग्रिमों/ अधिविकर्ष                            | -         | -         | -                        | -                          | -                       |
| लिए गए अर्थोपाय अग्रिम ( दिनों में)                         | -         | -         | -                        | -                          | -                       |
| लिए गए अधिविकर्ष ( दिनों में)                               | -         | -         | -                        | -                          | -                       |
| 26. अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्ष पर ब्याज                    | -         | -         | -                        | -                          | -                       |
| 27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)                       | 66,874.89 | 80,235.11 | 93,179.71 <sup>(P)</sup> | 1,09,823.43 <sup>(Q)</sup> | 1,29,718 <sup>(A)</sup> |
| 28. बकाया ऋण (वर्षांत)                                      | 14,113    | 14,512    | 14,780                   | 15,937 <sup>3</sup>        | 16,697                  |
| 29. बकाया प्रतिभूति (वर्षांत)                               | 486       | 481       | 895                      | 3,338                      | 2,849                   |
| 30. प्रतिभूति दी गई अधिकतम राशि (वर्षांत)                   | 2,483     | 2,495     | 3,650                    | 4,401                      | 5,054                   |
| 31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या                             | 63        | एन.ए.     | 223                      | 159                        | 77                      |
| 32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी                     | 2,968     | एन.ए.     | 1,531                    | 1,115                      | 887                     |
| भाग - इ - राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक                           |           |           |                          |                            |                         |
| 1. संसाधनों का प्रचालन                                      |           |           |                          |                            |                         |
| स्वयं का कर राजस्व/जीएसडीपी (अनुपात)                        | 0.08      | 0.07      | 0.07                     | 0.07                       | 0.07                    |
| स्वयं का कर मिन राजस्व/जीएसडीपी (अनुपात)                    | 0.02      | 0.03      | 0.02                     | 0.03                       | 0.03                    |
| केन्द्रीय अंतरण/जीएसडीपी (अनुपात)                           | 0.08      | 0.08      | 0.07                     | 0.07                       | 0.08                    |
| 2. व्यय प्रबंधन   |           |           |                          |                            |                         |
| कुल व्यय/जीएसडीपी (अनुपात)                                  | 0.18      | 0.18      | 0.18                     | 0.19                       | 0.18                    |
| कुल व्यय/ राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)                       | 1.03      | 1.04      | 1.10                     | 1.15                       | 1.01                    |
| राजस्व व्यय/कुल व्यय (अनुपात)                               | 0.75      | 0.75      | 0.80                     | 0.83                       | 0.85                    |
| पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (अनुपात)                              | 0.19      | 0.22      | 0.17                     | 0.13                       | 0.13                    |
| सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (अनुपात) | 0.18      | 0.21      | 0.16                     | 0.13                       | 0.13                    |
| 3. राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन                            |           |           |                          |                            |                         |
| राजस्व घाटा (आधिक्य)/जीएसडीपी (अनुपात)                      | 0.04      | 0.04      | 0.02                     | 0.01                       | 0.03                    |
| राजकोषीय घाटा/ आधिक्य /जीएसडीपी (अनुपात)                    | 0.00      | 0.00      | -0.01                    | 0.02                       | 0.00                    |
| प्रारंभिक घाटा /आधिक्य/जीएसडीपी (अनुपात)                    | 0.02      | 0.01      | 0.00                     | -0.01                      | 0.01                    |
| राजस्व घाटा/ आधिक्य/राजकोषीय घाटा (अनुपात)                  | 71.65     | -23.74    | -1.82                    | 0.50                       | 8.21                    |
| प्रारंभिक राजस्व शेष/जीएसडीपी (अनुपात)                      | 0.03      | 0.03      | 0.01                     | 0.02                       |                         |
| 4. राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन                            |           |           |                          |                            |                         |
| राजकोषीय देनदारियाँ/जीएसडीपी (अनुपात)                       | 0.22      | 0.18      | 0.16                     | 0.15                       | 0.13                    |
| राजकोषीय देनदारियाँ/आरआर (अनुपात)                           | 1.23      | 1.05      | 0.94                     | 0.88                       | 0.73                    |
| प्रारंभिक घाटे की तुलना में प्रभाव विस्तार (अनुपात)         | 1.00      | 1.00      | 0.03                     | -0.73                      | 0.93                    |
| 5. अन्य राजकोषीय सूचक                                       |           |           |                          |                            |                         |
| निवेश पर प्रतिलाम (बापसी)                                   | एन.ए.     | एन.ए.     | एन.ए.                    | 0.44                       | 4.30                    |
| चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)                            | 3,902     | 5,028     | 5,413                    | 5,682                      | 8,377                   |
| वित्तीय परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ (अनुपात)                   | 0.90      | 1.10      | 1.24                     | 1.25                       | 1.43                    |

- नोट: 1. जी.एस.डी.पी. आंकड़ों में बदलाव के कारण आंकड़े में बदलाव के कारण  
2. ए (एडवांस) क्यू (क्विक) पी (प्राविजनल)  
3. एन.ए.- उपलब्ध नहीं

<sup>2</sup> स्रोत: वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे 2010-11, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट छत्तीसगढ़ राज्य 2010-11 ।

<sup>3</sup> प्रोफार्मा सुधार हेतु आंकड़ों में बदलाव ।

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

परिशिष्ट- 1.4

(कड़िका: 1.1.1, 1.7.1 एवं 1.7.2, पृष्ठ 2, 27 एवं 28 के संदर्भ में)

भाग अ: वर्ष 2010-11 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार)

(₹ करोड़ में)

| 2009-10   |        | प्राप्तियाँ   | 2010-11   |           | 2009-10   |           | संवितरण  | 2010-11   |          |           |
|-----------|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|----------|-----------|
|           |        |   |           |           |           |           |  | आयोजनेतर  | आयोजना   | योग       |
| 18,153.66 | I      | राजस्व प्राप्तियाँ  |           | 22,719.54 | 17,265.44 |           | राजस्व व्यय  | 11,286.39 | 8,069.36 | 19,355.75 |
|           |        | कर राजस्व   | 9,005.14  |           |           |           | सामान्य सेवायें  | 5,210.62  | 36.45    | 5,247.06  |
|           |        | कर भिन्न राजस्व   | 3,835.32  |           |           |           | सामाजिक सेवायें  | 2,807.08  | 5,502.64 | 8,309.72  |
|           |        | संघीय करों में राज्यांश                                       | 5,425.19  |           |           | 3,171.62  | शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति                                    | 1,247.31  | 2,834.38 | 4,081.69  |
|           |        | आयोजनेतर अनुदान   | 1,397.45  |           |           | 693.67    | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  | 323.69    | 425.22   | 748.91    |
|           |        | राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान                          | 2,169.91  |           |           | 843.48    | जल प्रदाय स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास                            | 180.34    | 505.97   | 686.31    |
|           | 695.12 | केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान | 886.53    |           |           | 20.83     | सूचना एवं प्रसारण  | 28.89     | 0.60     | 29.29     |
|           |        |   |           |           |           | 943.86    | अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 817.60    | 148.53   | 966.13    |
|           |        |   |           |           |           | 54.22     | श्रम एवं श्रमिक कल्याण   | 40.98     | 20.01    | 60.99     |
|           |        |   |           |           |           | 2,286.05  | सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार   | 161.21    | 1,584.33 | 1,725.54  |
|           |        |   |           |           |           | 9.81      | अन्य   | 7.26      | 3.60     | 10.86     |
|           |        |   |           |           |           | 3,523.24  | आर्थिक सेवायें   | 2,582.25  | 2,509.17 | 5,091.42  |
|           |        |   |           |           |           | 2,327.54  | कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप   | 1,554.13  | 1,036.23 | 2,590.36  |
|           |        |   |           |           |           | 827.30    | ग्रामीण विकास  | 359.22    | 856.99   | 1,216.21  |
|           |        |   |           |           |           | 0.00      | विशेष क्षेत्र कार्यक्रम  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
|           |        |   |           |           |           | 6.14      | संचार  | 0.00      | 5.10     | 5.10      |
|           |        |   |           |           |           | 298.26    | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण   | 146.62    | 141.66   | 288.28    |
|           |        |   |           |           |           | 213.40    | उर्जा  | 1.60      | 296.29   | 297.89    |
|           |        |   |           |           |           | 231.96    | उद्योग एवं खनिज  | 191.94    | 134.40   | 326.34    |
|           |        |   |           |           |           | 462.53    | परिवहन   | 297.87    | 2.21     | 300.08    |
|           |        |   |           |           |           | 5.74      | विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण                                  | 1.20      | 3.22     | 4.42      |
|           |        |   |           |           |           | 50.28     | सामान्य आर्थिक सेवायें   | 29.69     | 33.06    | 62.75     |
|           |        |   |           |           |           | 468.98    | सहायता अनुदान एवं अंशदान   | 686.43    | 21.12    | 707.55    |
| 18,153.66 |        | कुल राजस्व प्राप्तियाँ  | 22,719.54 |           | 13,793.70 | 17,265.44 | कुल राजस्व व्यय  | 11,286.39 | 8,069.36 | 19,355.75 |
|           | II     | अनुभाग व में अग्रणीत राजस्व घाटा                              |           |           | 888.22    |           | अनुभाग व में अग्रणीत राजस्व आधिक्य                                 |           |          | 3,363.79  |
| 18,153.66 |        | योग   | 22,719.54 |           | 18,153.66 |           | योग  |           |          | 22,719.54 |
| 2,059.67  | III    | स्थायी अप्रिमो तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष   | 1,569.66  |           | 0.00      |           | भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अभिविकषण                           |           |          |           |
| 2.31      | IV     | विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ                                     | 2.56      |           | 2,744.92  |           | पूंजीगत व्यय   | 0.98      | 2,950.53 | 2,951.51  |
|           |        |   |           |           | 76.81     |           | सामान्य सेवायें  | 0.97      | 51.90    | 52.87     |
|           |        |   |           |           | 802.10    |           | सामाजिक सेवायें  | 0.01      | 827.59   | 827.60    |
|           |        |   |           |           |           | 186.03    | शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति                                    | 0.00      | 303.17   | 303.17    |
|           |        |   |           |           |           | 96.62     | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  | 0.00      | 97.88    | 97.88     |
|           |        |   |           |           |           | 352.87    | जल प्रदाय स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास                             | 0.00      | 184.99   | 184.99    |
|           |        |   |           |           |           | 0.02      | सूचना एवं प्रसारण  | 0.01      | 0.00     | 0.01      |
|           |        |   |           |           |           | 160.06    | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण                 | 0.00      | 217.28   | 217.28    |
|           |        |   |           |           |           | 0.56      | सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार   | 0.00      | 19.15    | 19.15     |
|           |        |   |           |           |           | 5.92      | अन्य   | 0.00      | 5.13     | 5.13      |

| 2009-10   | प्राप्तियाँ | 2010-11   | 2009-10   | संवितरण   | 2010-11    |
|-----------|-------------|---|-----------|---|------------|
|           |             |   |           | आयोजनेतर  | आयोजना     |
|           |             |   |           |   | योग        |
|           |             |   | 1,866.01  | आर्थिक सेवार्थ                                    | 2,071.04   |
|           |             |   | 67.05     | कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप                        | 52.23      |
|           |             |   | 144.87    | ग्रामीण विकास                                     | 170.98     |
|           |             |   | 971.12    | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण                          | 1,038.99   |
|           |             |   | 0.00      | उर्जा   | 0.00       |
|           |             |   | 32.51     | उद्योग एवं खनिज                                   | (-)26.28   |
|           |             |   | 637.46    | परिवहन  | 816.97     |
|           |             |   | 13.00     | सामान्य आर्थिक सेवार्थ                            | 18.74      |
|           |             |   | 2,744.92  | योग पूंजीगत व्यय                                  | 2,951.51   |
| 3.04      | V           | अंतर्राज्यीय समाशोधन                              | 3.29      | अंतर्राज्यीय समाशोधन                              | 2.34       |
| 992.43    | VI          | ऋण एवं अग्रिमों की वसुलियाँ                       | 896.79    | ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण                        | 566.55     |
|           | 95.71       | विद्युत परियोजनाओं से                             |           | विद्युत परियोजनाओं हेतु                           | 0.00       |
|           | 0.85        | सरकारी सेवकों से                                  |           | सरकारी सेवकों को                                  | 0.00       |
|           | 895.87      | अन्य से   | 896.79    | अन्य को   | 566.55     |
| 888.22    | VII         | राजस्व आवधिक्य कम होना                            | 0.00      | राजस्व घाटा कम होना                               | 0.00       |
| 1287.21   | VIII        | लोक ऋणों प्राप्ति                                 | 651.57    | लोक ऋणों का पुनर्मुग्तान                          | 690.86     |
|           | 0.00        | बाह्य ऋण  | 0.00      | बाह्य ऋण  | 0.00       |
|           | 1064.57     | अर्थापय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण | 535.76    | अर्थापय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण | 555.48     |
|           | 0.00        | अर्थापय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन              | 0.00      | अर्थापय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन              | 0.00       |
|           | 0.00        | अधिविकर्ष के अधीन निवल लेनदेन                     |           |   |            |
|           | 222.64      | भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम                       | 115.81    | भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्मुग्तान     | 135.38     |
| 0.00      | IX          | आकस्मिकता निधि से विनियोग                         | 0.00      | आकस्मिकता निधि से विनियोग                         | 0.00       |
| 0.50      | X           | आकस्मिकता निधि को स्थानांतरित                     | 0.00      | आकस्मिकता निधि से व्यय                            | 0.00       |
| 24,511.62 | XI          | लोक लेखा प्राप्ति                                 | 23,878.77 | लोक लेखा संवितरण                                  | 26,895.50  |
|           | 707.59      | लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ                        | 413.22    | लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ                        | 496.28     |
|           | 544.02      | आरक्षित निधियाँ                                   | 199.16    | आरक्षित निधियाँ                                   | 383.46     |
|           | 15584.09    | उचन्त एवं विविध                                   | 15456.17  | उचन्त एवं विविध                                   | 17743.68   |
|           | 5462.43     | प्रेषण  | 5574.27   | प्रेषण  | 5819.25    |
|           | 2213.49     | निकष एवं अग्रिम                                   | 2235.95   | निकष एवं अग्रिम                                   | 2452.83    |
|           | XII         | भारतीय रिजर्व बैंक से अंत में अधिविकर्ष           | 1569.66   | वर्ष के अंत में रोकड़ शेष                         | 2712.22    |
|           |             |   | -0.25     | कोषालय में रोकड़ का स्थानीय प्रेषण                | 0.00       |
|           |             |   | -554.81   | रिजर्व बैंक के पास निकष                           | (-)1480.73 |
|           |             |   | 11.31     | स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष              | 13.11      |
|           |             |   | 2113.41   | रोकड़ शेष निवेश                                   | 4179.84    |
| 29745.00  | योग व       | 33818.98  | 29745.00  | योग व   | 33818.98   |

**परिशिष्ट 1.4 (निरंतर)**  
(कंडिका: 1.1.1, 1.7.1, 1.7.2., पृष्ठ 2, 27 एवं 28 के संदर्भ में)  
**भाग ब: 31 मार्च 2011 को छत्तीसगढ़ शासन की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति का सारांश**

(₹ करोड़ में)

| 31.03.2010 की स्थिति | दायित्व                                | 31.03.2011 की स्थिति में |
|----------------------|--|--------------------------|
| 8,704.88             | आंतरिक ऋण                              | 8,741.83                 |
| 2,745.64             | ब्याज सहित बाजार ऋण                    | 2510.62                  |
| 2.10                 | ब्याज रहित बाजार ऋण                    | 2.10                     |
| 20.29                | भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण            | 20.29                    |
| 5,936.85             | अन्य संस्थाओं से ऋण                    | 6208.88                  |
| 0.00                 | अर्थोपाय अग्रिम                        | 0.00                     |
| 0.00                 | भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष        | 0.00                     |
| 2,307.51             | <b>केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम</b>  | <b>2,374.89</b>          |
| 0.68                 | 1984-85 से पूर्व के ऋण                 | 0.68                     |
| 4.58                 | आयोजनेत्तर ऋण                          | 7.35                     |
| 2,273.58             | राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण       | 2339.73                  |
| 0.19                 | केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण   | 0.19                     |
| 28.48                | केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए ऋण    | 26.94                    |
| 40.00                | <b>आकस्मिकता निधि</b>                  | <b>40.00</b>             |
| 1,998.37             | लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि            | 2,331.02                 |
| 1,889.44             | निकषेप                                 | 2,244.59                 |
| 1,782.11             | आरक्षित निधियाँ                        | 1,803.70                 |
| 256.04               | उंचत एवं विविध शेष                     | 145.00                   |
| 16,978.35            | <b>योग</b>                             | <b>17,681.03</b>         |
|                      | <b>परिसम्पत्तियाँ</b>                  |                          |
| 17,790.24            | अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत व्यय | 20,739.19                |
| 251.67               | कम्पनियों निगमों इत्यादि में निवेश     | 259.92                   |
| 17,538.57            | अन्य पूंजीगत व्यय                      | 20,479.27                |
| 1,529.89             | <b>ऋण एवं अग्रिम</b>                   | <b>1,535.28</b>          |
| 580.20               | विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण           | 411.33                   |
| 833.93               | अन्य विकास ऋण                          | 998.90                   |
| 115.76               | सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण       | 125.05                   |
| 749.37               | आरक्षित निधि में निवेश                 | 799.04                   |
| 2.51                 | अग्रिम                                 | 2.40                     |
| 305.82               | प्रेषण शेष                             | 272.15                   |
| 0.00                 | आकस्मिकता निधि                         | 0.00                     |
| 820.30               | <b>नगदी</b>                            | <b>1,913.18</b>          |
| -0.25                | कोषालय में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण    | 0.00                     |
| -554.81              | रिजर्व बैंक में निकषेप                 | -1,480.73                |
| 11.02                | विभागीय नगदी शेष अचल                   | 12.81                    |
| 0.29                 | स्थायी अग्रिम                          | 0.30                     |
| 1,364.05             | नगदी शेष निवेश                         | 3,380.80                 |
| -4219.78             | <b>सरकारी लेखे में घाटा</b>            | <b>-7,580.21</b>         |
| -888.22              | (1) घटाइये चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य  | -3,363.79                |
| 18.68                | (2) प्रास्व सुधार एवं अन्य समायोजन     | 3.36                     |
| -3350.24             | <b>वर्ष के प्रारंभ में संचयी घाटा</b>  | <b>-4,219.78</b>         |
| 16,978.35            | <b>योग</b>                             | <b>17,681.03</b>         |

## परिशिष्ट-1.5

(कड़िका: 1.3.1, पृष्ठ 11 के संदर्भ में)

करों एवं शुल्कों के संग्रहण एवं उनके संग्रहण पर किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | राजस्व के शीर्ष               | वर्ष    | बजट अनुमान | संग्रहण  | राजस्व संग्रहण पर व्यय | संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत | संपूर्ण भारत का औसत प्रतिशत |
|---------|-------------------------------|---------|------------|----------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1       | विक्रय, व्यवहार आदि पर कर     | 2008-09 | 3,470.00   | 3,610.94 | 16.38                  | 0.45                       | 0.83                        |
|         |                               | 2009-10 | 3,447.12   | 3,712.16 | 25.71                  | 0.69                       | 0.88                        |
|         |                               | 2010-11 | 4,524.13   | 4,840.79 | 29.99                  | 0.62                       | 0.96                        |
| 2       | वाहन पर कर                    | 2008-09 | 315.50     | 313.78   | 13.12                  | 4.18                       | 2.58                        |
|         |                               | 2009-10 | 351.47     | 351.88   | 7.39                   | 2.10                       | 2.93                        |
|         |                               | 2010-11 | 410.00     | 427.52   | 2.14                   | 0.50                       | 3.07                        |
| 3       | राज्य आबकारी कर               | 2008-09 | 950.00     | 964.10   | 26.30                  | 2.73                       | 3.27                        |
|         |                               | 2009-10 | 1158.00    | 1187.72  | 35.35                  | 2.98                       | 3.66                        |
|         |                               | 2010-11 | 1,390.00   | 1,506.44 | 40.68                  | 2.70                       | 3.64                        |
| 4       | मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस | 2008-09 | 520.00     | 495.59   | 11.69                  | 2.36                       | 2.09                        |
|         |                               | 2009-10 | 600.01     | 583.13   | 13.97                  | 2.40                       | 2.77                        |
|         |                               | 2010-11 | 650.35     | 785.85   | 17.75                  | 2.26                       | 2.47                        |

(स्रोत: राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)



परिशिष्ट - 2.1

(कड़िका : 2.3.1; पृष्ठ 40 के संदर्भ में)

विवरण जहां प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

| स.क्र. | अनुदान संख्या | अनुदान/विनियोग का नाम  | कुल अनुदान/विनियोग | बचत      | प्रतिशत |
|--------|---------------|--|--------------------|----------|---------|
| 1      | 2             | 3  | 4                  | 5        | 6       |
|        | (अ)           | राजस्व दत्तमत  |                    |          |         |
| 1      | 4             | गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय                                   | 27.15              | 16.81    | 61.92   |
| 2      | 24            | लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल                                  | 332.03             | 109.41   | 32.95   |
| 3      | 27            | स्कूल शिक्षा   | 2,114.17           | 531.80   | 25.15   |
| 4      | 38            | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान | 31.10              | 12.60    | 40.51   |
| 5      | 55            | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय                             | 525.96             | 165.61   | 31.49   |
| 6      | 79            | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय                            | 199.15             | 48.81    | 24.51   |
|        |               | योग-अ  | 3,229.56           | 885.04   | --      |
|        | (ब)           | राजस्व (भारित)   |                    |          |         |
| 7      | 12            | उर्जा विभाग से संबंधित व्यय                                      | 100.90             | 66.64    | 66.04   |
|        |               | योग - ब  | 100.90             | 66.64    |         |
|        |               | कुल योग (अ + ब)  |                    |          |         |
|        | (स)           | पूँजीगत दत्तमत   |                    |          |         |
| 8      | 11            | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय                         | 45.79              | 19.53    | 42.65   |
| 9      | 20            | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी  | 31.35              | 11.20    | 35.71   |
| 10     | 42            | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य             | 279.27             | 115.70   | 41.43   |
| 11     | 47            | तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग                          | 20.38              | 11.46    | 56.23   |
| 12     | 67            | लोक निर्माण कार्य-भवन  | 213.81             | 57.55    | 26.92   |
| 13     | 68            | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन         | 115.65             | 38.92    | 33.65   |
| 14     | 79            | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय                            | 25.50              | 23.48    | 92.07   |
|        |               | योग स  | 731.75             | 277.84   |         |
|        |               | कुल योग (अ+ब +स)   | 4,062.21           | 1,229.52 |         |

## परिशिष्ट-2.2

(कड़िका : 2.3.3; पृष्ठ 42 के संदर्भ में)

विगत वर्षों के बजट प्रावधान से अधिक व्यय का नियमितीकरण वांछित

(₹ करोड़ में)

| वर्ष    | अनुदानों/विनियोगों की संख्या | अनुदान / विनियोग संस्थाएं                                | अधिक की राशि | लोक लेखा समिति द्वारा विचार की स्थिति |
|---------|------------------------------|--|--------------|---------------------------------------|
| 1       | 2                            | 3  | 4            | 5                                     |
| 2000-01 | 11 अनुदानों                  | 2, 14, 23, 24, 33, 34, 60, 71, 80, 82 एवं 83             | 10.21        | व्याख्यात्मक टिप्पणी अपेक्षित         |
|         | 2 विनियोगों                  | 6 एवं 24   |              |                                       |
| 2001-02 | 14 अनुदानों                  | 6, 14, 15, 17, 23, 24, 30, 33, 45, 54, 60, 67, 71 एवं 83 | 115.90       |                                       |
|         | 2 विनियोगों                  | 16 एवं 25  |              |                                       |
| 2002-03 | 8 अनुदानों                   | 10, 15, 24, 33, 37, 45, 58 एवं 82                        | 114.59       |                                       |
|         | 2 विनियोगों                  | 20 एवं 67  |              |                                       |
| 2003-04 | 4 अनुदानों                   | 12, 33, 40 एवं 67  | 591.12       |                                       |
|         | 2 विनियोगों                  | ब्याज भुगतानों एवं 6                                     |              |                                       |
| 2004-05 | 4 अनुदानों                   | 15, 24, 67 एवं 81  | 133.36       |                                       |
|         | 5 विनियोगों                  | ब्याज भुगतानों, लोक ऋण, 6, 10 एवं 42                     |              |                                       |
| 2005-06 | 4 अनुदानों                   | 4, 15, 24 एवं 39   | 23.27        |                                       |
|         | 2 विनियोगों                  | 6 एवं 23   |              |                                       |
| 2006-07 | 4 अनुदानों                   | 4, 24, 67 एवं 82   | 5.13         |                                       |
|         | 1 विनियोग                    | 33   |              |                                       |
| 2007-08 | 3 अनुदानों                   | 23, 33 एवं 60  | 15.99        |                                       |
|         | 3 विनियोगों                  | 13, 24 एवं 36  |              |                                       |
| 2008-09 | 9 अनुदानों                   | 24, 40, 67, 80, 6, 23, 75, 76 एवं 82                     | 115.26       |                                       |
|         | 1 विनियोग                    | 23   |              |                                       |
| 2009-10 | 10 अनुदानों                  | 3, 6, 22, 23, 24, 25, 49, 64, 76 एवं 80                  | 216.77       |                                       |
|         | 5 विनियोग                    | 3, 12, 13, 43 एवं 67                                     |              |                                       |
| योग     |                              |  | 1,341.60     |                                       |

**परिशिष्ट 2.3**

(कड़िका : 2.3.5; पृष्ठ 43 के संदर्भ में)

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

| सं. क्र.                   | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम  | मूल प्रावधान | वास्तविक व्यय | मूल प्रावधान से बचत | अनुपूरक प्रावधान |
|----------------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------------|------------------|
| 1                          | 2             | 3  | 4            | 5             | 6                   | 7                |
| <b>(अ) राजस्व (दत्तमत)</b> |               |  |              |               |                     |                  |
| 1                          | 1             | सामान्य प्रशासन  | 79.23        | 72.15         | 7.08                | 8.07             |
| 2                          | 2             | सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय                       | 9.19         | 8.20          | 0.99                | 1.22             |
| 3                          | 4             | गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय                                   | 26.01        | 10.34         | 15.67               | 1.32             |
| 4                          | 8             | भू-राजस्व विभाग तथा जिला प्रशासन                                 | 342.39       | 230.40        | 111.99              | 14.00            |
| 5                          | 14            | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय                                    | 195.47       | 179.64        | 15.83               | 8.16             |
| 6                          | 18            | श्रम   | 17.77        | 17.49         | 0.28                | 4.83             |
| 7                          | 19            | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण                                  | 459.56       | 421.42        | 38.14               | 32.87            |
| 8                          | 21            | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय                          | 16.05        | 10.10         | 5.95                | 1.63             |
| 9                          | 27            | स्कूल शिक्षा   | 2,066.72     | 1,582.38      | 484.34              | 47.45            |
| 10                         | 28            | राज्य विधान मण्डल  | 22.47        | 17.62         | 4.85                | 0.79             |
| 11                         | 31            | योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय                | 12.83        | 10.15         | 2.68                | 1.37             |
| 12                         | 33            | आदिम जाति कल्याण   | 862.32       | 773.52        | 88.80               | 21.70            |
| 13                         | 34            | समाज कल्याण  | 28.61        | 25.79         | 2.82                | 0.66             |
| 14                         | 36            | परिवहन   | 21.84        | 17.73         | 4.11                | 1.66             |
| 15                         | 38            | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान | 19.80        | 18.50         | 1.30                | 11.30            |
| 16                         | 41            | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  | 2,376.72     | 2,360.86      | 15.86               | 472.62           |
| 17                         | 43            | खेल और युवा कल्याण   | 32.93        | 20.35         | 12.58               | 0.85             |
| 18                         | 44            | उच्च शिक्षा  | 359.07       | 327.92        | 31.15               | 3.20             |
| 19                         | 45            | लघु सिंचाई कार्य   | 37.89        | 37.83         | 0.06                | 1.50             |
| 20                         | 47            | तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग                          | 117.45       | 89.22         | 28.23               | 7.29             |
| 21                         | 51            | धार्मिक न्यास और धर्मस्व   | 4.90         | 4.65          | 0.25                | 1.50             |
| 22                         | 54            | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय                         | 37.50        | 37.50         | 0.00                | 9.50             |
| 23                         | 55            | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय                             | 552.95       | 360.35        | 192.60              | 12.01            |
| 24                         | 56            | ग्रामोद्योग  | 51.15        | 47.24         | 3.91                | 3.73             |
| 25                         | 58            | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय       | 309.54       | 203.77        | 105.77              | 110.32           |

| 1                              | 2  | 3  | 4                | 5                | 6               | 7               |
|--------------------------------|----|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 26                             | 59 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं | 2.70             | 2.28             | 0.42            | 2.28            |
| 27                             | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  | 959.37           | 792.68           | 166.69          | 25.80           |
| 28                             | 67 | लोक निर्माण कार्य-भवन  | 265.32           | 244.21           | 21.11           | 2.21            |
| 29                             | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय  | 198.35           | 150.34           | 48.01           | 0.81            |
| <b>योग (अ) राजस्व (दत्तमत)</b> |    |  | <b>9,486.10</b>  | <b>8,074.63</b>  | <b>1,411.47</b> | <b>810.65</b>   |
| <b>राजस्व (भारित)</b>          |    |  |                  |                  |                 |                 |
| 30                             | 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन   | 23.25            | 17.79            | 5.46            | 2.90            |
| <b>योग (ब) राजस्व (भारित)</b>  |    |  | <b>23.25</b>     | <b>17.79</b>     | <b>5.46</b>     | <b>2.90</b>     |
| <b>(स) पूंजीगत (दत्तमत)</b>    |    |  |                  |                  |                 |                 |
| 31                             | 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय  | 365.63           | 152.36           | 213.27          | 5.00            |
| 32                             | 24 | लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल  | 354.51           | 345.95           | 8.56            | 32.37           |
| 33                             | 39 | खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय                | 304.00           | 220.49           | 83.51           | 68.75           |
| 34                             | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  | 1,121.28         | 855.61           | 265.67          | 107.16          |
| 35                             | 42 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल             | 267.87           | 163.56           | 104.31          | 11.40           |
| 36                             | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  | 677.79           | 222.13           | 455.66          | 18.42           |
| 37                             | 67 | लोक निर्माण कार्य-भवन  | 210.96           | 156.26           | 54.70           | 2.85            |
| 38                             | 68 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य - भवन                     | 114.35           | 76.73            | 37.62           | 1.30            |
| 39                             | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय  | 22.50            | 2.02             | 20.48           | 3.00            |
| <b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>        |    |  | <b>3,438.89</b>  | <b>2,195.11</b>  | <b>1,243.78</b> | <b>250.25</b>   |
| <b>कुल योग (अ+ब+स)</b>         |    |  | <b>12,948.24</b> | <b>10,287.53</b> | <b>2,660.71</b> | <b>1,063.80</b> |

**परिशिष्ट-2.4**

(कंडिका : 2.3.5; पृष्ठ 43 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुआ

(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | अनुदान संख्या | अनुदान का नाम  | मूल प्रावधान    | अनुपूरक प्रावधान | योग             | व्यय            | आधिक्य        |
|---------|---------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1       | 2             | 3  | 4               | 5                | 6               | 7               | 8             |
|         | अ             | <b>राजस्व (दत्तमत)</b>   |                 |                  |                 |                 |               |
| 1       | 6             | वित्त विभाग से संबंधित व्यय  | 1,673.67        | 7.74             | 1681.41         | 1,843.66        | 162.25        |
| 2       | 7             | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय   | 83.32           | 65.13            | 148.45          | 155.98          | 7.53          |
| 3       | 8             | भू-राजस्व विभाग तथा जिला प्रशासन   | 213.50          | 14.00            | 227.50          | 230.40          | 2.90          |
| 4       | 12            | उर्जा विभाग से संबंधित व्यय  | 139.88          | 25.66            | 165.54          | 180.73          | 15.19         |
| 5       | 23            | जल संसाधन विभाग  | 193.23          | 32.77            | 226.00          | 231.89          | 5.89          |
| 6       | 25            | खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय  | 102.66          | 1.88             | 104.54          | 139.49          | 34.95         |
| 7       | 29            | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन   | 74.40           | 30.48            | 104.88          | 108.03          | 3.15          |
| 8       | 30            | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय   | 422.90          | 113.69           | 536.59          | 547.96          | 11.37         |
| 9       | 49            | अनुसूचित जाति कल्याण   | 32.70           | 2.09             | 34.79           | 35.90           | 1.11          |
| 10      | 58            | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय                             | 77.97           | 110.32           | 188.29          | 203.77          | 15.48         |
| 11      | 82            | अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 501.72          | 0.08             | 501.80          | 514.95          | 13.15         |
|         |               | <b>योग - अ</b>   | <b>3,515.95</b> | <b>403.84</b>    | <b>3,919.79</b> | <b>4,192.76</b> | <b>272.97</b> |

| 1  | 2                       | 3  | 4               | 5             | 6               | 7               | 8             |
|----|-------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    | <b>राजस्व भारित</b>     |  |                 |               |                 |                 |               |
| 12 |                         | ब्याज भुगतान एवं ऋण का विमोचन                                  | 1,296.36        | 0             | 1,296.36        | 1,298.38        | 2.02          |
|    | <b>योग -ब</b>           |  | <b>1,296.36</b> | <b>0</b>      | <b>1,296.36</b> | <b>1,298.38</b> | <b>2.02</b>   |
|    | <b>पूँजीगत (दत्तमत)</b> |  |                 |               |                 |                 |               |
| 13 | 6                       | वित्त विभाग से संबंधित व्यय                                    | 0.21            | 0.00          | 0.21            | 2.34            | 2.13          |
| 14 | 23                      | जल संसाधन विभाग  | 287.00          | 20.00         | 307.00          | 316.85          | 9.85          |
| 15 | 57                      | जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशो से सहायता प्राप्त परियोजनाएं | 50.12           | 0.00          | 50.12           | 52.93           | 2.81          |
|    | <b>योग स</b>            |  | <b>337.33</b>   | <b>20.00</b>  | <b>357.33</b>   | <b>372.12</b>   | <b>14.79</b>  |
|    | <b>योग = (अ+ब+स)</b>    |  | <b>5,149.64</b> | <b>423.84</b> | <b>5,573.48</b> | <b>5,863.26</b> | <b>289.78</b> |

परिशिष्ट 2.5

(कड़िका : 2.3.6; पृष्ठ 44 के संदर्भ में)

निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन  
(जहाँ आधिक्य/ बचत ₹ 20 करोड़ से अधिक है)

(₹ लाख में)

| स. क्र. | अनुदान संख्या एवं विवरण  | लेखे का शीर्ष   | कुल प्रावधान (मूल + अनुपूरक) | पुनर्विनियोजन | अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-) |
|---------|--|---|------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1       | 2  | 3   | 4                            | 5             | 6                         |
| 1       | 03-पुलिस   | 2055-104-4492- सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)   | 32,712.50                    | -81.00        | 2,573.38                  |
| 2       |  | 2055-109-4491- सामान्य व्यय- (जिला स्थापना)   | 56,555.20                    | -454.00       | 4,627.47                  |
| 3       | 23-जल संसाधन विभाग   | 4700-01-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-2898- बांध तथा संलग्न कार्य  | 3,300.00                     | -488.64       | 4,417.94                  |
| 4       |  | 4700-09-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-2898-बांध तथा संलग्न कार्य   | 8,050.00                     | 344.97        | -4,583.31                 |
| 5       | 25- खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय                          | 2853-02-797-5390- खनिज निधि में अंतरण-  | 8,788.84                     | -133.35       | 3,500.00                  |
| 6       | 33- आदिम जाति कल्याण   | 2225-02-277-2772- प्राथमिक शालाएं   | 35,171.50                    | -2,469.79     | -5,918.19                 |
| 7       | 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना                                     | 2236-02-796-101-0702- केन्द्र प्रवर्तित आदिवासी क्षेत्र उपयोजना<br>414-आदिवासी क्षेत्रों में विशेष आहार योजना   | 16,416.00                    | -91.20        | -7,750.18                 |
| 8       | 55- महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय                       | 2236-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य<br>9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना       | 21,600.00                    | -120.00       | -6,964.60                 |
| 9       | 58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय | 2245-05-101-475- आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं का अन्तरण प्राकृतिक आपदा अनखर्ची मार्जिन मनी आकाल राहत निधि      | 12,500.00                    | -12,445.00    | 7,907.93                  |
| 10      |  | 2245-01-101-7427 राज्य आपदा मोचन निधि   | 2,632.00                     | 4,934.00      | -7,566.00                 |
| 11      | 64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना                     | 2236-02-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना विशेष घटक योजना 2179- अनुसूचित जाति के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम | 5,084.00                     | -28.80        | -2,289.72                 |
| 12      | 80- त्रि - स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता       | 2515-101-8214- सचिवालयीन व्यवस्था-  | 4,333.00                     | -29.75        | 5,216.80                  |
| 13      |  | 2515-101-7416- तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-  | 4,944.00                     | 3,677.00      | -6,456.20                 |

## परिशिष्ट 2.6

(कॉडिका : 2.3.7; पृष्ठ 44 के संदर्भ में)

वर्ष के दौरान किए गए सारथूत समर्पण /विनियोग के परिणाम

(₹ लाख में)

| स. क्र. | अनुदान का शीर्षक एवं संख्या          | योजनाओं का नाम  | कुल प्रावधान | समर्पण   | समर्पण का प्रतिशत |
|---------|--------------------------------------|---|--------------|----------|-------------------|
| 1       | 2                                    | 3   | 4            | 5        | 6                 |
| 1       | 1- सामान्य प्रशासन                   | 2070-003-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6725- यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान             | 100.00       | 97.20    | 97.20             |
| 2       | 3-पुलिस                              | 2055-113-7244- बीमा विकल्प अनुदान   | 1,200.00     | 1,000.00 | 83.33             |
| 3       | 7-वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय | 2030-02-797-6002- मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये अतिरिक्त साम्य का मध्य प्रदेश पंचायत भू-राजस्व तथा स्टाम्प शुल्क में अन्तरण- | 2033.00      | 2033.00  | 100.00            |
| 4       |                                      | 2040-001-6810- वाणिज्यिक कर अधिकारी-  | 65.65        | 55.55    | 84.61             |
| 5       |                                      | 2040-001-7419- मिशन मोड परियोजना  | 579.00       | 479.00   | 82.72             |
| 6       | 8-भू - राजस्व तथा जिला प्रशासन       | 2029-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 4729- हवाई सर्वेक्षण-  | 13,00.00     | 13,00.00 | 100.00            |
| 7       |                                      | 2029-103-0801- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5917- भू- अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार -  | 269.00       | 235.59   | 87.57             |
| 8       |                                      | 2029-103-0801- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 908- कृषि संगणना-  | 57.93        | 35.18    | 60.72             |
| 9       |                                      | 2029-103-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6337- भू- अभिलेख का अद्यतनिकरण-  | 31,55.00     | 28,37.45 | 89.93             |
| 10      |                                      | 2029-797-6753- पर्यावरण निधि का अन्तरण-   | 36,00.00     | 36,00.00 | 100.00            |
| 11      |                                      | 2029-797-6754- अधोसंचना विकास निधि में अन्तरण-  | 36,00.00     | 36,00.00 | 100.00            |
| 12      | 9-राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय      | 2058-102-5659- शासकीय प्रेस रायपुर -  | 217.75       | 119.30   | 54.78             |
| 13      |                                      | 2058-104-301- अशासकीय मुद्रणालयों में प्रद्वरण का कार्य   | 50.00        | 30.10    | 60.20             |
| 14      |                                      | 4058-103-3427- मशीनों और उपकरण छपाई की मशीनों की खरीद -   | 64.50        | 36.52    | 56.62             |
| 15      | 13- कृषि                             | 2401-113-903- कृषि यांत्रिकी संचालनालय की स्थापना -   | 79.87        | 47.57    | 59.55             |
| 16      |                                      | 2401-119-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 2794- स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान-   | 945.00       | 687.94   | 72.79             |
| 17      | 17- सहकारिता                         | 6425-107-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 3242- राज्य सहकारी स्थिरीकरण निधियों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सहकारी बैंक को ऋण-                       | 100.00       | 96.81    | 96.80             |
| 18      |                                      | 6425-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -6568- कृषि साख स्थिरीकरण निधियों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सहकारी बैंक को ऋण-                           | 500.00       | 500.00   | 100.00            |



| 1  | 2  | 3  | 4      | 5      | 6      |
|----|--|--|--------|--------|--------|
| 19 | 18- श्रम   | 2210-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)<br>791- कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय-  | 139.60 | 103.39 | 73.99  |
| 20 |  | 2230-01-103-4270- श्रम कल्याण निधि की<br>स्थापना-  | 45.00  | 45.00  | 100.00 |
| 21 |  | 4250-201-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य -<br>8352- प्रदेश में बीडी श्रमिकों के लिए आवास गृहों का<br>निर्माण-          | 343.00 | 288.12 | 84.00  |
| 22 | 19- लोक स्वास्थ्य एवं<br>परिवार कल्याण   | 2210-01-110-0101- राज्य योजना (सामान्य) -<br>7327- मानसिक चिकित्सालय-  | 227.80 | 227.80 | 100.00 |
| 23 |  | 2210-03-103-0101-राज्य योजना (सामान्य) -<br>5534- स्वास्थ्य मितानिन -  | 40.00  | 40.00  | 100.00 |
| 24 |  | 2210-03-103-0101-राज्य योजना (सामान्य) -<br>5687- सुरक्षित मातृत्व केन्द्र योजना -   | 60.00  | 60.00  | 100.00 |
| 25 |  | 2210-03-103-0101-राज्य योजना (सामान्य) -<br>6730- स्वास्थ्य पंचायत योजना-  | 81.10  | 81.10  | 100.00 |
| 26 |  | 2210-06-101-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य<br>-5026- छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि के<br>गठन हेतु आर्थिक सहायता- | 500.00 | 500.00 | 100.0  |
| 27 |  | 2210-06-101-0101-राज्य योजना (सामान्य)- 4244-<br>शीत ज्वर-   | 90.70  | 49.06  | 54.09  |
| 28 |  | 2211-80-800-0101-राज्य योजना (सामान्य)-7397-<br>छत्तीसगढ़ इमरजेंसी रिसर्पोसं सर्विसेसे योजना                                 | 160.00 | 160.00 | 100.00 |
| 29 |  | 2211-105-0101--राज्य योजना (सामान्य 4601-<br>स्टरलाईजेशन -   | 130.00 | 79.07  | 60.82  |
| 30 |  | 2211-200-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य -<br>2703- प्रत्यक्ष व्यय-  | 105.00 | 105.00 | 100.00 |
| 31 |  | 2210-01-001-2283- निर्देशन और प्रशासन राजीव<br>गांधी मिशन (मूलभूत सेवाएं)  | 8.00   | 5.01   | 62.62  |
| 32 |  | 2210-01-110-0101-राज्य योजना (सामान्य) -<br>1473- जिला चिकित्सालय-   | 3.00   | 3.00   | 100.00 |
| 33 |  | 4210-01-110-0101-राज्य योजना (सामान्य) -<br>1473- जिला चिकित्सालय-   | 240.00 | 240.00 | 100.00 |
| 34 |  | 4210-02-101-0101-राज्य योजना (सामान्य) -617-<br>उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण-   | 320.00 | 320.00 | 100.00 |
| 35 | 4210-02-104-0101-राज्य योजना (सामान्य) -<br>5998- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- | 220.00   | 228.00 | 100.00 |        |
| 36 | 4210-60-190-0101-राज्य योजना (सामान्य) -<br>7398- चिकित्सा सेवा निगम-          | 500.00   | 400.00 | 80.00  |        |

| 1  | 2   | 3   | 4   | 5          | 6      |
|----|---|---|---|------------|--------|
| 37 | 21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय   | 2215-02-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 8049- पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन को प्रदूषण निवारण मंडल हेतु अनुदान - | 50.00   | 50.00      | 100.00 |
| 38 |   | 2217-05-001-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य - 6752- शहरी सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार -           | 100.00  | 100.00     | 100.00 |
| 39 |   | 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 7411- विकास प्राधिकरणों को अनुदान-  | 50.00   | 50.00      | 100.00 |
| 40 |   | 4216-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) - 7298- नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए आवास योजना                           | 200.00  | 194.00     | 97.00  |
| 41 |   | 4217-01-051-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) 7334- जी.ई.एफ. सहायित एस.यू.टी.पी योजना-               | 30,00.00  | 28,91.32   | 96.37  |
| 42 |   | 4217-01-051-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य - 7417- राज्य सूचना आयोग भवन्ने                                   | 500.00  | 500.00     | 100.00 |
| 43 |   | 4217-01-051-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 3177- राजधानी परियोजना-   | 3,33,57.00  | 1,82,35.79 | 54.66  |
| 44 | 23- जल संसाधान विभाग  | 4700-02-799-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 541- उच्चत-  | 20.00   | 10.22      | 51.10  |
| 45 |   | 4700-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5685- बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण-  | 500.00  | 500.00     | 100.00 |
| 46 |   | 4700-08-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-- 2884- नहर तथा उससे सम्बंधित निर्माण कार्य-                                | 10,00.00  | 5,09.88    | 50.90  |
| 47 |   | 4701-38-800-0101-राज्य योजना (सामान्य) - 2898- बांध तथा संलग्न कार्य-   | 19,00.00  | 10,75.00   | 56.61  |
| 48 | 24- लोक निर्माण कार्य सड़कों और पुल   | 5054-03-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4336- राज्यों में सड़कों का निर्माण-                                       | 60,00.00  | 42,00.00   | 70.00  |
| 49 | 29- न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन  | 2014-105-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य - 7256- न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण-                                 | 100.00  | 100.00     | 100.00 |
| 50 |   | 2014-114-3572- मुफस्सिल स्थापना-  | 470.00  | 247.00     | 52.62  |
| 51 |   | 2014-800-2918- बार एसोसिएशन पुस्तकालय के लिए आर्थिक सहायता-   | 100.00  | 87.00      | 87.00  |
| 52 |   | 2235-60-200-3255-विधिक सहायता तथा विधिक सलह बोर्ड को सहायक अनुदान   | 275.00  | 150.41     | 54.69  |
| 53 |   | 30- पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय   | 2235-60-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7291-आमा आदमी बीमा योजना | 500.00     | 500.00 |
| 54 | 2501-05-101-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य - 5077-एकीकृत पडत भूमि विकास कार्यक्रम                  |   | 258.50  | 186.24     | 72.04  |
| 55 | 4515-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-4871- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण |   | 300.00  | 300.00     | 100.00 |

| 1  | 2   | 3  | 4  | 5      | 6      |
|----|---|--|--|--------|--------|
| 56 | 33- आदिम जाति कल्याण  | 2225-02-277-0801- केन्द्र प्रवर्धित योजना सामान्य - 5325-व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा  | 300.00   | 300.00 | 100.00 |
| 57 |   | 2225-02-800-0701- केन्द्र प्रवर्धित योजना सामान्य - 334-आदीवासी अन्वेषण संस्था   | 130.30   | 83.19  | 63.84  |
| 58 | 34- समाज कल्याण   | 2235-02-001-0101-राज्य योजना (सामान्य) - 6969- उत्थान सखिडी योजना-   | 15.00  | 15.00  | 100.00 |
| 59 |   | 2235-02-001-0101-राज्य योजना (सामान्य) - 6983- प्रमस्तिष्क अंगाघात निशक्तजनों हेतु उपचार एवं पुनर्वास संस्थान-               | 29.92  | 15.84  | 52.94  |
| 60 |   | 2235-02-101-0101-राज्य योजना (सामान्य) - 5650- जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र -   | 64.45  | 36.71  | 56.95  |
| 61 |   | 2235-02-106-0101-राज्य योजना (सामान्य) - 3339- छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाएं-                           | 51.55  | 26.67  | 51.73  |
| 62 |   | 4235-02-101-0101-राज्य योजना (सामान्य) - 79- अंधे, बहरे तथा गूंगों के लिए शाला तथा संस्थाएं-                                 | 74.00  | 74.00  | 100.00 |
| 63 |   | 38-बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान  | 4217-01-051-1301- वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 5723- बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान- | 23.00  | 23.00  |
| 64 | 39- खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 6408-01-101-0101-राज्य योजना (सामान्य) - 6914- पहुंच विहीन क्षेत्रों हेतु वर्षो ऋतु में खाद्यान भण्डारण हेतु सहायता-         | 400.00   | 292.19 | 73.04  |
| 65 |   | 6708-02-190-0101-राज्य योजना (सामान्य) - 6840- नागरिक आपूर्ति निगम को रिवाल्विंग फण्ड हेतु ऋण-                               | 150.00   | 150.00 | 100.00 |
| 66 | 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  | 2202-02-796-109-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 585- व्यवसायिक शिक्षा मण्डल को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति-                  | 60.00  | 24.04  | 75.58  |
| 67 |   | 2210-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5534- स्वास्थ्य मितानिन योजना हेतु अनुदान-                                     | 69.00  | 69.00  | 100.00 |
| 68 |   | 2210-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5687- सुरक्षित मातृत्व केन्द्र योजना-  | 59.70  | 59.70  | 100.00 |
| 69 |   | 2210-05-0796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2502- परिचारिकाओं का प्रशिक्षण-   | 50.00  | 50.00  | 100.00 |
| 70 |   | 2210-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1104- गलगण्ड रोग नियंत्रण-   | 46.40  | 45.00  | 96.98  |
| 71 |   | 2217-80-796-191-1002- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6807- एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना-     | 95.00  | 95.00  | 100.00 |
| 72 |   | 2217-80-796-191-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-6808- लघु एवं मध्यम नगरों की अधोसंरचना विकास योजना- | 54.00  | 54.00  | 100.00 |

| 1  | 2                               | 3   | 4  | 5        | 6      |       |
|----|---------------------------------|---|--|----------|--------|-------|
| 73 | 41-आदिवासी क्षेत्र<br>उपयोजना   | 2225-02-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति<br>उपयोजना 7320- राज्य आदिवासी अनुसंधान संस्थान-                               | 99.00  | 99.00    | 100.00 |       |
| 74 |                                 | 2230-03-796-101-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना<br>अनुसूचित जनजाति उपयोजना-5176- मिनी<br>आई.टी.आई की स्थापना          | 429.50   | 427.86   | 99.61  |       |
| 75 |                                 | 2230-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति<br>उपयोजना - 6901-जनजागरण अभियान के<br>शिविरस्थियों को प्रसाहन                 | 69.00  | 69.00    | 100.00 |       |
| 76 |                                 | 2401-796-119-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना<br>अनुसूचित जनजाति उपयोजना-2794- स्प्रिंकलर<br>सिंचाई हेतु अनुदान-       | 718.20   | 697.69   | 97.14  |       |
| 77 |                                 | 2501-05-796-101-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना<br>अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5077- एकीकृत पडत<br>भूमि विकास कार्यक्रम- | 196.46   | 169.24   | 86.14  |       |
| 78 |                                 | 2702-02-796-016-0102-अनुसूचित जनजाति<br>उपयोजना- 5478- वृष्टि छाया क्षेत्र क्षेत्र की इंदिरा<br>खेत गंगा योजना-     | 300.00   | 176.18.  | 58.72  |       |
| 79 |                                 | 2810-60-796-800-0410- उर्जा विकास निधि -<br>5695- छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण-                              | 100.00   | 100.0    | 100.00 |       |
| 80 |                                 | 2851-796-104-0102- अनुसूचित जनजाति<br>उपयोजना -8109- बस्तर हाथकरघा विकास<br>परियोजना-                               | 48.66  | 48.66    | 100.00 |       |
| 81 |                                 | 4210-01-796-110-0102- अनुसूचित जनजाति<br>उपयोजना 1473- जिला चिकित्सालय-   | 110.00   | 110.00   | 100.00 |       |
| 82 |                                 | 4210-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति<br>उपयोजना- 617- उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण-                          | 920.00   | 920.00   | 100.00 |       |
| 83 |                                 | 4701-25-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति<br>उपयोजना-3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-                            | 72.00  | 72.00    | 100.00 |       |
| 84 |                                 | 4702-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति<br>उपयोजना- 7405- मरम्मत/पुनर्नवीकरण/पुनरोद्धार-                                  | 2000.00  | 1999.85  | 99.99  |       |
| 85 |                                 | 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति<br>उपयोजना- 4855- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-                               | 500.00   | 500.00   | 100.00 |       |
| 86 |                                 | 6212-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति<br>उपयोजना- 2182- नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं-                                  | 100.00   | 100.00   | 100.00 |       |
| 87 |                                 | 6408-02-796-190-0102-अनुसूचित जनजाति<br>उपयोजना- 6840- नागरिक आपूर्ति निगम को<br>रिवालिंग फंड हेतु ऋण-              | 19000.00   | 19000.00 | 100.00 |       |
| 88 |                                 | 43- खेल एवं युवा<br>कल्याण  | 2204-104-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) -<br>7396- खेल अकादमी                    | 50.00    | 44.25  | 88.50 |
| 89 |                                 |   | 2204-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -7342-<br>भारतीय ओलम्पिक समिति को अनुदान- | 540.00   | 495.00 | 91.67 |
| 90 | 44-उच्च शिक्षा                  | 2202-03-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -<br>5715- प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग संस्था-                          | 50.00  | 26.00    | 52.00  |       |
| 91 | 45- लघु सिंचाई<br>निर्माण कार्य | 4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -7405-<br>मरम्मत/पुनर्नवीनीकरण/पुनराधार-                                       | 1400.00  | 1400.00  | 100.00 |       |

| 1   | 2  | 3  | 4       | 5       | 9      |
|-----|--|--|---------|---------|--------|
| 92  | 46- विज्ञान और टेक्नालॉजी  | 3425-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) - 5433- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अनुदान                                     | 400.00  | 261.50  | 65.37  |
| 93  |  | 3425-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) - 6736- केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना-   | 200.00  | 147.08  | 73.54  |
| 94  | 47- तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति                                       | 2230-03-003-0101--राज्य आयोजना (सामान्य) - 717- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-  | 828.00  | 680.91  | 82.23  |
| 95  | नियोजन विभाग   | 2230-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) - 6903- विश्वकर्मा योजना-  | 100.00  | 84.30   | 84.30  |
| 96  |  | 4202-02-103-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-  | 1100.00 | 748.94  | 68.08  |
| 97  |  | 4202-02-103-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-8355-मिनी आई.टी. आई. की स्थापना  | 300.00  | 296.95  | 98.98  |
| 98  |  | 4202-02-103-0101- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-  | 1212.00 | 976.13  | 80.53  |
| 99  |  | 4202-02-103-0101- केन्द्र प्रवर्तित 8355- मिनी आई.टी. आई. की स्थापना   | 148.00  | 100.01  | 67.57  |
| 100 | 48- तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान | 2014-102-7416- तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान  | 583.20  | 583.20  | 100.00 |
| 101 |  | 2014-103-7416- तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान  | 1091.20 | 1091.20 | 100.00 |
| 102 |  | 2014-105-7416- तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान  | 196.40  | 196.40  | 100.00 |
| 103 |  | 2014-116-7416- तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान  | 565.80  | 565.80  | 100.00 |
| 104 | 53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक                                 | 2217-05-789-0103अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ -  | 500.00  | 500.00  | 100.00 |
| 105 | योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता                         | 2235-60-789-102-1003- अतिरिक्त केन्द्र सहायता (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक)- 7336- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन- | 85.00   | 60.76   | 71.48  |
| 106 |  | 6217-60-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 7329- विशिष्ट प्रयोजनार्थ-                                   | 1000.00 | 1000.00 | 100.00 |
| 107 | 55- महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय                            | 2235-02-102-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 5354- एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)-                   | 3260.50 | 3260.00 | 99.98  |
| 108 |  | 2235-02-102-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7543 संचार रणनीति-  | 640.00  | 640.00  | 100.00 |

| 1   | 2  | 3   | 4                             | 5       | 6      |
|-----|--|---|-------------------------------|---------|--------|
| 109 | 56- ग्रामोद्योग  | 2851-103-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-<br>6936- हथकरघा वस्त्रों के विक्रय पर 10 प्रतिशत रिबेट योजना- | 150.00                        | 118.83  | 79.22  |
| 110 |  | 2851-103-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य--<br>8109- वस्त्र हस्तशिल्प विकास परियोजना-                    | 73.66                         | 73.66   | 100.00 |
| 111 |  | 2851-103-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य--<br>6934- एकीकृत हथकरघा विकास योजना-                          | 180.00                        | 161.49  | 89.71  |
| 112 |  | 2851-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -6769-<br>भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान-                            | 74.90                         | 40.82   | 54.49  |
| 113 |  | 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -7399-<br>जांजगीर चांपा में सामान्य-                                     | 100.00                        | 100.00  | 100.00 |
| 114 |  | 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -7400-<br>छुई खदान में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना                 | 100.00                        | 100.00  | 100.00 |
| 115 |  | 4851-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6769-<br>भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना                   | 100.00                        | 100.00  | 100.00 |
| 116 |  | 58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय  | 2245-01-103-7345- पोषण आहार - | 250.00  | 250.00 |
| 117 | 2245-01-104-7346- चारा आपूर्ति -   |   | 100.00                        | 100.00  | 100.00 |
| 118 | 2245-01-105-5492- पशु घन का टीकाकरण टीका द्रव्य उपलब्ध कराने हेतु -                                      |   | 300.00                        | 300.00  | 100.00 |
| 119 | 2245-01-282-7347- लोक स्वास्थ्य  |   | 500.00                        | 500.00  | 100.00 |
| 120 | 2245-02-104-7346- चारा आपूर्ति -   |   | 100.00                        | 100.00  | 100.00 |
| 121 | 2245-02-107-7349-मरस्त   |   | 400.00                        | 255.00  | 63.75  |
| 122 | 2245-02-109-7349- मरस्त  |   | 100.00                        | 100.00  | 100.00 |
| 123 | 2245-02-110-2018-नगद दान   |   | 400.00                        | 352.44  | 88.11  |
| 124 | 2245-02-111-7352-शोकार्त परिवारों को सहायक अनुदान  |   | 2000.00                       | 1003.15 | 50.15  |
| 125 | 2245-02-112-5607-बाढ़ बचाव-  |   | 900.00                        | 900.00  | 100.00 |
| 126 | 2245-02-112-7357-बाढ़ आदि में सहायता-  |   | 100.00                        | 66.15   | 66.15  |
| 127 | 2245-02-114-7357-बाढ़ आदि में सहायता-  |   | 100.00                        | 74.55   | 74.55  |
| 128 | 2245-02-117-7357-बाढ़ आदि में सहायता-  |   | 200.00                        | 150.96  | 75.48  |
| 129 | 2245-02-282-7347- लोक स्वास्थ्य -  |   | 100.00                        | 100.00  | 100.00 |
| 130 | 2245-05-101-475- आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण प्राकृतिक आपदा मार्जिन धन निधि आकाल राहत निधि - |   | 125.00                        | 124.45  | 99.56  |
| 131 | 2245-05-101-4849- राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण-                             | 3000.00   | 3000.00                       | 100.00  |        |
| 132 | 2245-05-101-7408- राज्य आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत दक्षता निर्माण-   | 400.00  | 400.00                        | 100.00  |        |

| 1   | 2   | 3   | 4      | 5      | 6      |
|-----|---|---|--------|--------|--------|
| 133 | 59-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं                              | 2515-102-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (विशेष घटक योजना)-5442- जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना-                                | 25.00  | 25.00  | 100.00 |
| 134 |   | 2515-102-1202- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5442- जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना-                       | 75.00  | 75.00  | 100.00 |
| 135 |   | 2515-102-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) -5442- जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना-                                       | 170.00 | 170.00 | 100.00 |
| 136 | 64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  | 2202-02-789-109-0803- केन्द्र क्षेत्रीय योजना विशेष घटक योजना-2676- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां-                                   | 230.00 | 230.00 | 100.00 |
| 137 |   | 2210-03-789-103-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 9812- उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना-                             | 79.70  | 51.70  | 64.86  |
| 138 |   | 2225-01-789-800-0603- अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित - 5014- क्षेत्रीय विकास के लिए अबद्ध राशि- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 139 |   | 2225-01-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 4719- अनुसूचित जातियों के लिए सहायता योजना-                            | 60.00  | 40.93  | 62.21  |
| 140 |   | 2230-03-789-003-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 717- प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-                                   | 103.00 | 62.68  | 60.38  |
| 141 |   | 2501-05-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना विशेष घटक -5077- एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम-   | 62.04  | 44.09  | 71.06  |
| 142 |   | 2702-02-789-016-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 5479- नलकूप की स्थापना-  | 200.00 | 102.35 | 51.17  |
| 143 |   | 2810-60-789-800-0410- ऊर्जा विकास निधि- 5695- छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण-  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 144 |   | 4210-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 617- उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण-                          | 860.00 | 560.00 | 65.11  |
| 145 |   | 4225-01-789-800-0603-अनुसूचित जातियों के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित-5014- क्षेत्रीय विकास के लिए अबद्ध राशि- | 125.00 | 125.00 | 100.00 |
| 146 | 6408-02-789-190-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 6840-नागरिक आपूर्ति निगम को रिवाल्विंग फंड हेतु ऋण | 100.00  | 100.00 | 100.00 |        |
| 147 | 66- पिछड़ा वर्ग कल्याण  | 4225-03-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5096-राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को अंशपूर्जी-                               | 37.00  | 37.00  | 100.00 |
| 148 |   | 4225-03-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7228- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को अंशपूर्जी-                             | 50.00  | 50.00  | 100.00 |

| 1   | 2  | 3  | 4   | 5           | 6      |
|-----|--|--|---|-------------|--------|
| 149 | 67- लाके निर्माण कार्य- भवन  | 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2631- पुलिस प्रशासन-  | 1000.00   | 550.00      | 55.00  |
| 150 | 68-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य- भवन          | 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 2216- नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण-      | 200.00  | 111.00      | 55.05  |
| 151 | 69- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण                         | 2217-80-191-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) -6807 एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना-                 | 5672.00   | 4879.24     | 86.02  |
| 152 |  | 2217-80-191-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 6808- लघु एवं मध्यम नगरों की अधोसंरचना विकास योजना           | 7400.00   | 7400.00     | 100.00 |
| 153 | 71- सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी                            | 3275-800-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) -7276- स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना-                             | 817.00  | 686.00      | 83.96  |
| 154 |  | 3275-800-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)  | 1186.00   | 1002.08     | 84.49  |
| 155 |  | 3275-800-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) - 7278- राज्य में कंपैसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम-                   | 182.30  | 182.30      | 100.00 |
| 156 |  | 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -6819- चोईस परियोजना-   | 800.00  | 800.00      | 100.00 |
| 157 |  | 3275-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6894- डिजीटल शासन की स्थापना-  | 800.00  | 800.00      | 100.00 |
| 158 |  | 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -6895- जन सुराज परियोजना  | 100.00  | 100.00      | 100.00 |
| 159 |  | 80- त्रि- स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता  | 2515-101-5703- बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार पंचायती राज को अनुदान मूलभूत सेवाओं हेतु- | 123.00      | 123.00 |
| 160 | 81- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता                                    | 2217-05-192- 7416- तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-                                       | 200.00  | 100.00      | 50.00  |
| 161 |  | 2217-05-193- 7416- तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-                                       | 106.00  | 54.00       | 50.94  |
| 162 |  | 2217-80-004-7409- नगरीय निकायों के निर्वाचन जन प्रतिनिधियों का क्षमता प्रशिक्षण-                                   | 100.00  | 70.00       | 70.00  |
| 163 | 83-अनुसूचित जनजाति उपयोगना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 2235-60-796-102-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता (अनुसूचित जन जाति उपयोगना)- -7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन- | 330.00  | 256.86      | 77.83  |
| 164 |  | 2235-60-796-102-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता (अनुसूचित जन जाति उपयोगना)- 7340- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन- | 40.00   | 25.44       | 63.60  |
| योग |  |  | 1,41,683.14   | 1,16,151.22 | 81.98  |



**परिशिष्ट 2.7**

(कड़िका : 2.3.8; पृष्ठ 44 के संदर्भ में)

वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

(प्रकरण जिसमें समर्पित राशि ₹ 50 लाख अथवा अधिक है)

(₹ करोड़ में)

| स. क्र.                  | अनुदान संख्या | अनुदान/विनियोग का नाम   | कुल प्रावधान    | बचत           | समर्पण        | अधिक समर्पित राशि |
|--------------------------|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1                        | 2             | 3   | 4               | 5             | 6             | 7                 |
| <b>अ - राजस्व दत्तमत</b> |               |   |                 |               |               |                   |
| 1                        | 2             | सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय  | 10.41           | 2.21          | 2.73          | 0.52              |
| 2                        | 7             | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय  | 196.24          | 40.26         | 47.80         | 7.54              |
| 3                        | 8             | भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन  | 356.39          | 125.99        | 128.88        | 2.89              |
| 4                        | 23            | जल संसाधन विभाग   | 246.94          | 15.05         | 20.94         | 5.89              |
| 5                        | 29            | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन  | 132.19          | 24.16         | 27.31         | 3.15              |
| 6                        | 30            | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय   | 568.44          | 20.48         | 31.86         | 11.38             |
| 7                        | 45            | लघु सिंचाई कार्य  | 39.39           | 1.56          | 2.41          | 0.85              |
| 8                        | 56            | ग्रामोद्योग   | 54.88           | 7.64          | 8.29          | 0.65              |
| 9                        | 58            | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय                                    | 419.86          | 216.08        | 231.56        | 15.48             |
| 10                       | 82            | अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 533.31          | 18.36         | 31.50         | 13.14             |
|                          |               | योग - अ   | 2558.05         | 471.79        | 533.28        | 61.49             |
| <b>ब- पूंजीगत दत्तमत</b> |               |   |                 |               |               |                   |
| 11                       | 23            | जल संसाधन विभाग   | 334.05          | 17.20         | 27.04         | 9.84              |
| 12                       | 39            | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय                             | 372.75          | 152.26        | 152.92        | 0.66              |
| 13                       | 57            | जल संसाधन विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं                              | 62.21           | 9.27          | 12.08         | 2.81              |
|                          |               | योग - ब   | 769.01          | 178.73        | 192.04        | 13.31             |
| <b>स-राजस्व (भारित)</b>  |               |   |                 |               |               |                   |
| 14                       |               | ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा  | 1308.05         | 9.67          | 11.69         | 2.02              |
|                          |               | योग - स   | 1308.05         | 9.67          | 11.69         | 2.02              |
|                          |               | <b>महायोग - (अ+ब)</b>   | <b>4,635.11</b> | <b>660.19</b> | <b>737.01</b> | <b>76.82</b>      |

## परिशिष्ट 2.8

(कड़िका : 2.3.9: पृष्ठ 44 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों / विनियोगों का विवरण जिनमें बचत हुई (₹ एक करोड़ से अधिक)  
लेकिन कोई भी अंश समर्पण नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

| स. क्र.                   | अनुदान संख्या | अनुदान / विनियोगों का नाम   | बचत             |
|---------------------------|---------------|---|-----------------|
| 1                         | 2             | 3   | 4               |
| <b>अ - राजस्व दत्तमत</b>  |               |   |                 |
| 1                         | 3             | पुलिस   | 2.75            |
| 2                         | 10            | वन  | 34.00           |
| 3                         | 14            | पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय                                    | 23.99           |
| 4                         | 17            | सहकारिता  | 1.45            |
| 5                         | 20            | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी   | 18.11           |
| 6                         | 24            | लोक निर्माण कार्य - सडकें और पुल                                  | 109.41          |
| 6                         | 26            | संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय                                   | 2.80            |
| 7                         | 27            | स्कूल शिक्षा  | 531.80          |
| 8                         | 31            | योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय                 | 4.05            |
| 9                         | 36            | परिवहन  | 5.76            |
| 10                        | 38            | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान  | 12.60           |
| 11                        | 44            | उच्च शिक्षा   | 34.35           |
| 12                        | 51            | धार्मिक न्यास और धर्मस्व  | 1.75            |
| 13                        | 67            | लोक निर्माण कार्य-भवन   | 23.32           |
| 14                        | 79            | चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय                            | 48.81           |
| <b>योग-अ</b>              |               |   | <b>854.95</b>   |
| <b>ब- राजस्व (भारित)</b>  |               |   |                 |
| 15                        | 10            | वन  | 6.71            |
| 16                        | 12            | ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय                                      | 66.64           |
| 17                        | 24            | लोक निर्माण कार्य - सडकें और पुल                                  | 2.35            |
| <b>योग-ब</b>              |               |   | <b>75.70</b>    |
| <b>स- पूंजीगत दत्तमत</b>  |               |   |                 |
| 18                        | 3             | पुलिस   | 5.05            |
| 19                        | 10            | वन  | 9.10            |
| 20                        | 11            | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय                         | 19.53           |
| 21                        | 20            | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी   | 11.20           |
| 22                        | 24            | लोक निर्माण कार्य - सडकें और पुल                                  | 40.93           |
| 23                        | 27            | स्कूल शिक्षा  | 7.98            |
| 24                        | 37            | पर्यटन  | 4.43            |
| 26                        | 42            | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सडकें और पुल | 115.70          |
| 27                        | 55            | महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय                             | 3.07            |
| 28                        | 60            | जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय                                  | 2.25            |
| 29                        | 67            | लोक निर्माण कार्य-भवन   | 57.55           |
| 30                        | 68            | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन          | 38.92           |
| 31                        | 79            | चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय                            | 23.48           |
| <b>योग - स</b>            |               |   | <b>339.19</b>   |
| <b>महायोग (अ + ब + स)</b> |               |   | <b>1,269.84</b> |

## परिशिष्ट 2.9

(कड़िका : 2.3.9; पृष्ठ 44 के संदर्भ में)

₹ एक करोड़ से अधिक के बचत जो समर्पित नहीं किए गए

(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | अनुदान संख्या | अनुदान / विनियोगों का नाम   | बचत            | समर्पण         | बचत जो समर्पित नहीं किये गये |
|---------|---------------|---|----------------|----------------|------------------------------|
| 1       | 2             | 3   | 4              | 5              | 6                            |
|         |               | <b>अ - राजस्व दत्तमत</b>  |                |                |                              |
| 1       | 4             | गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय   | 16.99          | 0.18           | 16.81                        |
| 2       | 11            | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय   | 2.77           | 0.19           | 2.58                         |
| 3       | 13            | कृषि  | 112.31         | 75.97          | 36.34                        |
| 4       | 15            | अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 4.47           | 1.82           | 2.65                         |
| 5       | 19            | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण   | 71.00          | 61.13          | 9.87                         |
| 6       | 28            | राज्य विधान मंडल  | 5.65           | 0.03           | 5.62                         |
| 7       | 33            | आदिम जाति कल्याण  | 110.50         | 51.00          | 59.50                        |
| 8       | 39            | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय                                 | 53.65          | 45.97          | 7.68                         |
| 9       | 41            | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना   | 488.48         | 193.11         | 295.37                       |
| 10      | 43            | खेल एवं युवा कल्याण   | 13.43          | 4.55           | 8.88                         |
| 11      | 47            | तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग   | 35.52          | 14.20          | 21.32                        |
| 12      | 48            | तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान                                  | 48.55          | 26.87          | 21.68                        |
| 13      | 53            | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता                    | 8.37           | 6.48           | 1.89                         |
| 14      | 55            | महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय   | 204.61         | 39.00          | 165.61                       |
| 15      | 64            | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 192.49         | 75.24          | 117.25                       |
| 16      | 66            | पिछड़ा वर्ग कल्याण  | 2.70           | 1.16           | 1.54                         |
| 17      | 80            | त्रि- स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता   | 181.05         | 116.90         | 64.15                        |
| 18      | 81            | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता   | 78.34          | 28.35          | 49.99                        |
| 19      | 83            | अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता                       | 4.32           | 3.05           | 1.27                         |
|         |               | <b>योग-(अ)</b>  | <b>1635.20</b> | <b>745.20</b>  | <b>890.00</b>                |
|         |               | <b>ब - पूंजीगत दत्तमत</b>   |                |                |                              |
| 20      | 38            | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान                                  | 22.68          | 20.50          | 2.18                         |
| 21      | 41            | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना   | 372.83         | 339.61         | 33.22                        |
| 22      | 45            | लघु सिंचाई कार्य  | 202.53         | 201.25         | 1.28                         |
| 23      | 47            | तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग   | 32.69          | 21.23          | 11.46                        |
| 24      | 64            | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना   | 474.09         | 437.16         | 36.93                        |
|         |               | <b>योग - ब</b>  | <b>1104.82</b> | <b>1019.75</b> | <b>85.07</b>                 |
|         |               | <b>महायोग - (अ + ब)</b>   | <b>2740.02</b> | <b>1764.95</b> | <b>975.07</b>                |

## परिशिष्ट 2.10

(कड़िका : 2.3.9; पृष्ठ 44 के संदर्भ में)

31 मार्च 2011 की स्थिति में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | अनुदान संख्या | अनुदान / विनियोग का नाम  | समर्पण         | कुल प्रावधान का प्रतिशत |
|---------|---------------|--|----------------|-------------------------|
| 1       | 2             | 3  | 4              | 5                       |
|         |               | <b>अ - राजस्व दत्तमत</b>   |                |                         |
| 1       | 1             | समान्य प्रशासन   | 15.27          | 17.49                   |
| 2       | 6             | वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय   | 10.13          | 0.60                    |
| 3       | 7             | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय   | 47.80          | 24.36                   |
| 4       | 8             | भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन   | 128.88         | 36.16                   |
| 5       | 13            | कृषि   | 75.97          | 13.44                   |
| 6       | 19            | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  | 61.13          | 12.41                   |
| 7       | 23            | जल संसाधन विभाग  | 20.94          | 8.48                    |
| 8       | 29            | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन   | 27.31          | 20.66                   |
| 9       | 30            | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय  | 31.86          | 5.60                    |
| 10      | 33            | आदिम जाति कल्याण   | 51.00          | 5.77                    |
| 11      | 39            | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय                              | 45.97          | 3.92                    |
| 12      | 41            | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  | 193.11         | 6.78                    |
| 13      | 47            | तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग  | 14.20          | 11.38                   |
| 14      | 48            | तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान                               | 26.87          | 11.18                   |
| 15      | 55            | महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय  | 39.00          | 6.90                    |
| 16      | 58            | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय                                     | 231.56         | 55.15                   |
| 17      | 64            | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  | 75.24          | 7.64                    |
| 18      | 69            | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण   | 201.32         | 66.44                   |
| 19      | 71            | सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी  | 35.76          | 87.52                   |
| 20      | 80            | त्रि- स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता  | 116.90         | 8.74                    |
| 21      | 81            | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता  | 28.35          | 3.11                    |
| 22      | 82            | अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रि- स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 31.50          | 5.91                    |
|         |               | <b>योग - अ</b>   | <b>1510.07</b> | -                       |
|         |               | <b>ब- राजस्व (भारत)</b>  |                |                         |
| 23      |               | ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा   | 11.69          | 0.89                    |
|         |               | <b>योग - ब</b>   | <b>11.69</b>   | <b>0.89</b>             |

| 1  | 2  | 3  | 4              | 5      |
|----|----|--|----------------|--------|
|    |    | <b>स- पूंजीगत दत्तमत</b>   |                |        |
| 24 | 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  | 11.80          | 57.42  |
| 25 | 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय                                       | 218.27         | 58.89  |
| 26 | 23 | जल संसाधन विभाग  | 27.04          | 8.09   |
| 27 | 38 | बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान               | 20.50          | 67.88  |
| 28 | 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय              | 152.92         | 41.03  |
| 29 | 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना  | 339.61         | 27.65  |
| 30 | 45 | लघु सिंचाई कार्य   | 201.25         | 47.60  |
| 31 | 47 | तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग  | 21.23          | 51.02  |
| 32 | 53 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 10.00          | 100.00 |
| 33 | 57 | जल संसाधन विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं               | 12.08          | 19.43  |
| 34 | 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  | 437.16         | 62.79  |
|    |    | <b>योग- स</b>  | <b>1451.86</b> | --     |
|    |    | <b>द पूंजीगत भारित</b>   |                |        |
| 35 |    | लोक-ऋण   | 211.39         | 23.43  |
|    |    | <b>योग-द</b>   | <b>211.39</b>  | --     |
|    |    | <b>महायोग - (अ + ब + स+ द )</b>  | <b>3185.01</b> | --     |

## परिशिष्ट 2.11

(कड़िका : 2.3.11; पृष्ठ 45 के संदर्भ में)  
व्यय का अतिरेक

(₹ करोड़ में)

| स.क्र. | मुख्य शीर्ष | वर्ष के दौरान कुल व्यय | जनवरी - मार्च 2011 के दौरान किया गया व्यय | मार्च 2011 में किया गया व्यय | निम्नांकित का कुल व्यय से प्रतिशत |            |
|--------|-------------|------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|------------|
|        |             |                        |   |                              | जनवरी से मार्च - 2011             | मार्च 2011 |
| 1      | 2           | 3                      | 4   | 5                            | 6                                 | 7          |
| 1      | 2810        | 15.70                  | 35.78                                     | 22.04                        | 227.90                            | 140.38     |
| 2      | 4425        | 11.46                  | 11.50                                     | 11.53                        | 100.35                            | 100.61     |
| 3      | 4235        | 19.15                  | 19.15                                     | 19.15                        | 100.00                            | 100.00     |
| 4      | 5452        | 18.74                  | 18.74                                     | 9.54                         | 100.00                            | 50.91      |
| 5      | 4851        | 33.60                  | 33.59                                     | 33.46                        | 99.97                             | 99.58      |
| 6      | 2801        | 282.19                 | 281.39                                    | 281.39                       | 99.72                             | 99.72      |
| 7      | 6425        | 21.02                  | 20.88                                     | 11.77                        | 99.33                             | 56.00      |
| 8      | 3452        | 32.35                  | 30.35                                     | 8.26                         | 93.82                             | 25.53      |
| 9      | 2853        | 202.44                 | 189.15                                    | 187.01                       | 93.44                             | 92.38      |
| 10     | 4515        | 170.98                 | 155.86                                    | 144.47                       | 91.16                             | 84.50      |
| 11     | 6217        | 49.36                  | 43.55                                     | 43.55                        | 88.23                             | 88.23      |
| 12     | 4406        | 22.76                  | 19.69                                     | 11.63                        | 86.51                             | 51.10      |
| 13     | 2030        | 57.78                  | 43.88                                     | 39.84                        | 75.94                             | 68.95      |
| 14     | 4225        | 217.28                 | 154.68                                    | 120.00                       | 71.19                             | 55.23      |
| 15     | 4217        | 152.30                 | 107.11                                    | 54.61                        | 70.33                             | 35.86      |
| 16     | 4705        | 38.93                  | 26.69                                     | 9.10                         | 68.56                             | 23.38      |
| 17     | 3604        | 707.55                 | 466.36                                    | 241.75                       | 65.91                             | 34.17      |
| 18     | 2415        | 42.58                  | 26.97                                     | 19.22                        | 63.34                             | 45.14      |
| 19     | 2217        | 276.92                 | 166.49                                    | 120.93                       | 60.12                             | 43.67      |
| 20     | 4202        | 303.17                 | 177.97                                    | 145.36                       | 58.70                             | 47.95      |
| 21     | 3054        | 300.08                 | 169.98                                    | 67.37                        | 56.64                             | 22.45      |
| 22     | 2501        | 38.33                  | 21.50                                     | 15.41                        | 56.09                             | 40.20      |
| 23     | 2015        | 19.58                  | 10.68                                     | 4.36                         | 54.55                             | 22.27      |
| 24     | 2405        | 43.06                  | 22.72                                     | 10.91                        | 52.76                             | 25.34      |
| 25     | 2515        | 993.71                 | 515.69                                    | 184.96                       | 51.90                             | 18.61      |
| 26     | 4216        | 24.83                  | 12.75                                     | 4.05                         | 51.35                             | 16.31      |
| 27     | 2204        | 28.19                  | 14.26                                     | 7.49                         | 50.59                             | 26.57      |
| 28     | 2408        | 785.94                 | 397.21                                    | 394.80                       | 50.54                             | 50.23      |

**परिशिष्ट 2.12**

(कड़िका : 2.4 6 ; पृष्ठ 49 के संदर्भ में)

**खनिज विकास निधि में स्थानान्तरित राशि का विवरण**

(₹ करोड़ में)

| वर्ष       | खनिज राजस्व    | विकास निधि में स्थानान्तरित की जाने वाली राशि | विकास निधि में स्थानान्तरित राशि का प्रतिशत एवं राशि | विकास निधि में स्थानान्तरित कम राशि |
|------------|----------------|---|--|-------------------------------------|
| 1          | 2              | 3   | 4  | 5 = (3-4)                           |
| 2002-03    | 552.36         | 27.62   | 10.00 (1.81)   | 17.62                               |
| 2003-04    | 637.18         | 31.86   | 10.00 (1.57)   | 21.86                               |
| 2004-05    | 694.62         | 34.73   | 10.00 (1.44)   | 24.73                               |
| 2005-06    | 735.39         | 36.77   | 35.00 (4.76)   | 1.77                                |
| 2006-07    | 829.48         | 41.47   | 36.10 (4.35)   | 5.37                                |
| 2007-08    | 1023.91        | 51.20   | 51.00 (4.98)   | 0.20                                |
| 2008-09    | 1233.59        | 61.68   | 58.52 (4.74)   | 3.16                                |
| 2009-10    | 1648.47        | 82.42   | 86.55 (5.25)   | -4.13                               |
| <b>योग</b> | <b>7355.00</b> | <b>367.75</b>                                 | <b>297.17 (4.04)</b>                                 | <b>70.58</b>                        |

## परिशिष्ट 2.13

(कड़िका : 2.4.7 ; पृष्ठ 50 के संदर्भ में)  
रायल्टी के लिए संग्रहित राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय वर्ष | मुख्य खनिज पर रायल्टी | गौण खनिज पर रायल्टी | विविध       | योग             |
|--------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 1            | 2                     | 3                   | 4           | 5               |
| 2000-01      | 425.30                | 4.66                | Nil         | 429.96          |
| 2001-02      | 451.69                | 6.84                | Nil         | 458.53          |
| 2002-03      | 536.81                | 15.55               | Nil         | 552.36          |
| 2003-04      | 623.16                | 14.02               | Nil         | 637.18          |
| 2004-05      | 674.57                | 20.05               | Nil         | 694.62          |
| 2005-06      | 706.67                | 28.72               | 2.46        | 737.85          |
| 2006-07      | 783.94                | 45.54               | 2.87        | 832.35          |
| 2007-08      | 964.01                | 59.90               | 4.47        | 1028.38         |
| 2008-09      | 1154.01               | 79.58               | 3.71        | 1237.30         |
| 2009-10      | 1554.12               | 94.35               | 7.41        | 1655.88         |
| 2010-11      | 2354.31               | 101.97              | 5.18        | 2461.46         |
| <b>योग</b>   | <b>10228.59</b>       | <b>471.18</b>       | <b>26.1</b> | <b>10725.87</b> |



**परिशिष्ट 2:14**

(कडिका : 2.4.8; पृष्ठ 50 के संदर्भ में)

**बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण**

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय वर्ष | जिला कलेक्टरों को स्थानान्तरित<br>गोण खनिज राजस्व |
|--------------|---|
| 1            | 2   |
| 2000-01      | 4.66  |
| 2001-02      | 6.84  |
| 2002-03      | 15.55   |
| 2003-04      | 14.02   |
| 2004-05      | 20.05   |
| 2005-06      | 28.72   |
| 2006-07      | 45.54   |
| 2007-08      | 59.90   |
| 2008-09      | 79.58   |
| 2009-10      | 94.35   |
| 2010-11      | 101.97  |
| <b>योग</b>   | <b>471.18</b>                                     |

## परिशिष्ट-3.1

(कड़िका : 3.1, पृष्ठ 53 के संदर्भ में)

## 31 मार्च 2011 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

| स. क्र. | विभाग       |  | अनुदान भुगतान का वर्ष | कुल अनुदान भुगतान |           | उपयोगिता प्रमाण पत्र |          |           |          |
|---------|-------------|--|-----------------------|-------------------|-----------|----------------------|----------|-----------|----------|
|         | मुख्य शीर्ष | नाम                                    |                       | संख्या            | राशि      | प्राप्त              |          | अप्राप्त  |          |
|         |             |  |                       |                   |           | संख्या               | राशि     | संख्या    | राशि     |
| 1       | 2011        | संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल | 2009-10               | 19                | 103.93    | 0                    | 0        | 19        | 103.93   |
|         |             |  | 2007-08               | 29                | 129.84    | 0                    | 0        | 29        | 129.84   |
|         |             |  | 2008-09               | 18                | 173.16    | 0                    | 0        | 18        | 173.16   |
|         | योग         |  | 66                    | 406.93            | 0         | 0                    | 66       | 406.93    |          |
| 2       | 2013        | मंत्रिपरिषद                            | 2009-10               | 303               | 1168.55   | 302                  | 1168.22  | 1         | 0.33     |
|         |             |  | 2007-08               | 322               | 1,699.97  | 317                  | 1695.48  | 5         | 4.49     |
|         | योग         |  | 625                   | 2,868.52          | 619       | 2863.7               | 6        | 4.82      |          |
| 3       | 2014        | न्याय प्रशासन                          | 2007-08               | 10                | 224.4     | 0                    | 0        | 10        | 224.4    |
|         |             |  | 2008-09               | 7                 | 247.95    | 0                    | 0        | 7         | 247.95   |
|         | योग         |  | 17                    | 472.35            | 0         | 0                    | 17       | 472.35    |          |
| 4       | 2202        | समान्य शिक्षा                          | 2007-08               | 1993              | 39,720.56 | 839                  | 6647.42  | 1154      | 33073.13 |
|         |             |  | 2008-09               | 3516              | 43,153.75 | 1415                 | 5116.35  | 2101      | 38037.4  |
|         |             |  | 2009-10               | 2561              | 54960.95  | 1003                 | 7301.99  | 1558      | 47658.96 |
|         | योग         |  | 8070                  | 137835.26         | 3257      | 19065.76             | 4813     | 118769.49 |          |
| 5       | 2203        | तकनीकी शिक्षा                          | 2007-08               | 6                 | 169       | 5                    | 160      | 1         | 9        |
|         | योग         |  | 6                     | 169               | 5         | 160                  | 1        | 9         |          |
| 6       | 2204        | खेलकूद तथा युवा सेवाएं                 | 2007-08               | 135               | 84.72     | 60                   | 36.04    | 75        | 48.68    |
|         |             |  | 2009-10               | 146               | 126.31    | 66                   | 51.05    | 80        | 75.26    |
|         |             |  | 2008-09               | 128               | 132.45    | 52                   | 20.85    | 76        | 111.6    |
|         | योग         |  | 409                   | 343.48            | 178       | 107.94               | 231      | 235.54    |          |
| 7       | 2205        | कला एवं संस्कृति                       | 2007-08               | 69                | 53.77     | 1                    | 0.6      | 68        | 53.17    |
|         |             |  | 2009-10               | 66                | 64.86     | 0                    | 0        | 66        | 64.86    |
|         |             |  | 2008-09               | 93                | 86.43     | 1                    | 0.71     | 92        | 85.72    |
|         | योग         |  | 228                   | 205.06            | 2         | 1.31                 | 226      | 203.75    |          |
| 8       | 2210        | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य             | 2007-08               | 111               | 1,702.93  | 77                   | 1685.37  | 34        | 17.56    |
|         |             |  | 2009-10               | 134               | 9366.43   | 89                   | 9187.87  | 45        | 178.56   |
|         |             |  | 2008-09               | 117               | 4,427.29  | 75                   | 4183.43  | 42        | 243.86   |
|         | योग         |  | 362                   | 15,496.65         | 241       | 15056.67             | 121      | 439.98    |          |
| 9       | 2215        | जल पूर्ति तथा सफाई                     | 2007-08               | 109               | 5,681.41  | 2                    | 420      | 107       | 5261.41  |
|         |             |  | 2009-10               | 131               | 6081.54   | 2                    | 340      | 129       | 5741.54  |
|         | योग         |  | 240                   | 1,1762.95         | 4         | 760                  | 236      | 11002.95  |          |
| 10      | 2216        | आवास                                   | 2007-08               | 45                | 478.79    | 0                    | 0        | 45        | 478.79   |
|         |             |  | 2008-09               | 47                | 1,938.56  | 0                    | 0        | 47        | 1,938.56 |
|         |             |  | 2009-10               | 50                | 2357.53   | 5                    | 97.83    | 45        | 2259.7   |
|         | योग         |  | 142                   | 4774.88           | 5         | 97.83                | 137      | 4677.05   |          |
| 11      | 2217        | शहरी विकास                             | 2008-09               | 107               | 22,562.21 | 106                  | 21682.2  | 1         | 880.01   |
|         |             |  | 2007-08               | 66                | 19,142.50 | 63                   | 17784.04 | 3         | 1358.46  |
|         |             |  | 2009-10               | 63                | 35465.65  | 61                   | 32825.65 | 2         | 2640     |
|         | योग         |  | 236                   | 77170.36          | 230       | 72291.89             | 6        | 4878.47   |          |

| स. क्र. | विभाग       |   | अनुदान भुगतान का वर्ष | कुल अनुदान भुगतान |           | उपयोगिता प्रमाण पत्र |         |          |          |
|---------|-------------|---|-----------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|----------|----------|
|         | मुख्य शीर्ष | नाम   |                       | संख्या            | राशि      | प्राप्त              |         | अप्राप्त |          |
|         |             |   |                       |                   |           | संख्या               | राशि    | संख्या   | राशि     |
| 12      | 2220        | सूचना तथा प्रचार  | 2007-08               | 5                 | 6.47      | 0                    | 0       | 5        | 6.47     |
|         |             |   | 2008-09               | 12                | 10.05     | 0                    | 0       | 12       | 10.05    |
|         |             |   | 2009-10               | 7                 | 12.8      | 0                    | 0       | 7        | 12.8     |
|         | योग         |   |                       | 24                | 29.32     | 0                    | 0       | 24       | 29.32    |
| 13      | 2225        | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 2009-10               | 241               | 3492.08   | 59                   | 364.04  | 182      | 3128.04  |
|         |             |   | 2007-08               | 269               | 3,829.56  | 98                   | 330.85  | 171      | 3498.71  |
|         |             |   | 2008-09               | 228               | 4,466.95  | 31                   | 157.6   | 197      | 4309.35  |
|         | योग         |   |                       | 738               | 11,788.59 | 188                  | 852.49  | 550      | 10936.1  |
| 14      | 2235        | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  | 2007-08               | 455               | 3,557.49  | 48                   | 788.21  | 407      | 2769.28  |
|         |             |   | 2009-10               | 521               | 4808.51   | 10                   | 49.31   | 511      | 4759.2   |
|         |             |   | 2008-09               | 480               | 16,443.61 | 6                    | 13.55   | 474      | 16430.06 |
|         | योग         |   |                       | 1456              | 24,809.61 | 64                   | 851.07  | 1392     | 23958.54 |
| 15      | 2245        | प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत  | 2007-08               | 22                | 9.21      | 0                    | 0       | 22       | 9.21     |
|         |             |   | 2009-10               | 13                | 9.92      | 0                    | 0       | 13       | 9.92     |
|         | योग         |   |                       | 35                | 19.13     | 0                    | 0       | 35       | 19.13    |
| 16      | 2250        | अन्य सामाजिक सेवाएं   | 2007-08               | 1                 | 5.25      | 0                    | 0       | 1        | 5.25     |
|         |             |   | 2009-10               | 4                 | 264.75    | 0                    | 0       | 4        | 264.75   |
|         | योग         |   |                       | 5                 | 270       | 0                    | 0       | 5        | 270      |
| 17      | 2401        | फसल कृषि-कर्म   | 2007-08               | 94                | 2,374.60  | 0                    | 0       | 94       | 2,374.60 |
|         |             |   | 2009-10               | 236               | 4644.08   | 6                    | 786     | 230      | 3858.08  |
|         |             |   | 2008-09               | 178               | 6,381.09  | 3                    | 1025    | 175      | 5356.09  |
|         | योग         |   |                       | 508               | 13,399.77 | 9                    | 1811    | 499      | 11588.77 |
| 18      | 2403        | पशु-पालन  | 2008-09               | 165               | 1,679.14  | 86                   | 675.18  | 79       | 1003.96  |
|         |             |   | 2007-08               | 155               | 1,862.60  | 134                  | 273.3   | 21       | 1,589.30 |
|         |             |   | 2009-10               | 146               | 3781.64   | 34                   | 66.08   | 112      | 3715.56  |
|         | योग         |   |                       | 466               | 7323.38   | 254                  | 1014.56 | 212      | 6308.82  |
| 19      | 2405        | मछली-पालन   | 2007-08               | 172               | 179.74    | 0                    | 0       | 172      | 179.74   |
|         |             |   | 2009-10               | 126               | 241.27    | 0                    | 0       | 126      | 241.27   |
|         |             |   | 2008-09               | 167               | 310.94    | 0                    | 0       | 167      | 310.94   |
|         | योग         |   |                       | 465               | 731.95    | 0                    | 0       | 465      | 731.95   |
| 20      | 2408        | खाद्य, भंडारण तथा भांडागार  | 2008-09               | 18                | 2,035.59  | 17                   | 2032.59 | 1        | 3        |
|         | योग         |   |                       | 18                | 2,035.59  | 17                   | 2032.59 | 1        | 3        |
| 21      | 2415        | कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा  | 2007-08               | 8                 | 1,861.25  | 7                    | 1823.75 | 1        | 37.5     |
|         | योग         |   |                       | 8                 | 1,861.25  | 7                    | 1823.75 | 1        | 37.5     |
| 22      | 2425        | सहकारिता  | 2008-09               | 5                 | 34.96     | 4                    | 32.46   | 1        | 2.5      |
|         | योग         |   |                       | 5                 | 34.96     | 4                    | 32.46   | 1        | 2.5      |
| 23      | 2435        | अन्य कृषि कार्यक्रम   | 2007-08               | 4                 | 1,137.80  | 0                    | 0       | 4        | 1,137.80 |
|         | योग         |   |                       | 4                 | 1,137.80  | 0                    | 0       | 4        | 1,137.80 |

| स. क्र. | विभाग       |                                      | अनुदान भुगतान का वर्ष | कुल भुगतान अनुदान प्राप्त |           | उपयोगिता प्रमाण पत्र |          |           |           |
|---------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|----------------------|----------|-----------|-----------|
|         | मुख्य शीर्ष | नाम                                  |                       | प्राप्त                   |           | प्राप्त              |          | अप्राप्त  |           |
|         |             |                                      |                       | संख्या                    | राशि      | संख्या               | राशि     | संख्या    | राशि      |
| 24      | 2501        | ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | 2009-10               | 164                       | 1246.23   | 86                   | 928.44   | 78        | 317.79    |
|         |             |                                      | 2007-08               | 122                       | 1,228.50  | 68                   | 742.71   | 54        | 485.79    |
|         |             |                                      | 2008-09               | 164                       | 1,663.94  | 82                   | 1144.65  | 82        | 519.29    |
|         | योग         |                                      | 450                   | 4,138.67                  | 236       | 2815.8               | 214      | 1322.87   |           |
| 25      | 2505        | ग्रामीण रोजगार                       | 2009-10               | 36                        | 2272.68   | 27                   | 1900.45  | 9         | 372.23    |
|         |             |                                      | 2008-09               | 78                        | 4,716.99  | 54                   | 3261.34  | 24        | 1455.65   |
|         |             |                                      | 2007-08               | 64                        | 4,046.30  | 44                   | 2496.45  | 20        | 1549.85   |
|         | योग         |                                      | 178                   | 11,035.97                 | 125       | 7658.24              | 53       | 3377.73   |           |
| 26      | 2515        | अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम         | 2007-08               | 195                       | 20,361.85 | 31                   | 5663.22  | 164       | 14698.63  |
|         |             |                                      | 2009-10               | 195                       | 18935.47  | 13                   | 3000.86  | 182       | 15934.61  |
|         |             |                                      | 2008-09               | 179                       | 19,119.64 | 22                   | 2,367.24 | 157       | 16,752.40 |
|         | योग         |                                      | 569                   | 58,416.96                 | 66        | 11,031.32            | 503      | 47,385.64 |           |
| 27      | 2702        | लघु सिंचाई                           | 2007-08               | 220                       | 510.28    | 121                  | 237.57   | 99        | 272.71    |
|         |             |                                      | 2008-09               | 320                       | 782.37    | 207                  | 410.08   | 113       | 372.29    |
|         |             |                                      | 2009-10               | 268                       | 831.65    | 146                  | 358.7    | 122       | 472.95    |
|         | योग         |                                      | 808                   | 2124.3                    | 474       | 1006.35              | 334      | 1117.95   |           |
| 28      | 2801        | बिजली                                | 2007-08               | 20                        | 4,601.95  | 9                    | 1972.48  | 11        | 2629.47   |
|         |             |                                      | 2009-10               | 22                        | 4760.25   | 0                    | 0        | 22        | 4760.25   |
|         |             |                                      | 2008-09               | 34                        | 5,197.52  | 0                    | 0        | 34        | 5,197.52  |
|         | योग         |                                      | 76                    | 14,559.72                 | 9         | 1972.48              | 67       | 12,587.24 |           |
| 29      | 2810        | गैरपारंपरिक ऊर्जा स्रोत              | 2008-09               | 14                        | 2,918.00  | 13                   | 2418     | 1         | 500       |
|         |             |                                      | 2009-10               | 13                        | 2475      | 9                    | 1848.5   | 4         | 626.5     |
|         |             |                                      | 2007-08               | 13                        | 3,910.00  | 11                   | 3160     | 2         | 750       |
|         | योग         |                                      | 40                    | 9,303.00                  | 33        | 7426.5               | 7        | 1876.5    |           |
| 30      | 2851        | ग्रामीण तथा लघु उद्योग               | 2007-08               | 112                       | 1,335.17  | 27                   | 693.12   | 85        | 642.05    |
|         |             |                                      | 2008-09               | 95                        | 1,387.52  | 26                   | 705.9    | 69        | 681.62    |
|         |             |                                      | 2009-10               | 97                        | 1841.7    | 16                   | 1003.4   | 81        | 838.3     |
|         | योग         |                                      | 304                   | 4564.39                   | 69        | 2402.42              | 235      | 2161.97   |           |
| 31      | 2852        | उद्योग                               | 2007-08               | 2                         | 41        | 0                    | 0        | 2         | 41        |
|         |             |                                      | 2008-09               | 5                         | 136.39    | 0                    | 0        | 5         | 136.39    |
|         |             |                                      | 2009-10               | 11                        | 359.88    | 0                    | 0        | 11        | 359.88    |
|         | योग         |                                      | 18                    | 537.27                    | 0         | 0                    | 18       | 537.27    |           |
| 32      | 2853        | अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग         | 2007-08               | 7                         | 732.57    | 2                    | 114.18   | 5         | 618.39    |
|         | योग         |                                      | 7                     | 732.57                    | 2         | 114.18               | 5        | 618.39    |           |
| 33      | 2885        | उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय  | 2007-08               | 1                         | 25        | 0                    | 0        | 1         | 25        |
|         |             |                                      | 2008-09               | 1                         | 25        | 0                    | 0        | 1         | 25        |
|         | योग         |                                      | 2                     | 50                        | 0         | 0                    | 2        | 50        |           |
| 34      | 3054        | सड़क तथा सेतु                        | 2007-08               | 2                         | 500       | 0                    | 0        | 2         | 500       |
|         |             |                                      | 2008-09               | 2                         | 2,497.00  | 0                    | 0        | 2         | 2,497.00  |
|         |             |                                      | 2009-10               | 1                         | 2500      | 0                    | 0        | 1         | 2500      |
|         | योग         |                                      | 5                     | 5497                      | 0         | 0                    | 5        | 5497      |           |

| स. क्र. | विभाग       |  | अनुदान भुगतान का वर्ष | कुल भुगतान अनुदान प्राप्त |           | उपयोगिता प्रमाण पत्र |        |            |           |
|---------|-------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------|----------------------|--------|------------|-----------|
|         | मुख्य शीर्ष | नाम  |                       | प्राप्त                   |           | प्राप्त              |        | अप्राप्त   |           |
|         |             |  |                       | संख्या                    | राशि      | संख्या               | राशि   | संख्या     | राशि      |
| 35      | 3275        | अन्य संचार सेवाएं  | 2009-10               | 4                         | 614       | 0                    | 0      | 4          | 614       |
|         |             |  | 2007-08               | 5                         | 1,326.00  | 0                    | 0      | 5          | 1,326.00  |
|         |             |  | 2008-09               | 8                         | 1,394.00  | 0                    | 0      | 8          | 1,394.00  |
|         | योग         |  | 17                    | 3,334.00                  | 0         | 0                    | 17     | 3,334.00   |           |
| 36      | 3425        | अन्य वैधानिक अनुसंधान  | 2009-10               | 12                        | 573.58    | 0                    | 0      | 12         | 573.58    |
|         |             |  | 2007-08               | 15                        | 691.82    | 0                    | 0      | 15         | 691.82    |
|         |             |  | 2008-09               | 14                        | 709.46    | 0                    | 0      | 14         | 709.46    |
|         | योग         |  | 41                    | 1974.86                   | 0         | 0                    | 41     | 1974.86    |           |
| 37      | 3452        | पर्यटन   | 2007-08               | 12                        | 2,000.00  | 11                   | 1950   | 1          | 50        |
|         |             |  | 2008-09               | 10                        | 3,100.00  | 9                    | 2525   | 1          | 575       |
|         | योग         |  | 22                    | 5,100.00                  | 20        | 4475                 | 2      | 625        |           |
| 38      | 3604        | स्थानिय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन                     | 2009-10               | 137                       | 45092.14  | 1                    | 98.48  | 136        | 44993.66  |
|         |             |  | 2008-09               | 69                        | 50,446.19 | 0                    | 0      | 69         | 50,446.19 |
|         |             |  | 2007-08               | 127                       | 52,301.23 | 0                    | 0      | 127        | 52,301.23 |
|         | योग         |  | 333                   | 147,839.56                | 1         | 98.48                | 332    | 147,741.08 |           |
| 39      | 4225        | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 2007-08               | 102                       | 751.56    | 101                  | 745.03 | 1          | 6.53      |
|         |             |  | 2008-09               | 63                        | 610.52    | 61                   | 565.02 | 2          | 45.5      |
|         | योग         |  | 165                   | 1362.08                   | 162       | 1310.05              | 3      | 52.03      |           |
| 40      | 4515        | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय  | 2009-10               | 32                        | 2541.6    | 31                   | 2453.6 | 1          | 88        |
|         | योग         |  | 32                    | 2541.6                    | 31        | 2453.6               | 1      | 88         |           |
|         | महायोग      |  | 17200                 | 588058.74                 | 6312      | 161587.44            | 10888  | 426471.29  |           |

## परिशिष्ट 3.2

( कड़िका : 3.2, पृष्ठ 54 के संदर्भ में )

गबन व्यपहरण इत्यादि का विभागावार/अवधिवार विश्लेषण  
(31 मार्च 2011 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरण )

( ₹ लाख में )

| स. क्र. | विभाग का नाम                | प्रकरण संख्या एवं राशि |               |               |               |               |                | योग             |
|---------|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|         |                             | पांच वर्ष तक           | 5 से 10 वर्ष  | 10 से 15 वर्ष | 15 से 20 वर्ष | 20 से 25 वर्ष | 25 वर्ष से उपर |                 |
| 1       | 2                           | 3                      | 4             | 5             | 6             | 7             | 8              | 9               |
| 1       | उच्च शिक्षा                 | 07<br>(11.02)          | 02<br>(2.51)  | 02<br>(0.18)  | 02<br>(0.11)  | 01<br>(0.50)  | -              | 14<br>(14.32)   |
| 2       | कला एवं संस्कृति            | -                      | -             | -             | -             | -             | 02<br>(1.01)   | 02<br>(1.01)    |
| 3       | जिला प्रशासन                | डू                     | 02<br>(0.40)  | 01<br>(0.67)  | 01<br>(0.16)  | 02<br>(3.02)  | 02<br>(0.27)   | 08<br>(4.52)    |
| 4       | कोष एवं लेखा प्रशासन        | -                      | 03<br>(7.34)  | 01<br>(11.77) | -             | 02<br>(0.24)  | 04<br>(0.44)   | 10<br>(19.79)   |
| 5       | तकनीकी शिक्षा               | 11<br>(6.36)           | -             | -             | -             | -             | 01<br>(0.25)   | 12<br>(6.61)    |
| 6       | आदिम जाति कल्याण विभाग      | -                      | 03<br>(1.46)  | 04<br>(12.67) | 03<br>(1.60)  | 01<br>(0.53)  | 07<br>(1.25)   | 18<br>(17.51)   |
| 7       | विक्रय एवं व्यापार कर       | -                      | -             | -             | -             | -             | 03<br>(0.03)   | 03<br>(0.03)    |
| 8       | जेल                         | -                      | -             | -             | -             | 01<br>(2.29)  | -              | 01<br>(2.29)    |
| 9       | महिला एवं बाल विकास विभाग   | -                      | 01<br>(1.96)  | -             | 03<br>(3.94)  | 01<br>(0.18)  | 01<br>(0.32)   | 06<br>(6.40)    |
| 10      | शिक्षा                      | 03<br>(0.71)           | 14<br>(50.42) | 01<br>(0.51)  | 14<br>(5.08)  | 16<br>(10.44) | 25<br>(7.00)   | 73<br>(74.16)   |
| 11      | पुलिस                       | 132<br>(56.17)         | 86<br>(34.92) | 16<br>(8.14)  | 06<br>(12.40) | 15<br>(3.87)  | -              | 255<br>(115.50) |
| 12      | मुद्रांक एवं पंजीयन         | -                      | -             | -             | 02<br>(1.80)  | -             | 01<br>(0.62)   | 03<br>(2.42)    |
| 13      | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | -                      | -             | -             | -             | 07<br>(1.25)  | 27<br>(2.13)   | 34<br>(3.38)    |
| 14      | तहसील                       | 02<br>(0.98)           | 01<br>(0.00)  | -             | -             | 01<br>(0.16)  | 10<br>(5.65)   | 14<br>(6.79)    |
| 15      | राज्य आबकारी                | 01<br>(1.49)           | 02<br>(3.93)  | -             | -             | -             | 01<br>(0.02)   | 04<br>(5.44)    |
| 16      | पशुपालन                     | 66<br>(5.36)           | 13<br>(0.38)  | -             | -             | 01<br>(0.73)  | 05<br>(0.69)   | 85<br>(7.16)    |
| 17      | लोक सेवा आयोग               | -                      | 01<br>(3.16)  | -             | -             | -             | -              | 01<br>(3.16)    |
| 18      | सहकारिता                    | -                      | -             | -             | 01<br>(96.26) | -             | -              | 01<br>(96.26)   |
| 19      | भूमि संरक्षण                | 01<br>(0.00)           | -             | -             | -             | -             | 01<br>(0.41)   | 02<br>(0.41)    |
| 20      | पंचायत एवं समाज कल्याण      | 01<br>(0.00)           | 01<br>(0.15)  | 02<br>(0.24)  | -             | 02<br>(0.10)  | 03<br>(1.07)   | 09<br>(1.56)    |

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

| 1   | 2   | 3                | 4               | 5               | 6               | 7              | 8              | 9                 |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 21  | डेयरी विकास                                     | -                | -               | 01<br>(0.20)    | -               | 01<br>(0.01)   | -              | 02<br>(0.21)      |
| 22  | रेशम विभाग                                      | 06<br>(0.37)     | 06<br>(1.80)    | -               | -               | -              | 01<br>(0.04)   | 13<br>(2.21)      |
| 23  | जिला एवं सत्र न्यायालय                          | 02<br>(0.63)     | 02<br>(1.48)    | 03<br>(8.81)    | 01<br>(0.12)    | -              | -              | 08<br>(11.04)     |
| 24  | खनिज संसाधन विभाग                               | 02<br>(0.59)     | 03<br>(12.33)   | -               | -               | -              | -              | 05<br>(12.92)     |
| 25  | परिवहन  | -                | -               | -               | 02<br>(0.15)    | -              | -              | 02<br>(0.15)      |
| 26  | मत्स्यपालन                                      | -                | 011<br>(0.00)   | -               | -               | -              | -              | 011<br>(0.00)     |
| 27  | श्रम एवं रोजगार                                 | -                | 04<br>(2.46)    | 01<br>(0.25)    | 02<br>(0.07)    | 02<br>(0.19)   | 01<br>(0.16)   | 10<br>(3.13)      |
| 28  | भू राजस्व एवं जिला प्रशासन                      | -                | -               | -               | -               | -              | 03<br>(0.46)   | 03<br>(0.46)      |
| 29  | खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | -                | 02<br>(0.24)    | -               | -               | -              | 03<br>(0.13)   | 05<br>(0.37)      |
| 30  | अ.ज/अ.जन./पि.व का कल्याण                        | -                | -               | -               | 03<br>(0.50)    | 02<br>(0.73)   | 08<br>(1.95)   | 13<br>(3.18)      |
| 31  | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं                   | 04<br>(1.44)     | 04<br>(34.90)   | 06<br>(2.29)    | 05<br>(1.89)    | 07<br>(2.57)   | 08<br>(1.76)   | 34<br>(44.85)     |
| 32  | कृषि  | 01<br>(2.73)     | 04<br>(3.57)    | -               | -               | -              | 01<br>(0.06)   | 06<br>(6.36)      |
| 33  | वन  | 58<br>(110.40)   | 134<br>(144.23) | 236<br>(484.31) | 216<br>(117.97) | 200<br>(67.23) | 173<br>(32.86) | 1017 (957)        |
| 34  | लोक निर्माण विभाग                               | 180<br>(2683.44) | 77<br>(287.76)  | -               | -               | -              | -              | 257<br>(2971.20)  |
| 35  | जल संसाधन विभाग                                 | 25<br>(202.01)   | 01<br>(0.02)    | -               | -               | -              | -              | 26<br>(202.03)    |
| योग |   | 502<br>(3083.70) | 367<br>(595.42) | 274<br>(530.04) | 261<br>(242.05) | 262<br>(94.04) | 291<br>(58.58) | 1957<br>(4603.83) |

## परिशिष्ट 3.3

(कॉडिका : 3.2, पृष्ठ 54 के संदर्भ में)

चोरी, गबन एवं सरकारी भंडार सामग्री की कमियों के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में  
विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

| स. क्रं. | विभाग का नाम                                    | चोरी के प्रकरण |              | गबन/सरकारी भंडार सामग्री की हानि |                | योग           |                |
|----------|---|----------------|--------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|          |   | प्रकरण संख्या  | राशि         | प्रकरण संख्या                    | राशि           | प्रकरण संख्या | राशि           |
| 1        | 2   | 3              | 4            | 5                                | 6              | 7             | 8              |
| 1        | उच्च शिक्षा                                     | 9              | 8.98         | 5                                | 5.34           | 14            | 14.32          |
| 2        | कला एवं संस्कृति                                | 1              | 0.81         | 1                                | 0.20           | 2             | 1.01           |
| 3        | जिला प्रशासन                                    | 1              | 0.67         | 7                                | 3.85           | 8             | 4.52           |
| 4        | कोष एवं लेखा प्रशासन                            | 3              | 0.19         | 7                                | 19.60          | 10            | 19.79          |
| 5        | तकनीकी शिक्षा                                   | 5              | 0.4          | 7                                | 6.21           | 12            | 6.61           |
| 6        | आदिम जाति कल्याण विभाग                          | 3              | 0.65         | 15                               | 16.86          | 18            | 17.51          |
| 7        | विक्रय एवं व्यापार कर                           | 2              | 0.02         | 1                                | 0.01           | 3             | 0.03           |
| 8        | जेल   | 1              | 2.29         | 0                                | 0              | 1             | 2.29           |
| 9        | महिला एवं बाल विकास विभाग                       | 1              | 3.49         | 5                                | 2.91           | 6             | 6.40           |
| 10       | शिक्षा  | 29             | 12.89        | 44                               | 61.27          | 73            | 74.16          |
| 11       | पुलिस   | 28             | 8.69         | 227                              | 106.81         | 255           | 115.50         |
| 12       | मुद्रांक एवं पंजीयन                             | 1              | 0.94         | 2                                | 1.48           | 3             | 2.42           |
| 13       | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण                     | 9              | 0.33         | 25                               | 3.05           | 34            | 3.38           |
| 14       | तहसील   | 2              | 0.5          | 12                               | 6.29           | 14            | 6.79           |
| 15       | राज्य आबकारी                                    | 0              | 0            | 4                                | 5.44           | 4             | 5.44           |
| 16       | पशुपालन   | 4              | 0.51         | 81                               | 6.65           | 85            | 7.16           |
| 17       | लोक सेवा आयोग                                   | 0              | 0            | 1                                | 3.16           | 1             | 3.16           |
| 18       | सहकारिता  | 0              | 0            | 1                                | 96.26          | 1             | 96.26          |
| 19       | भूमि संरक्षण                                    | 0              | 0            | 2                                | 0.41           | 2             | 0.41           |
| 20       | पंचायत एवं समाज कल्याण                          | 2              | 0.1          | 7                                | 1.46           | 9             | 1.56           |
| 21       | डेयरी विकास                                     | 1              | 0.2          | 1                                | 0.01           | 2             | 0.21           |
| 22       | रेशम विभाग                                      | 8              | 0.31         | 5                                | 1.9            | 13            | 2.21           |
| 23       | जिला एवं सत्र न्यायालय                          | 2              | 0.21         | 6                                | 10.83          | 8             | 11.04          |
| 24       | खनिज संसाधन विभाग                               | 4              | 9.9          | 1                                | 3.02           | 5             | 12.92          |
| 25       | परिवहन  | 0              | 0            | 2                                | 0.15           | 2             | 0.15           |
| 26       | मत्स्यपालन                                      | 1              | 0            | 0                                | 0              | 1             | 0              |
| 27       | श्रम एवं रोजगार                                 | 7              | 2.84         | 3                                | 0.29           | 10            | 3.13           |
| 28       | भू राजस्व एवं जिला प्रशासन                      | 0              | 0            | 3                                | 0.46           | 3             | 0.46           |
| 29       | खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 1              | 0.14         | 4                                | 0.23           | 5             | 0.37           |
| 30       | फसल कृषि कर्म                                   | 0              | 0            | 6                                | 6.36           | 6             | 6.36           |
| 31       | अ.ज/अ.जन./पि.व कल्याण                           | -              | -            | 13                               | 3.18           | 13            | 3.18           |
| 32       | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं                   | 14             | 7.65         | 20                               | 37.20          | 34            | 44.85          |
| 33       | वन  | 2              | 0.38         | 1015                             | 956.62         | 1017          | 957.00         |
| 34       | लोक निर्माण विभाग                               | 3              | 13.04        | 254                              | 2958.16        | 257           | 2971.20        |
| 35       | जल संसाधन विभाग                                 | 14             | 5.40         | 12                               | 196.63         | 26            | 202.03         |
|          | <b>योग</b>                                      | <b>158</b>     | <b>81.53</b> | <b>1799</b>                      | <b>4522.30</b> | <b>1957</b>   | <b>4603.83</b> |



**परिशिष्ट 3.4**

(कांडिका : 3.3, पृष्ठ 56 के संदर्भ में)

**2010-11 तक संक्षिप्त नैमित्तिक देयकों के विरुद्ध लंबित विस्तृत नैमित्तिक देयक की स्थिति**

(₹ लाख में)

| स. क्र. | मुख्य शीर्ष | ए.सी. बिल्ल की संख्या | राशि   |
|---------|-------------|-----------------------|--------|
| 1       | 2           | 3                     | 4      |
| 1       | 2202        | 2                     | 0.19   |
| 2       | 2204        | 17                    | 0.62   |
| 3       | 2210        | 1                     | 0.00   |
| 4       | 2217        | 1                     | 1.06   |
| 5       | 2401        | 20                    | 327.48 |
| 6       | 2402        | 8                     | 1.46   |
| 7       | 4402        | 19                    | 84.89  |
| 8       | 4225        | 2                     | 37.00  |
|         | योग         | 70                    | 452.70 |

©

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक  
2012



[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)